




सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2014-15



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2014-15

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii-xviii
विनियोग लेखे-	
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	1-19
2. पशुपालन विभाग	20-28
3. भवन निर्माण विभाग	29-33
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	34-36
5. राज्यपाल सचिवालय	37-38
6. निर्वाचन	39-40
7. निगरानी	41
8. नागर विमानन विभाग	42-43
9. सहकारिता विभाग	44-50
10. ऊर्जा विभाग	51-56
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	57-58
12. वित्त विभाग	59-64
13. ब्याज संदाय	65-69
14. ऋण की वापसी/अदायगी	70-72
15. पेंशन	73-77
16. राष्ट्रीय बचत	78
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	79-80
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	81-88
19. वन एवं पर्यावरण विभाग	89-99
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	100-122
21. उच्च शिक्षा	123-131
22. गृह विभाग	132-141
23. उद्योग विभाग	142-149
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	150-153
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	154
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	155-172
27. विधि विभाग	173-176
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय	177

29. खनन एवं भूतत्व विभाग	178-180
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	181-185
31. संसदीय कार्य	186
32. विधान मंडल	187-189
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	190-192
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	193
35. योजना एवं विकास विभाग	194-199
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	200-206
37. राजभाषा	207
38. निबंधन विभाग	208-210
39. आपदा प्रबंधन विभाग	211-219
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	220-225
41. पथ निर्माण विभाग	226-233
42. ग्रामीण विकास विभाग	234-244
43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	245-250
44. मानव संसाधन विकास विभाग	251
45. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	252-256
46. पर्यटन विभाग	257-260
47. परिवहन विभाग	261-265
48. नगर विकास विभाग	266-279
49. जल संसाधन विभाग	280-291
50. लघु सिंचाई विभाग	292-300
51. कल्याण विभाग	301-315
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	316-322
53. मत्स्य	323-328
54. डेयरी	329-334
55. ग्रामीण कार्य विभाग	335-341
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग	342-350
57. आवास विभाग	351-353
58. माध्यमिक शिक्षा	354-363
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा	364-374
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग परिशिष्ट	375-388 389

प्रस्तावना

वर्ष 2014-15 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग दत्तमत	9,58,17,68	55,00,00	4,06,17,67	43,27,58
2. पशुपालन विभाग दत्तमत	1,63,66,53	17,10,40	1,21,93,16	8,39,39
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	1,37,55,89	2,12,94,00	94,43,91	1,60,02,05
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग दत्तमत	34,46,31	20,27,71	...
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	7,93,71	6,34,28
6. निर्वाचन दत्तमत	2,51,69,64	2,16,33,13
7. निगरानी दत्तमत	14,17,31	13,58,11
8. नागर विमानन विभाग दत्तमत	3,67,54	25,00,00	3,43,72	21,72,65
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	1,09,56,48	15,66,00	96,49,16	7,85,74
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	23,89,67,05	11,42,21,00	23,63,89,57	7,79,13,68
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत	20,45,53	...	14,63,27	...

सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

5,52,00,01	11,72,42
41,73,37	8,71,01
43,11,98	52,91,95
14,18,60
1,59,43
35,36,51
59,20
23,82	3,27,35
13,07,32	7,80,26
25,77,48	3,63,07,32
5,82,26

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
12. वित्त विभाग दत्तमत	1,63,32,30	61,40,00	90,81,29	16,93,90
13. ब्याज संदाय प्रभारित	27,37,47,00	29,29,14,70
14. ऋण की वापसी/अदायगी प्रभारित	35,00,00	19,95,30,12	18,79,87,76
15. पेंशन दत्तमत	42,87,64,40	34,62,52,62
16. राष्ट्रीय बचत दत्तमत	2,45,56	2,18,47
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग दत्तमत	72,84,85	40,00,00	49,49,21	35,13,33
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दत्तमत	12,81,75,34	20,30,74	8,42,25,92	12,39,62
19. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत	4,93,45,74	5,00,00	3,76,58,23	3,00,00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दत्तमत	23,15,37,27	3,93,28,80	13,47,53,21	2,60,97,34
21. उच्च शिक्षा दत्तमत	10,34,86,88	7,01,51,71

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

72,51,01	44,46,10
....	<i>1,91,67,70</i>
		<i>(1,91,67,70,394)</i>	
35,00,00	1,15,42,36
8,25,11,78
27,09
23,35,64	4,86,67
4,39,49,42	7,91,12
1,16,87,51	2,00,00
9,67,84,06	1,32,31,46
3,33,35,17

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
22. गृह विभाग दत्तमत	31,68,77,85	1,96,17,72	28,26,88,32	1,57,04,83
23. उद्योग विभाग दत्तमत	3,68,43,07	1,00,00	2,19,86,37	1,00,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग दत्तमत	84,95,10	45,00	65,07,18	45,00
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दत्तमत	2,78,90	2,45,89
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग दत्तमत	12,33,60,55	95,94,60	8,83,65,92	49,77,21
27. विधि विभाग दत्तमत	2,87,51,88	2,16,72,68
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय प्रभारित	52,70,89	48,78,53
29. खनन एवं भूतत्व विभाग दत्तमत	30,67,11	3,90,00	21,28,42	16,35
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत	2,02,56	1,27,26,50	1,33,96	53,53,43
31. संसदीय कार्य दत्तमत	86,20	37,13
32. विधान मंडल दत्तमत	57,01,88	50,25,35
प्रभारित	26,01	15,54

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

3,41,89,53	39,12,89
1,48,56,70
19,87,92
33,01
3,49,94,63	46,17,39
70,79,20
3,92,36
9,38,69	3,73,65
68,60	73,73,07
49,07
6,76,53
10,47

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग दत्तमत	19,36,82	3,00,00	15,94,26	3,00,00
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	6,40,91	5,34,42
35. योजना एवं विकास विभाग दत्तमत	3,72,76,65	4,00,00	2,73,62,50	4,00,00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत	9,81,39,71	1,82,65,00	6,19,86,50	1,39,21,56
37. राजभाषा दत्तमत	16,20,80	15,49,95
38. निबंधन विभाग दत्तमत	22,49,14	16,85,62
39. आपदा प्रबन्धन विभाग दत्तमत	4,90,96,11	3,26,67,10
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत	3,87,03,66	21,14,83	2,87,23,26	10,42,53
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत	3,19,34,34	26,13,59,47	2,79,07,36	24,35,99,45
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत	37,29,25,55	2,31,50,00	18,22,47,11	4,01,02,91
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	1,41,04,35	1,42,60,00	1,19,73,79	50,96,63

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

3,42,56
1,06,49
99,14,15
3,61,53,21	43,43,44
70,85
5,63,52
1,64,29,01
99,80,40	10,72,30
40,26,98	1,77,60,02
19,06,78,44	1,69,52,91 (1,69,52,91,218)
21,30,56	91,63,37

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
44. मानव संसाधन विकास विभाग दत्तमत	6,08,75	5,47,69
45. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दत्तमत	97,30,85	31,64,50	49,09,68	11,68,80
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	10,13,32	19,25,00	8,84,97	13,52,92
47. परिवहन विभाग दत्तमत	5,16,99,13	3,82,00	4,75,21,23	2,23,00
48. नगर विकास विभाग दत्तमत	21,91,35,95	20,93,11	11,03,03,51	13,99,10
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	3,48,75,69	17,59,20,00	2,60,92,62	5,62,91,84
50. लघु सिंचाई विभाग दत्तमत	1,19,02,47	4,42,50,00	75,71,83	1,40,62,03
51. कल्याण विभाग दत्तमत	10,31,98,52	1,68,56,00	8,62,96,98	1,19,18,26
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग दत्तमत	1,01,44,63	16,20,00	52,92,83	15,43,70
53. मत्स्य दत्तमत	40,96,16	56,85,70	29,03,19	9,76,96
54. डेयरी दत्तमत	1,15,02,37	16,27,00	74,80,28	12,90,18

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

61,06
48,21,17	19,95,70
1,28,35	5,72,08
41,77,90	1,59,00
10,88,32,44	6,94,01
87,83,07	11,96,28,16
43,30,64	3,01,87,97
1,69,01,54	49,37,74
48,51,80	76,30
11,92,97	47,08,74
40,22,09	3,36,82

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
55. ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत	10,15,65,35	19,80,54,02	4,01,66,64	9,59,19,27
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग दत्तमत	22,44,16,53	4,00,00	14,58,07,44	3,50,76
57. आवास विभाग दत्तमत	4,16,56	7,00,00	2,72,07	6,00,00
58. माध्यमिक शिक्षा दत्तमत	12,42,28,65	4,10,00	7,18,70,01	1,38,76
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा दत्तमत	62,34,53,83	9,00,00	41,04,98,05	3,48,87
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग दत्तमत	13,20,03,09	2,26,00,00	8,64,56,85	1,60,02,05
कुल दत्तमत :-	4,20,91,26,38	1,03,77,01,39	2,88,37,74,61	66,91,31, 68
कुल प्रभारित :-	28,39,78,52	19,95,30,12	29,89,77,47	18,79,87,76
कुल जोड़ :-	4,49,31,04,90	1,23,72,31,51	3,18,27,52,08	85,71,19,44

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
6,13,98,71	10,21,34,75
7,86,09,09	49,24
1,44,49	1,00,00
5,23,58,64	2,71,24
21,29,55,78	5,51,13
4,55,46,24	65,97,95
1,32,53,51,77	38,55,22,62	1,69,52,91
41,68,75	1,15,42,36	1,91,67,70
1,32,95,20,52	39,70,64,98	1,91,67,70	1,69,52,91

विनियोग लेखे का सारांश -क्रमांत

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

13 ब्याज संदाय

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है :-

पूंजी प्रभाग :

42 ग्रामीण विकास विभाग

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व (हजार रुपयों में)	पूंजी	राजस्व (हजार रुपयों में)	पूंजी
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,88,37,74,61	66,91,31,68	29,89,77,47	18,79,87,76
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	32,62,06	3,24,59,77	00	00
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।	2,88,05,12,55	63,66,71,91	29,89,77,47	18,79,87,76

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।


झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक: 20 नवम्बर 2015
नई दिल्ली


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:
नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष			
2401	फसल कृषि-कर्म		
2402	मृदा तथा जल संरक्षण		
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	8,75,03,12}	9,58,17,68	4,06,17,67	(-)5,52,00,01
अनुपूरक	83,14,56}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूँजी :

मूल	55,00,00}	55,00,00	43,27,58	(-)11,72,42
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 5,52,00.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 27,60.49 लाख), जनवरी 2015 (₹ 54,77.16 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 76.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 83,14.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 102 खाद्यान्न फसलें 04 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम-कृषकों को धान एवं अन्य बीजों की उपलब्धता (योजना)			
	मूल 19,00.00}	19,00.00	6,55.74	(-)12,44.26
2.	ए0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00}	18,43.03	3,47.06	(-)14,95.97
	अनुपूरक 12,43.03}			
3.	ए0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)			
	मूल 60.00}	13,73.75	17.14	(-)13,56.61
	अनुपूरक 13,13.75}			
4.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 18,00.00}	18,00.00	3,73.57	(-)14,26.43

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	103 बीज 01 बीज संवर्धन फार्म (गैर-योजना)			
	मूल 3,14.85} अनुपूरक 46.71}	3,61.56	3,23.12	(-)38.44
6.	104 कृषि फार्म 12 बीज उत्पादन (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	3.29	(-)76.71
7.	107 वनस्पति संरक्षण 09 पौधा संरक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 7,40.43} अनुपूरक 4.16}	7,44.59	6,13.88	(-)1,30.71
8.	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 47,48.93} अनुपूरक 0.02}	47,48.95	40,11.18	(-)7,37.77
9.	08 क्षेत्र परीक्षणात्मक सेवा की योजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,45.22}	1,45.22	1,06.91	(-)38.31

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो)			
	मूल 22,50.00}	22,50.00	18,36.00	(-)4,14.00
11.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीक (के०प्रा०यो)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	9,62.92	(-)10,37.08
12.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीक (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,07.80	(-)42.20
13.	ए 3 कृषि मेला, कार्यशाला तथा प्रदर्शनी (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	40.59	(-)59.41
14.	ए 4 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	7.70	(-)52.30

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	112 दालों का विकास 98 कार्यान्वित जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का प्रसार (योजना)	1,20.00}	1,20.00	55.57 (-)64.43
16.	119 बागवानी एवं वनस्पति फसलें 01 उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना)	4,14.07}	4,14.07	2,75.50 (-)1,38.57
17.	05 सब्जी विकास योजना (रोगमुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (गैर-योजना)	3,53.34}	3,53.34	1,40.11 (-)2,13.23
18.	ए 8 पौष्टिक फल पौधा एवं सब्जी विकास (योजना)	1,20.00}	1,20.00	36.09 (-)83.91
19.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)	8,00.00}	8,00.00	2,56.17 (-)5,43.83

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
20.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	5,96.22	(-)1,53.78
21.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,05.21	(-)44.79
22.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	13.48	(-)86.52
23.	91 आर०के०भी०वाई० स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 23,00.00}	23,00.00	41.25	(-)22,58.75
24.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीक (के० प्रा० यो०)			
	मूल 6,50.00}	6,50.00	2,46.83	(-)4,03.17

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	3,22.57	58.70	(-)2,63.87
	अनुपूरक 1,22.57}			
26.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)			
	मूल 20.00}	3,03.88	2.15	(-)3,01.73
	अनुपूरक 2,83.88}			
27.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के० प्रा० यो०)			
	मूल 5,00.00}	5,95.00	1,87.37	(-)4,07.63
	अनुपूरक 95.00}			
28.	ए 4 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	0.49	(-)39.51
29.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 28,00.00}	28,00.00	6,59.35	(-)21,40.65

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
30.	28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 45,00.00}	45,00.00	20,12.03	(-)24,87.97
31.	28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	3,55.06	(-)4,44.94
32.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्राप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	28.18	(-)3,21.82
33.	58 बीज प्रमाणन एजेन्सी को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	60.49	10.28	(-)50.21
	अनुपूरक 10.49}			
34.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	5,44.36	(-)2,55.64
35.	91 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 1,70,00.00}	1,70,00.00	46,68.49	(-)1,23,31.51

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
36.	98 गैर कार्यान्वित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रसार (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	34.43	(-)1,15.57
37.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीक (के०प्रा०यो०)			
	मूल 39,50.00}	39,50.00	6,94.82	(-)32,55.18
38.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	19,62.74	2,64.36	(-)16,98.38
	अनुपूरक 7,62.74}			
39.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,20.00}	13,64.88	15.08	(-)13,49.80
	अनुपूरक 12,44.88}			
40.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 22,00.00}	24,12.48	6,73.40	(-)17,39.08
	अनुपूरक 2,12.48}			
41.	ए 2 तिलहन विकास योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	3.86	(-)96.14

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
42.	ए 3 कृषि मेला, कार्यशाला एवं प्रदर्शनी (योजना)			
	मूल 1,70.00}	1,70.00	88.56	(-)81.44
43.	ए 4 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	22.86	(-)77.14
44.	ए 5 नर्सरी की स्थापना एवं विकास (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	62.57	(-)87.43
45.	ए 8 के०भी०के० का सुदृढीकरण एवं एग्रीकल्चरल इनफॉर्मेशन सिस्टम (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	42.84	(-)1,07.16
46.	800 अन्य व्यय 90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	3,28.47	(-)2,71.53
47.	91 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 87,00.00}	87,00.00	48,27.82	(-)38,72.18
48.	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 001 निदेशन एवं प्रशासन 05 मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,15.92}	1,15.92	68.70	(-)47.22

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
49.	101 01 मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण सर्वे स्थापना (गैर-योजना)	2,36.65	1,29.93	(-)1,06.72
	मूल 2,36.65}	2,36.65	1,29.93	(-)1,06.72
50.	102 04 मृदा संरक्षण क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)	14,07.19	9,43.97	(-)4,63.22
	मूल 14,05.18} अनुपूरक 2.01}	14,07.19	9,43.97	(-)4,63.22
51.	2415 80 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा सामान्य	37,00.00	23,75.44	(-)13,24.56
	796 04 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (योजना)	37,00.00	23,75.44	(-)13,24.56
52.	3451 090 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं सचिवालय	4,78.89	4,22.48	(-)56.41
	07 कृषि विभाग (ईख विभाग सहित) (गैर-योजना)	4,78.89	4,22.48	(-)56.41
	मूल 4,61.97} अनुपूरक 16.92}	4,78.89	4,22.48	(-)56.41
53.	3475 106 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं भार और माप का विनिमय	3,02.82	2,20.91	(-)81.91
	02 माप एवं तौल का मानकीकरण (गैर-योजना)	3,02.82	2,20.91	(-)81.91
54.	03 राज्य विधिक माप शाखा का सुदृढीकरण (के०यो०यो०)	2,44.87	1,19.24	(-)1,25.63
	अनुपूरक 2,44.87}	2,44.87	1,19.24	(-)1,25.63

उपर्युक्त चौवन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 107 वनस्पति संरक्षण 95 कृषि क्लिनिक (योजना)	70.00	0.00	(-)70.00
	मूल 70.00}	70.00	0.00	(-)70.00
2.	108 वाणिज्यिक फसलें ए 7 राज्य औषधीय मिशन हेतु अनुदान (योजना)	80.00	0.00	(-)80.00
	मूल 80.00}	80.00	0.00	(-)80.00
3.	114 तिलहन विकास 97 समेकित तिलहन विकास योजना (योजना)	80.00	0.00	(-)80.00
	मूल 80.00}	80.00	0.00	(-)80.00
4.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के०प्रा०यो०)	73.52	0.00	(-)73.52
	मूल 73.52}	73.52	0.00	(-)73.52
5.	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें 94 राज्य बागवानी मिशन- गैर कार्यान्वित जिला (योजना)	7,50.00	0.00	(-)7,50.00
	मूल 7,50.00}	7,50.00	0.00	(-)7,50.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 43 पॉइलट वेदर वेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (योजना)	1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
7.	67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
8.	94 राज्य बागवानी मिशन- गैर कार्यान्वित जिला (योजना)	4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
9.	95 कृषि क्लिनिक (योजना)	30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 57 आत्मा एवं समेति को सहायता अनुदान (योजना)	6,00.00}	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
11.	59 राज्य बीज निगम को अनुदान (योजना)	2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	60 उर्वरक संग्रहण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
13.	64 झारखण्ड कृषि कार्ड योजना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
14.	67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
15.	94 राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिला (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
16.	95 कृषि क्लिनिक (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
17.	97 समेकित तिलहन विकास योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
18.	ए 7 विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
19.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 31.24}	31.24	0.00	(-)31.24

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
20.	68 मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास की योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
21.	70 झारखण्ड कृषि कार्ड योजना (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
22.	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 102 मृदा संरक्षण 11 जलनिधि (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
23.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 11 जलनिधि (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
24.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 जलनिधि (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
25.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80 सामान्य 277 शिक्षा 04 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	0.00	(-)8,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
27.	15 राज्य कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
28.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम 01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं 11 कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
29.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 11 कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
30.	796 11 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)	2,60.00}	2,60.00	0.00 (-)2,60.00
31.	3475 796 07 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (योजना)	30.00}	30.00	0.00 (-)30.00

उपर्युक्त इकतीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

- (v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अनतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4401 101 09 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय कृषि सहकारिता कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू- अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)	7,00.00}	7,00.00	1,42.61 (-)5,57.39

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	796 09 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	6,98.11	(-)2,01.89

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,57.39 लाख एवं ₹ 2,01.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 113 कृषि इंजीनियरी 10 कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार में नवीनीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना भू-अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	10 कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार के नवीनीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार के नवीनीकरण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 2 - पशुपालन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2403	पशुपालन			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:				
मूल	1,61,32,45}	1,63,66,53	1,21,93,16	(-)41,73,37
अनुपूरक	2,34,08}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	17,10,40}	17,10,40	8,39,39	(-)8,71,01
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ:				

राजस्व:

(i) ₹ 41,73.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,53.54 लाख), जनवरी 2015 (₹ 72.04 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 8.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,34.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2403- पशुपालन, 102-पशु तथा भैंस विकास, 06-पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित साँदों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्डों में वितरण सहित) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,05.15 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 13,99.99 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2403 पशुपालन 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 अधीक्षण-प्रमण्डल प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 2,01.28} पुनर्वि० 0.02}	2,01.30	1,60.68	(-)40.62
2.	101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,10.00}	2,10.00	53.68	(-)1,56.32
3.	02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (योजना)			
	मूल 70.00}	70.00	17.87	(-)52.13

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 40.62 लाख, ₹ 1,56.32 लाख एवं ₹ 52.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	03 अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)			
	मूल 57,61.73}	57,33.41	46,05.24	(-)11,28.17
	अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)28.34}			
<p>एम०ए०सी०पी० से संबंधित बकाये का भुगतान करने एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण ₹ 28.34 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 11,28.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
5.	102 पशु तथा भैंस विकास 05 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (गैर-योजना)			
	मूल 4,45.59}	4,43.63	3,82.34	(-)61.29
	अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)1.98}			
6.	103 कुक्कुट विकास 03 रेज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,93.68}	1,93.69	1,68.98	(-)24.71
	अनुपूरक 0.01}			
7.	106 अन्य पशुधन विकास 37 राजकीय पशुधन-प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 2,04.00}	2,04.00	1,19.37	(-)84.63

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण 34 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	66.26	(-)23.74
9.	04 दुग्ध, अंडा, मांस एवं उन उत्पादन के सर्वेक्षण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 37.00}	74.00	3.69	(-)70.31
	अनुपूरक 37.00}			
10.	04 दुग्ध, अंडा, मांस एवं उन उत्पादन के सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 37.00}	74.00	3.52	(-)70.48
	अनुपूरक 37.00}			
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 26 विस्तार तथा प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 68.00}	68.00	32.16	(-)35.84
12.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 3,28.00}	4,00.04	3,20.58	(-)79.46
	अनुपूरक 72.04}			

उपर्युक्त बारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2403 पशुपालन 101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 27 पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)	1,43.25	0.00	(-)1,43.25
2.	27 पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)	95.50	0.00	(-)95.50
	मूल 47.75 } अनुपूरक 47.75 }			
3.	31 पशु रोग नियंत्रण (के०यो०यो०)	20.00	0.00	(-)20.00
4.	102 पशु तथा भैंस विकास 32 परामर्शी सेवाएं (योजना)	20.00	0.00	(-)20.00
5.	33 पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
	मूल 2,00.00 }			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
6.	106 अन्य पशुधन विकास 06 पशु चिकित्सा परिषद को सहायक अनुदान (केन्द्रांश-50 प्रतिशत) (के०प्रा०यो०)	30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
7.	06 पशु चिकित्सा परिषद को सहायक अनुदान (केन्द्रांश 50 प्रतिशत) (योजना)	मूल 30.00} अनुपूरक 30.00}	60.00	0.00	(-)60.00
8.	08 गो सेवा आयोग को सहायक अनुदान (योजना)	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
9.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल 6,78.00}	6,78.00	0.00	(-)6,78.00
10.	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण 33 पारा-भेट प्रशिक्षण (योजना)	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	2,14.00	0.00	(-)2,14.00
12.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)	1,59.00	0.00	(-)1,59.00
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	2,02.00	0.00	(-)2,02.00
14.	3454 जगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना 001 निदेशन और प्रशासन 03 पशु गणना (के०यो०यो०)	20.00	0.00	(-)20.00

उपर्युक्त चौदह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 07 पशु औषधालयों का आधुनिककरण (योजना)	87.00}	87.00	20.58 (-)66.42
2.	106 अन्य पशुधन विकास 03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)-फ़ोजेन सीमेन बुल स्टेशन (योजना)	37.40}	37.40	20.02 (-)17.38
3.	06 पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना (योजना)	98.00}	98.00	51.36 (-)46.64
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 निदेशन तथा प्रशासन (योजना)	3,50.00}	3,50.00	1,45.99 (-)2,04.01
5.	800 अन्य व्यय 11 निदेशन तथा प्रशासन (योजना)	2,20.00}	2,20.00	40.71 (-)1,79.29

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	81.75}	81.75	0.00	
	101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य				
	04 पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण की योजना (के०प्रा०यो०)				
	मूल	81.75}	81.75	0.00	(-)81.75
2.	04 पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण की योजना (योजना)				
	मूल	27.25}	27.25	0.00	(-)27.25
3.	106 अन्य पशुधन विकास	50.00}	50.00	0.00	
	10 स्वान प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)				
	मूल	50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	1,00.00}	1,00.00	0.00	
	05 बेकन फैक्ट्री (योजना)				
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
5.	07 पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)				
	मूल	77.00}	77.00	0.00	(-)77.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2216	आवास		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व:

मूल	1,30,30,79}	1,37,55,89	94,43,91	(-)43,11,98
अनुपूरक	7,25,10}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी:

मूल	1,71,00,00}	2,12,94,00	1,60,02,05	(-)52,91,95
अनुपूरक	41,94,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 43,11.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 2,88.10 लाख), जनवरी 2015 (₹ 25.00 लाख) और मार्च 2015 (₹ 4,12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,25.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2216-आवास, 053-रख-रखाव तथा मरम्मत, 04-लोक निर्माण-आवासीय भवनों का मरम्मत एवं संधारण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,62.24 लाख की बचत, जो कि ₹ 20,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य	3,28.52	2,40.16	(-)88.36
	80 सामान्य			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 निदेशन (गैर-योजना)			

मूल 3,20.93}

अनुपूरक 0.09}

पुनर्वि० 7.50}

बकाये वेतन का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 7.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 88.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

2. 03 भवन निर्माण-पर्यवेक्षण
(गैर-योजना)

मूल 4,91.34}

पुनर्वि० 24.00}

5,15.34

4,34.03

(-)81.31

बकाये वेतन का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 24.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 81.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3. 04 भवन निर्माण
(कार्य सम्पादन)
(गैर-योजना)

मूल 37,70.94}

पुनर्वि० (-)32.55}

37,38.39

28,35.06

(-)9,03.33

बकाये वेतन का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 32.55 लाख का निवल पुनर्विनियोग किया गया। ₹ 9,03.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

4. 05 निरूपण
(गैर-योजना)

मूल 2,53.07}

2,53.07

1,58.61

(-)94.46

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	11 निदेशन-उद्यान संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	3,78.33	(-)6,21.67
6.	053 रख-रखाव तथा मरम्मत 13 गैर-आवासीय भवनों की मरम्मत (गैर-योजना)			
	मूल 50,00.00}	49,99.40	29,91.88	(-)20,07.52
	पुनर्वि० (-)0.60}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 94.46 लाख, ₹ 6,21.67 लाख एवं ₹ 20,07.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 051 निर्माण 08 आयुक्त के अनुशंसा पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00
2.	2216 आवास 05 साधारण पूल आवास 053 रख-रखाव तथा मरम्मत 03 लोक निर्माण-राज्य में भवन सम्बन्धी लघु निर्माण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,80.00}	2,80.00	0.00	(-)2,80.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 2,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) शीर्ष-4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 58-कार्यालय भवन परिसदन भवन (योजना) एवं 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 01-सरकारी रिहायशी भवन, 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, 14-सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,14.33 लाख एवं ₹ 3,39.98 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 35,00.00 लाख एवं ₹ 34,35.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75:राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,60.00}	19,04.00	11,90.10	(-)7,13.90
	अनुपूरक 6,44.00}			
2.	39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75:राज्यांश-25) (योजना)			
	मूल 4,20.00}	6,35.00	4,60.65	(-)1,74.35
	अनुपूरक 2,15.00}			
3.	48 प्रशिक्षण/निरूपन/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,75.00	15.33	(-)1,59.67

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	58 कार्यालय भवन/ परिसदन भवन (योजना)			
	मूल 50,00.00}	54,00.00	35,31.15	(-)18,68.85
	अनुपूरक 4,00.00}			
5.	59 कोर्ट भवन (आवासीय/ गैर-आवासीय) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	25,00.00	18,75.27	(-)6,24.73

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कार्यालय भवन			
051 निर्माण			
39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
मूल 8,40.00}	11,40.00	0.00	(-)11,40.00
अनुपूरक 3,00.00}			

₹ 11,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2013	मंत्रिपरिषद्			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205	कला एवं संस्कृति			
राजस्व:				
मूल	31,08,61}	34,46,31	20,27,71	(-)14,18,60
अनुपूरक	3,37,70}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 14,18.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,55.97 लाख), जनवरी 2015 (1,42.93 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 38.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,37.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2013 मंत्रिपरिषद्			
	101 मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन			
1.	01 मंत्रिगण (गैर-योजना)			
	मूल	9,18.50}	9,83.52	4,39.79
	अनुपूरक	65.02}		(-)5,43.73

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	108 दौरा खर्च 01 मंत्रिगण का यात्रा व्यय (गैर-योजना)	70.01	44.81	(-)25.20
3.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 01 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय) (गैर-योजना)	2,64.01	2,12.94	(-)51.07
4.	24 मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)	4,40.13	3,21.48	(-)1,18.65
5.	25 मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)	1,97.52	1,32.40	(-)65.12
6.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 01 राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)	2,00.06	1,70.54	(-)29.52

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	02 झारखण्ड भवन- स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 4,01.18}	5,02.93	4,40.08	(-)62.85
	अनुपूरक 1,01.75}			
8.	800 अन्य व्यय 04 पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को देय सुविधाएँ (गैर-योजना)			
	मूल 0.07}	80.00	14.03	(-)65.97
	अनुपूरक 79.93}			
9.	11 झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	71.87	(-)4,28.13

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			

राजस्व:

मूल	7,22,96}	7,93,71	6,34,28	(-)1,59,43
अनुपूरक	70,75}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 1,59.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 7.50 लाख), जनवरी 2015 (₹ 57.25 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 70.75 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक				
	090 सचिवालय				
	01 सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)				
	मूल	4,23.19}			
	अनुपूरक	30.00}	4,53.19	3,40.58	(-)1,12.61
2.	103 पारिवारिक स्थापना				
	01 राज्यपाल का घरेलू स्थापना (गैर-योजना)				
	मूल	1,61.66}	1,61.66	1,44.27	(-)17.39

विनियोग संख्या - 5 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	05 बाग एवं उद्यान (गैर-योजना)			
	मूल 38.40}	38.40	26.80	(-)11.60

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,12.61 लाख, ₹ 17.39 लाख एवं ₹ 11.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2015 निर्वाचन				
राजस्व:				
मूल	1,41,69,63}	2,51,69,64	2,16,33,13	(-)35,36,51
अनुपूरक	1,10,00,01}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 35,36.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,10,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 2015-निर्वाचन, 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 01-राज्य विधान सभा का आम निर्वाचन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,07.07 लाख की बचत, जो कि ₹ 93,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	102 निर्वाचन अधिकारी 01 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (गैर-योजना)	11,14.59	8,25.88	(-)2,88.71
	मूल	10,64.58}		
	अनुपूरक	0.01}		
	पुनर्वि०	50.00}		

वेतन का भुगतान करने हेतु बजट उपबंध अपर्याप्त रहने के कारण ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 2,88.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार 01 लोक सभा का आम निर्वाचन (गैर-योजना)			
	मूल 58,00.00}	80,00.00	73,26.02	(-)6,73.98
	अनुपूरक 27,00.00}			
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
<p>वेतन के भुगतान (₹ 50.00 लाख) एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य (₹ 4,50.00 लाख) हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 6,73.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
3.	04 निर्वाचन अवधि में वायुयान/ हेलीकॉप्टर पर होने वाले व्यय का भुगतान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 10,00.00}	10,00.00	2,57.62	(-)7,42.38
4.	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिये प्रभार 04 निर्वाचन अवधि में वायुयान/ हेलीकॉप्टर पर होने वाले व्यय का भुगतान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 10,00.00}	10,00.00	1,00.10	(-)8,99.90
5.	108 मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना 02 मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.01}	4,00.01	3,19.77	(-)80.24

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 7,42.38 लाख, ₹ 8,99.90 लाख एवं ₹ 80.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व:				
मूल	13,47,40}	14,17,31	13,58,11	(-)59,20
अनुपूरक	69,91}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 59.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 9.78 लाख), जनवरी 2015 (₹ 41.72 लाख) और मार्च 2015 (₹ 18.41 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 69.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104	सतर्कता			
02	मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग (गैर-योजना)			
मूल	1,65.81}	1,91.48	1,50.43	(-)41.05
अनुपूरक	25.67}			

₹ 41.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 8 - नागर विमानन विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3053	नागर विमानन			
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:				
मूल	1,29,21}	3,67,54	3,43,72	(-)23,82
अनुपूरक	2,38,33}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूँजी :

मूल	25,00,00}	25,00,00	21,72,65	(-)3,27,35
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114	वाहन का क्रय तथा रख-रखाव			
01	सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
मूल	81.10}	3,15.41	2,98.64	(-)16.77
अनुपूरक	2,34.31}			

₹ 16.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 8 - क्रमांत

पूँजी:

(iii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iv) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
02 विमान पत्तन			
102 हवाई अड्डा			
04 झारखंड उड्डयन संस्थान के आधारभूत संसाधनों के सृजन एवं विकास (योजना)			
मूल 2,00.00}	2,00.00	1,72.65	(-)27.35

₹ 27.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(v) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा			
02 एयरो मॉडलिंग एवं एयरो स्पोर्ट्स (योजना)			
मूल 2,97.00}	2,97.00	0.00	(-)2,97.00

₹ 2,97.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2425	सहकारिता			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425	सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:				
मूल	93,69,28}	1,09,56,48	96,49,16	(-)13,07,32
अनुपूरक	15,87,20}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	15,66,00}	15,66,00	7,85,74	(-)7,80,26
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i) ₹ 13,07.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,33.24 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 14,53.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15,87.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2425- सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 02 - अधीक्षण एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास एवं संगठन (गैर-योजना) एवं 101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा, 01-अंकेक्षण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,42.34 लाख एवं ₹ 80.84 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 28,77.80 लाख एवं ₹ 13,21.40 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2425 सहकारिता 108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता	90.00}	90.00	70.00	(-)20.00
	17 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित, आई०सी०डी०पी० के लिए अनुदान (योजना)				
2.	58 ऐपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)	1,71.60}	1,71.60	33.30	(-)1,38.30
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना				
3.	17 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए अनुदान (योजना)	60.00}	60.00	30.28	(-)29.72
	58 ऐपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)				
4.	58 ऐपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)	1,14.40}	1,14.40	22.20	(-)92.20
	17 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए अनुदान (योजना)				

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 17 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए अनुदान (योजना)	1,50.00	1,20.00	(-)30.00
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,20.00	(-)30.00
6.	58 ऐपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)	2,86.00	55.50	(-)2,30.50
	मूल 2,86.00}	2,86.00	55.50	(-)2,30.50

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2425 सहकारिता 107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 28 कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)	30.00	0.00	(-)30.00
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
2.	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता 63 सहकारी समितियों के माध्यम से युवा और कौशल विकास के लिए अनुदान (योजना)	45.00	0.00	(-)45.00
	मूल 45.00}	45.00	0.00	(-)45.00

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
3.	789 24	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सूचना प्रसार, सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)	20.00	0.00	(-)20.00
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00	
4.	28	कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)	20.00	0.00	(-)20.00
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00	
5.	63	सहकारी समितियों के माध्यम से युवा और कौशल विकास के लिए अनुदान (योजना)	30.00	0.00	(-)30.00
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00	
6.	796 24	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सूचना, प्रसार, सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)	40.00	0.00	(-)40.00
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00	
7.	28	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा निधि में अनुदान (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (के० प्रा० यो०)	50.00	0.00	(-)50.00
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00	

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत -
8.	63 सहकारी समितियों के माध्यम से युवा और कौशल विकास के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	0.00	(-)75.00

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय 108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश 02 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	1,00.00	(-)20.00
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	35.04	(-)44.96

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० जिलों को हिस्सा-पूँजी (योजना)	2,00.00}	2,00.00	1,80.00	(-)20.00
4.	6425 सहकारिता के लिए कर्ज 108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज 08 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए ऋण (योजना)	2,70.00}	2,70.00	1,30.00	(-)1,40.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 08 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए ऋण (योजना)	1,80.00}	1,80.00	69.70	(-)1,10.30
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 08 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए ऋण (योजना)	4,50.00}	4,50.00	2,30.00	(-)2,20.00

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	6425 सहकारिता के लिए कर्ज 108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज 02 एन०सी०डी०पी० सम्पोषित योजनान्तर्गत स्वालम्बी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)	67.50	0.00	(-)67.50
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 एन०सी०डी०पी० सम्पोषित योजनान्तर्गत स्वालम्बी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)	45.00	0.00	(-)45.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 एन०सी०डी०पी० सम्पोषित योजनान्तर्गत स्वालम्बी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)	1,12.50	0.00	(-)1,12.50

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 67.50 लाख, ₹ 45.00 लाख एवं ₹ 1,12.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2801	बिजली		
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

राजस्व:

मूल	12,73,53,93}	23,89,67,05	23,63,89,57	(-)25,77,48
अनुपूरक	11,16,13,12}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 15,80,55

पूंजी :

मूल	5,94,95,00}	11,42,21,00	7,79,13,68	(-)3,63,07,32
अनुपूरक	5,47,26,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 2,13,07,32

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 25,77.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 0.05 लाख), जनवरी 2015 (11,13,84.70 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 2,28.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,16,13.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,80.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 25,77.48 लाख) से ₹ 9,96.93 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 08 विद्युत निदेशन (गैर-योजना)	1,11.98	1,05.48	(-)6.50
	मूल 1,19.10}			
	अनुपूरक 16.52}			
	पुनर्वि० (-)23.64}			
2.	2801 बिजली 01 हाइडल उत्पादन 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)	1,20.00	60.00	(-)60.00
	मूल 60.00}			
	अनुपूरक 60.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)	2,60.00	1,30.00	(-)1,30.00
	मूल 1,30.00}			
	अनुपूरक 1,30.00}			

₹ 23.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन का सत्यापन नहीं किये जाने (₹ 11.03 लाख) एवं (ii) मितव्ययिता (₹ 3.39 लाख)के कारण हुई थी। ₹ 6.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	800 अन्य व्यय 12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)			
	मूल 3,10.00}	6,20.00	3,10.00	(-)3,10.00
	अनुपूरक 3,10.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 60.00 लाख, ₹ 1,30.00 लाख एवं ₹ 3,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2801 बिजली 80 सामान्य 053 अनुरक्षण और मरम्मत 13 विद्युत कार्य प्रमण्डल के अन्तर्गत पूंजीगत मरम्मति (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,90.42	0.00	(-)4,90.42
	पुनर्वि० (-)9.58}			

₹ 9.58 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹ 4,90.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	2801 बिजली			
	80 सामान्य			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	10 जे.एस.ई.आर.सी. को नई भवन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
3.	800 अन्य व्यय			
	07 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) एनर्जी एफिशिएन्सी कन्जरवेशन/ परामर्शी एवं अन्य कार्य- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
4.	09 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्येक के ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) ₹ 3,63,07.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,50,00.00 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 3,97,26.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,47,26.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,13,07.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,63,07.32 लाख) से ₹ 1,50,00.00 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	6801 बिजली परियोजना के लिए कर्ज			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	03 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 28,20.00}	81,53.79	81,53.79	0.00
	अनुपूरक 65,67.12}			
	पुनर्वि० (-)12,33.33}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 61,10.00}	1,76,66.55	1,76,66.55	0.00
	अनुपूरक 1,42,28.76}			
	पुनर्वि० (-)26,72.21}			
3.	800 विद्युत बोर्ड को अन्य कर्ज			
	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 1,45,70.00}	4,21,27.92	4,21,27.92	0.00
	अनुपूरक 3,39,30.12}			
	पुनर्वि० (-)63,72.20}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 12,33.33 लाख, ₹ 26,72.21 लाख एवं ₹ 63,72.20 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	6801 बिजली परियोजना के लिये कर्ज 201 पन-बिजली उत्पादन 24 प्रदुषण नियंत्रण उपाय (योजना)			
	मूल 39,85.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)39,85.00}			
2.	202 ताप विद्युत उत्पादन 01 कोल ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट- नई योजना (योजना)			
	मूल 20,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			
3.	205 संचरण तथा वितरण 23 रिस्ट्रक्चर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग-बी (योजना)			
	मूल 1,24,00.00}	93,00.00	0.00	(-)93,00.00
	पुनर्वि० (-)31,00.00}			
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 23 री-स्ट्रक्चर ए.पी.डी.आर.पी. भाग-बी (योजना)			
	मूल 24,00.00}	18,00.00	0.00	(-)18,00.00
	पुनर्वि० (-)6,00.00}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 23 री-स्ट्रक्चर ए.पी.डी.आर.पी. भाग-बी (योजना)			
	मूल 52,00.00}	39,00.00	0.00	(-)39,00.00
	पुनर्वि० (-)13,00.00}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			

राजस्व:

मूल	20,45,52}	20,45,53	14,63,27	(-)5,82,26
अनुपूरक	1}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 5,86,35

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,86.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,82.26 लाख) से ₹ 4.09 लाख अधिक था।
- (ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2039 राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	16,75.04}	12,08.50	+4.10
	पुनर्वि०	(-)4,66.54}		

₹ 4,66.54 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.10 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,85.69}	2,09.44	2,09.44	0.00
	पुनर्वि० (-)76.25}			
	₹ 76.25 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
3.	2052 सचिवायल-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 07 स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 79.79}	41.24	41.23	(-)0.01
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)38.56}			

₹ 38.56 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			

राजस्व:

मूल	1,60,26,47}	1,63,32,30	90,81,29	(-)72,51,01
अनुपूरक	3,05,83}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	61,40,00}	61,40,00	16,93,90	(-)44,46,10
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 72,51.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 3,04.83 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 1.00 लाख) में प्राप्त किया ₹ 3,05.83 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 02 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में पेंशन एवं राज्यकर्मियों का डाटाबेस (गैर-योजना)	7,50.00}	7,50.00	50.97	(-)6,99.03
2.	34 वित्त (वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) (गैर-योजना)	51.00}	26.80	13.61	(-)13.19
	पुनर्वि० (-)24.20}				
3.	39 भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)	3,25.00}	3,25.00	2,45.39	(-)79.61
4.	40 वित्त विभाग के अन्तर्गत विविध विशेष आवश्यक कार्य हेतु (गैर-योजना)	1,00.00}	1,00.00	7.79	(-)92.21
5.	41 एकमुश्त विद्युत विपत्र का समायोजन (गैर-योजना)	1,05,00.00}	1,05,00.00	55,35.05	(-)49,64.95

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	092 अन्य कार्यालय 05 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.77} अनुपूरक 0.02}	1,00.79	77.78	(-)23.01
7.	06 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 8,87.98} अनुपूरक 0.02}	8,88.00	6,44.34	(-)2,43.66
8.	21 राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 35.92}	35.92	13.14	(-)22.78
9.	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 भविष्य निधि का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 2,77.79} अनुपूरक 2.82}	2,80.61	2,25.85	(-)54.76
10.	097 खजाना स्थापना 01 कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (गैर-योजना)			
	मूल 12,19.28} अनुपूरक 20.52}	12,39.80	8,31.55	(-)4,08.25

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103 सरकारी मुद्रणालय 01 झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय का आधुनिकीकरण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,05.00}	2,05.00	1.65	(-)2,03.35
12.	02 झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,63.59} अनुपूरक 19.01}	1,82.60	1,31.45	(-)51.15

उपर्युक्त बारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 01 स्थानीय निधि अंकेक्षण (गैर-योजना)			
मूल 5,64.90}	5,64.90	0.00	(-)5,64.90

₹ 5,64.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामले में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2075 विविध सामान्य ऐवाएं			
791 विनिमय से हानि			
01 विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव/रूपान्तरण के लिए सरकार को भुगतान (गैर-योजना)			
	0.00	2,79.38	+2,79.38

₹ 2,79.38 लाख का बिना बजट प्रावधान के व्यय किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(vi) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया था।

(vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
	201 भवन निर्माण अग्रिम			
1.	01 सरकारी सेवकों को गृह- निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	13,06.21	(-)26,93.79
2.	02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	17.50	(-)9,82.50

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
3.	202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम 01 सरकारी सेवकों को मोटर कार क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)	5,00.00}	5,00.00	2,17.79	(-)2,82.21
4.	02 सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)	1,00.00}	1,00.00	24.00	(-)76.00
5.	04 विधान मंडल के सदस्यों को मोटर-वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)	5,00.00}	5,00.00	1,28.40	(-)3,71.60

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(viii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि				
202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम				
03 मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी क्रय करने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)	40.00}	40.00	0.00	(-)40.00

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**विनियोग संख्या - 13 - ब्याज संदाय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2049	ब्याज अदायगियां			
राजस्व:				
मूल	26,94,12,00}	27,37,47,00	29,29,14,70	+1,91,67,70
अनुपूरक	43,35,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) विनियोग से ₹ 1,91,67,70,394 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 1,91,67.70 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 10.00.00 लाख), जनवरी 2015 (₹ 23,35.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 10,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 43,35.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज 101 बाजार कर्जों पर ब्याज 01 राज्य विकास ऋण पर ब्याज (ब्याजदेय) (गैर-योजना)	9,50,00.00}	9,50,00.00	12,30,41.65	+2,80,41.65
2.	305 ऋण प्रबन्ध 01 पुराने ऋणों से संबंधित ब्याज (गैर-योजना)	2,00.00}	2,00.00	3,24.63	+1,24.63

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
3.	01 साधारण भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 2,00,00.00}	2,00,00.00	2,60,70.75	+60,70.75
4.	02 ए०आई०एस० भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 1,80.00}	1,80.00	2,19.75	+39.75

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,80,41.65 लाख, ₹ 1,24.63 लाख, ₹ 60,70.75 लाख एवं ₹ 39.75 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) शीर्ष 01-आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, 01-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना), 200-अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 02-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये कर्जे पर ब्याज-आर०आई०डी०एफ०आई०एक्स० (गैर-योजना) एवं 11-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० (आर०ई०सी०) से लिये गये कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 64,41.48 लाख, ₹ 6,21.02 लाख एवं ₹ 2,77.25 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹10,00,00.00 लाख, ₹ 2,12,85.00 लाख एवं ₹ 74,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे उपर्युक्त टिप्पणी (iii) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
1.	08 आवास एवं नगर निगम से लिए गए कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 56,00.00}	56,00.00	47,27.62	(-)8,72.38

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	10 पावर बांड- ब्याज भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	22,47.54	(-)17,52.46

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 8,72.38 लाख एवं ₹ 17,52.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	12 दीनदयाल आवास योजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 15,00.00}	12,47.00	7,26.41	(-)5,20.59
	पुनर्वि० (-)2,53.00}			

एन०सी०डी०सी० के ब्याज का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 2,53.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5,20.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
4.	03 एममुश्त ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,60,00.00}	1,60,00.00	1,29,10.86	(-)30,89.14
	104 योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
5.	03 अन्य गैर-योजना मद में प्राप्त कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	2,83.02	(-)2,16.98

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30,89.14 लाख एवं ₹ 2,16.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
6.	60	अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701	विविध			
	03	विविध न्याय निर्णय के आलोक में (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	11,65.00	3,49.89	(-)8,15.11
	अनुपूरक	10,50.00}			
	पुनर्वि०	15.00}			

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले के आलोक में ब्याज का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 8,15.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

7.	06	13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि पर विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	2,00.00}	1,85.00	14.36	(-)1,70.64
	पुनर्वि०	(-)15.00}			

बजट का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण ₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,70.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	03	अल्प बचतो, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	108	बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
	02	बीमा निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	90.00}	90.00	0.00	(-)90.00

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
2.	01 अन्तरिम भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
3.	04 बिक्री-कर वापसी के मामले में देय ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 90.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**विनियोग संख्या - 14 - ऋण की वापसी/अदायगी
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन		
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		

राजस्व :

मूल	35,00,00}	35,00,00	00	(-)35,00,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	19,76,30,12}	19,95,30,12	18,79,87,76	(-)1,15,42,36
अनुपूरक	19,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

(ii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
101 निक्षेप निधि			
01 निक्षेप निधि में योगदान (गैर-योजना)			
मूल	35,00.00}	35,00.00	0.00 (-)35,00.00

₹ 35,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(iii) ₹ 1,15,42.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2015 (₹ 3,00.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 16,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,00.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(iv) शीर्ष 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम, 02-राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज, 105-बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य योजनागत समेकित कर्ज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,33.73 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 1,13,29.25 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
	106 प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र			
1.	02 जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध पत्र (गैर-योजना)			
मूल	3,00.00}	3,00.00	10.28	(-)2,89.72

₹ 2,89.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज 01 हुडको से ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,29,00.00	71,57.26	(-)57,42.74
	पुनर्वि० (-)21,00.00}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 21,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 57,42.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	02 दीनदयाल आवास योजना के अन्तर्गत हुडको से लिए गए कर्ज (गैर-योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	95,03.00	50,00.00	(-)45,03.00
	पुनर्वि० (-)4,97.00}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 4,97.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 45,03.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 15 - पेंशन
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
राजस्व :			
मूल	42,87,64,40}	42,87,64,40	34,62,52,62
अनुपूरक	शून्य}		(-)8,25,11,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(ii) शीर्ष 01-सिविल, 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, 06-15.11.2000 के बाद पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,05,30.33 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 23,00,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
1.	08 पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल	1,86,98.40}	1,86,98.40	5,50.13
				(-)1,81,48.27

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	09 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों का बंटवारा के तहत बिहार को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 5,00,00.00}	5,00,00.00	58,25.62	(-)4,41,74.38
3.	10 सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	5,83.53	(-)34,16.47
4.	102 पेंशन का संश्लेषित मूल्य 03 15.11.2000 के पूर्व पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)			
	मूल 25,00.00}	25,00.00	22,24.04	(-)2,75.96
5.	04 15.11.2000 के पूर्व का परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,90,00.00}	1,90,00.00	1,55,49.66	(-)34,50.34
6.	104 उपदान 03 15.11.2000 के पूर्व का उपादान (गैर-योजना)			
	मूल 70,00.00}	70,00.00	33,44.65	(-)36,55.35

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
7.	105 03	पारिवारिक पेंशन 1984 दंगा से पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (गैर-योजना)	85.00	31.03	(-)53.97
	मूल	85.00}			
8.	04	15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (गैर-योजना)	8,00.00	5,45.43	(-)2,54.57
	मूल	8,00.00}			
9.	111 02	विधायकों को पेंशन विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन- राज्य विधायक (गैर-योजना)	2,00.00	1,20.95	(-)79.05
	मूल	2,00.00}			
10.	03	विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन- राज्य विधायक (गैर-योजना)	3,50.00	2,65.33	(-)84.67
	मूल	3,50.00}			
11.	117 03	अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)	2,00,00.00	1,71,69.53	(-)28,30.47
	मूल	2,00,00.00}			

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
01 सिविल			
101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
07 पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के पूर्व का बकाया पेंशन का भुगतान (गैर-योजना)			
मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01 सिविल			
	104 उपदान			
1.	04 15.11.2000 के बाद का उपादान (गैर-योजना)			
	मूल 4,00,00.00}	4,00,00.00	4,57,26.12	+57,26.12
	105 पारिवारिक पेंशन			
2.	05 15.11.2000 के बाद का पारिवारिक पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 75,00.00}	75,00.00	1,00,62.36	+25,62.36

अनुदान संख्या - 15 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत -	
3.	115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ 02 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)	25,00.00}	25,00.00	34,98.26	+9,98.26
4.	03 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)	2,50,00.00}	2,50,00.00	3,02,66.20	+52,66.20

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 57,26.12 लाख, ₹ 25,62.36 लाख, ₹ 9,98.26 लाख एवं ₹ 52,66.20 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 16 - राष्ट्रीय बचत
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,37,84}	2,45,56	2,18,47	(-)27,09
अनुपूरक	7,72}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 27.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 7.72 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103	अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
01	मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
मूल	36.44}	36.44	26.32	(-)10.12

₹ 10.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 17 - वित्त (वाणिज्य कर) विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	61,23,61}	72,84,85	49,49,21	(-23,35,64
अनुपूरक	11,61,24}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	40,00,00}	40,00,00	35,13,33	(-4,86,67
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 23,35.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 8,62.40 लाख), जनवरी 2015 (₹ 98.84 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 2,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,61.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001 निदेशन और प्रशासन 04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,65.34}			
	अनुपूरक 3.01}	2,67.39	2,23.42	(-)43.97
	पुनर्वि० (-)0.96}			

₹ 44.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

2.	101 संग्रहण प्रभार 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 54,96.74}	57,95.59	35,92.20	(-)22,03.39
	अनुपूरक 2,98.85}			
3.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 07 वाणिज्य कर विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,96.60}			
	अनुपूरक 0.02}	2,97.58	2,20.30	(-)77.28
	पुनर्वि० 0.96}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 22,03.39 लाख एवं ₹ 77.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(iv) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(v) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य भवन 051 निर्माण 03 भू-अर्जन निर्माण तथा सरचनात्मक विकास (योजना)			
मूल 40,00.00}	40,00.00	35,13.33	(-)4,86.67

₹ 4,86.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3456 सिविल पूर्ति			
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	10,22,76,16}	12,81,75,34	8,42,25,92	(-)4,39,49,42
अनुपूरक	2,58,99,18}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	20,30,74}	20,30,74	12,39,62	(-)7,91,12
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 4,39,49.42 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 7.15 लाख), जनवरी 2015 (₹ 2,44,09.73 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 14,82.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,58,99.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,39,49.42 लाख की वृहद अंतिम बचत के बावजूद बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, 102-सिविल पूर्ति योजना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना), 07-बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीनयुक्त नमक का वितरण (योजना), 13-मुख्यमंत्री सहायता योजना (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना), 13-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना) 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना), 13-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना), 29-बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,92.88 लाख, ₹ 1,25.07 लाख, ₹ 4,12.09 लाख, ₹ 1,45.58 लाख, ₹ 3,86.85 लाख, ₹ 3,21.93 लाख, ₹ 7,79.82 लाख, ₹ 1,76.65 लाख एवं ₹ 2,68.56 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 34,72.47 लाख, ₹ 15,71.40 लाख, ₹ 1,09,21.70 लाख, ₹ 16,13.66 लाख, ₹ 47,52.70 लाख, ₹ 73,26.60 लाख, ₹ 2,08,82.45 लाख, ₹ 1,15,00.00 लाख एवं ₹ 42,48.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	3456 सिविल पूर्ति			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 30,17.19}	30,05.53	22,86.66	(-)7,18.87
	अनुपूरक 3.44}			
	पुनर्वि० (-)15.10}			
2.	102 सिविल पूर्ति योजना			
	03 अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,62.00}	1,62.00	14.36	(-)1,47.64
3.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 2,31.00}	4,62.00	25.44	(-)4,36.56
	अनुपूरक 2,31.00}			

बकाये वेतन के भुगतान के लिये ₹ 15.10 लाख का निवल पुनर्विनियोग किया गया। ₹ 7,18.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 6,94.94}	6,94.94	53.85	(-)6,41.09
5.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 21,32.90}	21,32.90	2,82.74	(-)18,50.16
6.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 80,50.00}	80,50.00	68,51.30	(-)11,98.70
7.	31 अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 32,54.00}	50,37.00	36,40.66	(-)13,96.34
	अनुपूरक 17,83.00}			
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	23 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	मूल 56.00}	56.00	1.44	(-)54.56
9.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 4,50.00}	5,68.50	5,03.66	(-)64.84
	अनुपूरक 1,18.50}			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	1,20.00	3.51	(-)1,16.49
	अनुपूरक 60.00}			
11.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 2,45.92}	2,45.92	6.71	(-)2,39.21
12.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 9,14.10}	9,14.10	96.26	(-)8,17.84
13.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 34,50.00}	34,50.00	26,57.17	(-)7,92.83
14.	31 अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 8,18.00}	12,66.00	9,76.29	(-)2,89.71
	अनुपूरक 4,48.00}			
15.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	मूल 2,11.00}	2,11.00	40.27	(-)1,70.73

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 15,00.00}	23,42.40	20,32.35	(-)3,10.05
	अनुपूरक 8,42.40}			
17.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 1,72.00}	3,44.00	62.36	(-)2,81.64
	अनुपूरक 1,72.00}			
18.	17 किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 73.50}	73.50	16.77	(-)56.73
19.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 10,06.87}	10,06.87	99.14	(-)9,07.73
20.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 30,47.00}	30,47.00	7,39.02	(-)23,07.98
21.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,35.00}	1,35.00	33.70	(-)1,01.30

उपर्युक्त इक्कीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	3456 सिविल पूर्ति 102 सिविल पूर्ति योजना 20 मुद्रण योजना (योजना)	81.00}	81.00	0.00	(-)81.00
2.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)	85.00}	85.00	0.00	(-)85.00
3.	8 बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)	17,63.55}	17,63.55	0.00	(-)17,63.55
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 81.00 लाख, ₹ 85.00 लाख एवं ₹ 17,63.55 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।					
4.	39 पात्र गृहस्थ योजना (योजना)	1,06,75.00}	80,06.30	0.00	(-)80,06.30
	पुनर्वि० (-)26,68.70}				
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु अतिरिक्त निधि के कारण ₹ 26,68.70 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 80,66.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।					
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 38 बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)	7,55.80}	7,55.80	0.00	(-)7,55.80

₹ 7,55.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	39 पात्र गृहस्थ योजना (योजना)			
	मूल 45,75.00}	34,31.30	0.00	(-)34,31.30
	पुनर्वि० (-)11,43.70}			

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु अतिरिक्त निधि के कारण ₹ 11,43.70 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 34,31.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 51.00}	51.00	0.00	(-)51.00

8.	38 बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 25,19.35}	25,19.35	0.00	(-)25,19.35

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 51.00 लाख एवं ₹ 25,19.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

9.	39 पात्र गृहस्थ योजना (योजना)			
	मूल 1,52,50.00}	1,14,37.55	0.00	(-)1,14,37.55
	पुनर्वि० (-)38,12.45}			

मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 38,12.45 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,14,37.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 02 भंडारण तथा भांडागार 101 ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम 01 गोदाम निर्माण/ मरम्मत योजना (योजना)	7,08.70}	7,08.70	6,15.40 (-)93.30
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 गोदाम निर्माण मरम्मत योजना (योजना)	8,52.37}	8,52.37	3,61.50 (-)4,90.87

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 93.30 लाख एवं ₹ 4,90.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 02 भंडारण तथा भांडागार 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का मुख्यालय निर्माण (योजना)	2,00.00}	2,00.00	0.00 (-)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 19 - वन एवं पर्यावरण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	4,46,72,65}	4,93,45,74	3,76,58,23	(-)1,16,87,51
अनुपूरक	46,73,09}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 94,83,46

पूंजी :

मूल	5,00,00}	5,00,00	3,00,00	(-)2,00,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 2,00,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 1,16,87.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 14,66.51 लाख), जनवरी 2015 (₹ 1,00.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 31,06.58 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 46,73.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 94,83.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,16,87.51 लाख) से ₹ 22,04.05 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 15-वन प्रबंधन सुविधायें (योजना), 105-वन उत्पाद, 38-13वें वित्त आयोग से अनुदान (गैर-योजना) एवं 800-अन्य व्यय, 13-पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,85.86 लाख, ₹ 3,01.52 लाख एवं ₹ 1,40.84 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 33,56.91 लाख, ₹ 50,29.93 लाख एवं ₹ 26,51.89 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी				
	01 वानिकी				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	01 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)				
	मूल 36,25.87}	33,19.21	32,79.61	(-)39.60	
	अनुपूरक 3,00.19}				
	पुनर्वि० (-)6,06.85}				
₹ 6,06.85 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा बकाये वेतन एवं चिकित्सा दावों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 39.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।					
2.	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण				
	02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)				
		मूल 2,10.23}	1,61.73	1,61.73	0.00
		अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)48.51}				
₹ 48.51 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी।					
3.	004 अनुसंधान				
	02 अन्य अनुसंधान (गैर-योजना)				
		मूल 4,49.67}	3,33.44	3,33.03	(-)0.41
		पुनर्वि० (-)1,16.23}			

₹ 1,16.23 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं बकाये वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन (गैर-योजना)			
	मूल 2,69.77}	2,04.21	2,04.21	0.00
	पुनर्वि० (-)65.56}			

₹ 65.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

5.	12 मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग (गैर-योजना)			
	मूल 3,56.11}	2,98.54	2,85.12	(-)13.42
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)57.58}			

₹ 57.58 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी। ₹ 13.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

6.	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (गैर-योजना)			
	मूल 1,02,37.71}	77,51.57	77,23.30	(-)28.57
	अनुपूरक 8.17}			
	पुनर्वि० (-)24,94.01}			

₹ 24,78.01 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा बकायें वेतन एवं चिकित्सा दावों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 16.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹ 28.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	02 वर्किंग प्लान प्रमण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 4,83.75}	4,00.23	4,00.23	0.00
	पुनर्वि० (-)83.52}			
	₹ 83.52 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी।			
8.	03 वन कूपों की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 6,30.85}	3,77.30	3,77.46	+0.16
	पुनर्वि० (-)2,53.55}			
	₹ 2,53.55 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा बकाये वेतन एवं चिकित्सा दावों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
9.	06 भू संरक्षण एवं वन रोपण (योजना)			
	मूल 21,18.30}	15,11.63	15,11.09	(-)0.54
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)6,06.68}			
	₹ 6,06.68 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा बकाये वेतन एवं चिकित्सा दावों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
10.	06 भू संरक्षण एवं वन रोपण (योजना)			
	मूल 32.92.15}	29,64.54	29,21.06	(-)43.48
	पुनर्वि० (-)3,27.61}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	20 वन प्रचार (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,39.32	1,26.79	(-)12.53
	पुनर्वि० (-)60.68}			
12.	24 वन्य प्राणी संरक्षण (योजना)			
	मूल 7,00.00}	6,23.77	6,21.41	(-)2.36
	पुनर्वि० (-)76.23}			
13.	110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय			
	37 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 4,50.00}	3,26.68	2,18.92	(-)1,07.76
	पुनर्वि० (-)1,23.32}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,71.09 लाख, ₹ 73.21 लाख, ₹ 78.59 लाख एवं ₹ 2,31.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
14.	37 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (योजना)			
	अनुपूरक 1,50.00}	1,08.89	1,08.89	0.00
	पुनर्वि० (-)41.11}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	43 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम- नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 6,78.80}	3,40.00	3,40.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,38.80}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 41.11 लाख एवं ₹ 3,38.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
16.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 5,57.00}	4,38.77	4,34.35	(-)4.42
	पुनर्वि० (-)1,18.23}			
17.	37 इंटेन्सीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश-75, राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,50.00}	45.08	2.39	(-)42.62
	पुनर्वि० (-)1,04.92}			
18.	37 इंटेन्सीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश-75, राज्यांश-25) (योजना)			
	अनुपूरक 50.00}	6.16	0.79	(-)5.37
	पुनर्वि० (-)43.84}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,22.65 लाख, ₹ 1,47.61 लाख एवं ₹ 49.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	43 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया) (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 5,21.19}	2,60.00	2,60.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,61.19}			
₹ 2,61.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 भू संरक्षण एवं वन रोपण (योजना)			
	मूल 18,27.59}	15,29.37	15,23.63	(-)5.74
	पुनर्वि० (-)2,98.22}			
21.	09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 8,51.18}	4,56.26	4,54.78	(-)1.48
	पुनर्वि० (-)3,94.92}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,03.96 लाख एवं ₹ 3,96.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
22.	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 वन्य जीव परिरक्षण 01 अभ्यारण्य (गैर-योजना)			
	मूल 12,80.90}	8,45.78	7,78.56	(-)67.22
	अनुपूरक 0.18}			
	पुनर्वि० (-)4,35.30}			

₹ 4,35.30 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा बकाये वेतन एवं चिकित्सा दावों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 67.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय (वन प्रबंधन योजना) (योजना)			
	मूल 95.00}	67.54	53.54	(-)14.00
	अनुपूरक 14.00}			
	पुनर्वि० (-)41.46}			
24.	03 हाथी परियोजना (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 1,13.34}	83.75	69.95	(-)13.80
	पुनर्वि० (-)29.59}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 55.46 लाख एवं ₹ 43.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
25.	08 पलामू व्याघ्र परियोजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	23.91	23.91	0.00
	पुनर्वि० (-)2,76.09}			
26.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,05.00}	59.90	59.89	(-)0.01
	पुनर्वि० (-)45.10}			
27.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (योजना)			
	मूल 1,05.00}	59.90	59.89	(-)0.01
	पुनर्वि० (-)45.10}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,76.09 लाख, ₹ 45.10 लाख एवं ₹ 45.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	22 वन्य प्राणी पर्यावास सा समेकित विकास (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	1,88.21	72.62	(-)1,14.59
	पुनर्वि० (-)1,11.79}			
	04 वन रोपण तथा परिस्थितिकी विकास			
	101 राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम			
29.	01 जाईका-ओ०डी०ए० संपोषित प्रोजेक्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड एण्ड फॉरेस्ट्री फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (पलास) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	9,90.00	0.53	(-)9,89.47
	पुनर्वि० (-)10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,26.38 लाख एवं ₹ 9,99.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	105 वन उत्पाद			
1.	04 सरकारी वन (योजना)			
	मूल 2,50.02}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.02}			

कैम्पा योजना में निधि उपलब्ध रहने के कारण ₹ 2,50.02 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	110 भूतपूर्व जमींदारी वन सम्पदाओं के प्रबंध पर व्यय			
2.	42 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,50.00}	4,50.00	0.00	(-)4,50.00
3.	42 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया) (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
4.	42 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
5.	42 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (नेशनल मीशन फॉर ए ग्रीन इंडिया) (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 4,50.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामले में अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
13 पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना)			
मूल 25,00.00}	16,66.55	17,72.29	+1,05.74
पुनर्वि० (-)8,33.45}			

₹ 8,33.45 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,05.74 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			
04 वन रोपण तथा परिस्थितिकी विकास			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
02 राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान (योजना)			
मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)2,00.00}			

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	22,25,85,18}	23,15,37,27	13,47,53,21	(-)9,67,84,06
अनुपूरक	89,52,09}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,45,02
(जुलाई 2014 : 5,00,25				
मार्च 2015 : 1,44,77)				

पूंजी :

मूल	3,93,28,80}	3,93,28,80	2,60,97,34	(-)1,32,31,46
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,97,44
(जुलाई 2014 : 10,00,00				
मार्च 2015 : 17,96,44)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 9,67,84.06 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 15,37.84 लाख), जनवरी 2015 (₹ 72,64.16 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 1,50.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 89,52.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,45.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,67,84.06 लाख) से ₹ 9,61,39.04 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 13-सदर अस्पताल (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,82.40 लाख की बचत, जो ₹ 66,81.92 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 02 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 20,71.47}	20,61.47	16,16.47	(-)4,45.00
	पुनर्वि० (-)10.00}			
2.	05 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चिकित्सा सहायता (हृदय, किडनी एवं कैंसर रोग) (योजना)			
	मूल 60,00.00}	60,00.00	37,50.00	(-)22,50.00
3.	16 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 61.48}	61.50	15.31	(-)46.19
	अनुपूरक 0.02}			
4.	28 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 62.25}	62.10	27.17	(-)34.93
	अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)0.17}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
5.	41 नये एवं चालू योजनाओं के लिय राज्यांश (योजना)	2,00.00}	2,00.00	72.10	(-)1,27.90
6.	103 केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना 39 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) (के०प्रा०यो०)	8,00,00.00}	8,00,00.00	3,27,84.90	(-)4,72,15.10
7.	45 राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)	24,00.00}	24,00.00	13,04.08	(-)10,95.92
8.	104 चिकित्सा भंडार डिपो 43 विभिन्न अस्पताओं/स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों, आयुष सहित मशीन उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना)	30,20.50}	30,20.50	23,80.98	(-)6,39.52
9.	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना 40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.एन.एम.स्कूल) (के०प्रा०यो०)	17,25.00}	17,25.00	1,45.86	(-)15,79.14

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (गैर-योजना)			
	मूल 13,72.81}	12,72.81	10,85.65	(-)1,87.16
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

बकाये वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,87.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

11.	05 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (योजना)			
	मूल 4,73.65}	4,73.65	3,70.34	(-)1,03.31

₹ 1,03.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

12.	05 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (गैर-योजना)			
	मूल 17,71.00}	16,31.00	14,72.85	(-)1,58.15
	पुनर्वि० (-)2,40.00}			

बकाये वेतन के भुगतान (₹ 2,00.00 लाख) एवं न्यायालय के मामले से संबंधित बकाये (₹ 40.00 लाख) हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 2,40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,58.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

13.	14 अवर प्रमंडलीय अस्पताल (गैर-योजना)			
	मूल 26,66.65}	26,51.65	19,83.50	(-)6,68.15
	पुनर्वि० (-)15.00}			

बकाये वेतन के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 6,68.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	15 इटकी सैनेटोरियम (गैर-योजना)			
	मूल 7,58.91} पुनर्वि० 20.00}	7,78.91	6,34.51	(-)1,44.40
15.	27 राष्ट्रीय बेक्टर बोर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	26.12	(-)73.88
16.	30 भाईबिलिटी गैप फन्डिंग फॉर सेटिंग ऑफ मेडिको सिटी एण्ड न्यू मेडिकल कॉलेज अन्डर प्राईवेट/पब्लिक सेक्टर (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	1,94.65	(-)1,05.35
17.	42 महात्मा गाँधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, (एम.जी.एम.एम.सी.एच.), जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 5,56.77} अनुपूरक 0.02}	5,56.79	3,12.10	(-)2,44.69
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 43 विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल कॉलेज, एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयो, आयुष सहित मशीन उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना)			
	मूल 55,10.00}	55,10.00	48,33.67	(-)6,76.33

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101 आयुर्वेद 01 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 8,93.55} अनुपूरक 36.33}	9,29.88	8,00.88	(-)1,29.00
20.	24 राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला (योजना)			
	मूल 31.87} अनुपूरक 31.87}	63.74	26.45	(-)37.29
21.	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र 02 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 45,62.95} अनुपूरक 0.01}	45,62.96	40,49.26	(-)5,13.70
उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
22.	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,62,55.07} पुनर्वि० (-)6.50}	1,62,48.57	1,42,10.17	(-)20,38.40

बकाये वेतन के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 6.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 20,38.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,05,64.04}	1,05,64.04	66,98.39	(-)38,65.65
24.	110 अस्पताल तथा औषधालय 04 रेफरल अस्पताल (गैर-योजना)			
	मूल 39,26.97}	39,26.97	31,47.77	(-)7,79.20
25.	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 03 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)			
	मूल 7,37.09} अनपूरक 10.00}	7,47.09	5,71.46	(-)1,75.63
26.	102 होमियोपैथी 01 होम्योपैथी-औषधालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,72.43} अनुपूरक 10.01}	2,82.44	2,26.41	(-)56.03

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 38,65.65 लाख, ₹ 7,79.20 लाख, ₹ 1,75.63 लाख एवं ₹ 56.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
27.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105 एलोपैथी 02 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (गैर-योजना)			
	मूल 16,42.19}	13,78.19	10,74.76	(-)3,03.43
	पुनर्वि० (-)2,64.00}			
<p>बकाये वेतन के भुगतान (₹ 1,64.00 लाख) एवं न्यायालय के मामले से संबंधित भुगतान (₹ 1,00.00 लाख) हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 2,64.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 3,03.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
28.	04 प्रशिक्षण-नर्स (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	48.11	(-)51.89
<p>₹ 51.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
29.	12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (गैर-योजना)			
	मूल 18,83.62}	16,93.62	13,33.34	(-)3,60.28
	पुनर्वि० (-)1,90.00}			
<p>बकाये वेतन एवं चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 1,90.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 3,60.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
30.	12 महात्मा गाँधी स्मारक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 2,51.60}	2,51.60	2,12.49	(-)39.11

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
31.	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 जन स्वास्थ्य संस्थान (गैर योजना)			
	मूल 2,55.73}	2,55.74	1,97.50	(-)58.24
	अनुपूरक 0.01}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 39.11 लाख एवं ₹ 58.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
32.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,59.88}	3,40.04	2,93.15	(-)46.89
	अनुपूरक 0.16}			
	पुनर्वि० 80.00}			
बकाये वेतन के भुगतान हेतु ₹ 80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 46.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
33.	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 02 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 5,56.59}	5,96.10	4,81.75	(-)1,14.35
	अनुपूरक 40.01}			
	पुनर्वि० (-)0.50}			
₹ 1,14.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
34.	03 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 15,59.26}	17,59.27	13,65.35	(-)3,93.92
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० 2,00.00}			

बकाये वेतन का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 3,93.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
35.	05 अन्यान्य औषधालय (कुष्ठ निरोध कार्यक्रम) (गैर-योजना)			
	मूल 17,33.76}	19,13.76	17,00.06	(-)2,13.70
	पुनर्वि० 1,80.00}			
<p>बकाये वेतन का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 1,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 2,13.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
36.	06 अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 3,16.46}	3,16.47	2,77.20	(-)39.27
	अनुपूरक 0.01}			
37.	10 संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (योजना)			
	मूल 11,85.38}	11,85.40	7,62.67	(-)4,22.73
	अनुपूरक 0.02}			
38.	13 गैर-संचारी रोग (कुष्ठ रोग) (योजना)			
	मूल 2,13.07}	2,13.09	1,74.43	(-)38.66
	अनुपूरक 0.02}			
39.	104 औषध नियंत्रण 01 औषध नियंत्रण स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 4,03.44}	4,28.45	3,17.26	(-)1,11.19
	अनुपूरक 25.01}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
40.	2211 परिवार कल्याण 001 निदेशन और प्रशासन 02 तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो/ (के०यो०यो०)			
	मूल 6,08.43}	6,08.44	1,12.23	(-)4,96.21
	अनुपूरक 0.01}			
41.	02 तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (योजना)			
	अनुपूरक 4,86.69}	4,86.69	1,74.36	(-)3,12.33
42.	03 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण- जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 11,43.07}	11,43.08	5,15.49	(-)6,27.59
	अनुपूरक 0.01}			
43.	03 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (योजना)			
	अनुपूरक 7,00.66}	7,00.66	3,38.36	(-)3,62.30
44.	003 प्रशिक्षण 04 ए०एन०एम० स्कूल/ एल०एच०भी० स्कूल (के०यो०यो०)			
	मूल 5,50.00}	5,50.02	1,77.90	(-)3,72.12
	अनुपूरक 0.02}			
45.	04 ए.एन.एम. स्कूल/ एल०एच०भी० स्कूल (योजना)			
	अनुपूरक 3,76.01}	3,76.01	62.00	(-)3,14.01

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
46.	05 परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.01	7.67	(-)92.34
	अनुपूरक 0.01}			
47.	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
	01 स्वास्थ्य उप केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 1,00,00.00}	99,99.93	33,41.85	(-)66,58.08
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)0.08}			
48.	01 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (योजना)			
	मूल 52,98.38}	52,98.38	21,95.71	(-)31,02.67
49.	102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
	01 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	3,00.02	1,02.61	(-)1,97.41
	अनुपूरक 0.02}			
50.	01 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (योजना)			
	अनुपूरक 2,85.00}	2,85.00	1,08.56	(-)1,76.44
51.	103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
	01 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
	मूल 11,07.62}	11,07.63	8,58.45	(-)2,49.18
	अनुपूरक 0.01}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
52.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 07 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,98.87}	2,99.88	2,03.18	(-)96.70
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० 1.00}			

उपर्युक्त सत्रह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 20 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
2.	21 टेलिमेडिसीन (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
3.	104 चिकित्सा भंडार डिपो 44 लांग लास्टिंग इन्सेक्टीसाईड ट्रीटेड नेट (एल०एल०आई०टी०एन०) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	25,00.00	0.00	(-)25,00.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4.	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना 40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए०एन०एम०/जी०एन०एम० स्कूल) (के०प्रा०यो०)	70,13.00}	70,13.00	0.00	(-)70,13.00
5.	110 अस्पताल तथा औषधालय 25 एमरजेन्सी मेडिकल रेशपोन्स सर्विसेज (योजना)	4,50.00}	4,50.00	0.00	(-)4,50.00
6.	26 राष्ट्रीय अंधेपन की रोकथाम कार्यक्रम (योजना)	2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
7.	36 रिम्स में जेनेटिक विंग्स की स्थापना एवं विकास (योजना)	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 44 लॉग लास्टिंग इन्सेक्टीसाईड ट्रीटेड नेट (एल०एल०आई०टी०एन०) (योजना)	25,00.00}	25,00.00	0.00	(-)25,00.00
9.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 200 अन्य पद्धतियाँ 21 जिला संयुक्त औषधालय (के०यो०यो०)	4,20.00}	4,20.00	0.00	(-)4,20.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	22 पंचकर्म की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,64.00}	2,64.00	0.00	(-)2,64.00
11.	25 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र आमला एवं सहजन का प्लान्टेशन एवं झारखंड राज्य मेडिसीनल प्लांट बोर्ड तथा जिला समिति की स्थापना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,30.00}	1,30.00	0.00	(-)1,30.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 18 आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री (के०यो०यो०)			
	मूल 1,08.06}	1,08.06	0.00	(-)1,08.06
13.	19 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, चाईबासा (के०यो०यो०)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
14.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 101 आयुर्वेद 17 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,75.00}	4,75.00	0.00	(-)4,75.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	17 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
16.	105 एलोपैथी 16 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० कोर्सेज) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,51.75}	16,51.75	0.00	(-)16,51.75
17.	16 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० कोर्सेज) (योजना)			
	मूल 1,46.50}	1,46.50	0.00	(-)1,46.50

उपर्युक्त सत्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
24 झारखंड राज्य अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि के लिये आउटसोर्सिंग (योजना)			
मूल 20,00.00}	13,55.23	14,65.37	+1,10.15
पुनर्वि० (-)6,44.77}			

₹ 6,44.77 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 1,10.15 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 27,96.44 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,32,31.46 लाख) से ₹ 1,04,35.02 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत -
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना			
1.	16 फार्मसी-भवनों का जीर्णोद्धार (विशेष मरम्मत, मेडिसीनल गार्डन) एवं अन्य निर्माण-कार्य हेतु (योजना)			
	मूल 2,02.95}	2,02.95	81.99	(-)1,20.96

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	110 अस्पताल और औषधालय 02 सिविल सर्जन कार्यालय (योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	1,69.97	(-55.03
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,20.96 लाख एवं ₹ 55.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
3.	03 सदर, सब-डिवीजन अस्पताल और रेफरल अस्पताल में आवासीय क्वार्टर (योजना)			
	मूल 35,00.00}	30,00.00	30,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
4.	14 प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	3,15.36	(-)2,84.64
5.	15 महात्मा गाँधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 21,91.63}	21,91.63	14,57.10	(-)7,34.53
6.	18 बर्न युनिट (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	3,56.09	(-)6,43.91

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,84.64 लाख, ₹ 7,34.53 लाख एवं ₹ 6,43.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	19 बेयर हाउस (योजना)			
	मूल 10,00.00}	8,75.00	7,89.45	(-) 85.55
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			
₹ 2,10.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
8.	21 जिला अन्तर्गत खाद्य एवं औषधि कार्यालय (योजना)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	1,88.01	(-)5,61.99
₹ 5,61.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
9.	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	13,21.00	11,08.01	(-)2,12.99
	पुनर्वि० (-)1,79.00}			
10.	10 भवनें-स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	13,38.84	6,56.76	(-)6,82.08
	पुनर्वि० (-)1,61.16}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,91.99 लाख एवं ₹ 8,43.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
11.	110 अस्पताल तथा औषधालय 17 भवनें-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 18,03.03}	18,03.03	13,72.27	(-)4,30.76

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	24 भवनें-सदर अस्पताल एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	7,13.66	(-)4,86.34
13.	26 भवनें-रेफरल अस्पताल का निर्माण (मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	66.24	(-)33.76
14.	34 भवनें- अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	1,51.42	(-)1,48.58
15.	36 ब्लड बैंक (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	39.87	(-)9,60.13
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
16.	64 जिला संयुक्त आयुष औषधालय और राजकीय औषधालय (योजना)			
	मूल 7,50.00}	6,60.00	3,88.66	(-)2,71.34
	पुनर्वि० (-)90.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 05 भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना- भवनें (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)	8,28.00	4,43.40	(-)3,84.60
	मूल 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,72.00}			
18.	06 भवनें-(मशीन उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) (योजना)	21,40.76	19,84.99	(-)1,55.77
	मूल 25,00.00}			
	पुनर्वि० (-)3,59.24}			
19.	07 भवनें-(मशीन उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)	17,20.00	8,57.23	(-)8,62.77
	मूल 17,50.00}			
	पुनर्वि० (-)30.00}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,61.34 लाख, ₹ 5,56.60 लाख, ₹ 5,14.81 लाख एवं ₹ 8,92.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) (योजना)	20,00.00	15,89.03	(-)4,10.97
	मूल 20,00.00}			

₹ 4,10.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	40 भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	19,59.96	13,22.94	(-)6,37.02
	पुनर्वि० (-)5,40.04}			
22.	41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना- भवनें- (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 12,50.00}	11,85.00	10,99.30	(-)85.70
	पुनर्वि० (-)65.00}			
23.	48 दुमका एवं खरसावां में 500 शय्यावाले अस्पताल का निर्माण (योजना)			
	मूल 30,00.00}	25,00.00	13,02.46	(-)11,97.54
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 11,77.06 लाख, ₹ 1,50.70 लाख एवं ₹ 16,97.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
24.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 200 अन्य पद्धतियां 02 राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथीक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 5,73.11}	5,73.11	4,86.34	(-)86.77

₹ 86.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र 62 राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/ राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला (योजना)	1,47.12}	1,47.12	0.00	(-)1,47.12
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 56 राँची में झारखंड राज्य कैंसर अस्पताल एवं शोध केन्द्र (योजना)	5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
3.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 04 ए०एन०एम० स्कूल का निर्माण- भवन निर्माण (योजना)	1,60.00}	1,60.00	0.00	(-)1,60.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,47.12 लाख, ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 21 - उच्च शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2202 सामान्य शिक्षा				
राजस्व :				
मूल	9,43,25,33}	10,34,86,88	7,01,51,71	(-)3,33,35,17
अनुपूरक	91,61,55}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (24 जुलाई 2014) 37,29,14

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 3,33,35.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 37,29.16 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 54,32.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 91,61.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 37,29.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,33,35.17 लाख) से ₹ 2,96,06.23 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 15-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,16.85 लाख की कुल बचत, जो ₹ 73,20.84 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
1.	01 सन्त विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना)			
	मूल	1,42,34.45	1,17,93.57	(-)24,40.88
	पुनर्वि०	(-)40.73}		

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	02 सिद्धु-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)			
	मूल 80,92.29}	75,92.29	63,90.89	(-)12,01.40
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
3.	04 राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना)			
	मूल 2,67,81.23}	2,40,93.98	2,01,95.80	(-)38,98.18
	पुनर्वि० (-)26,87.25}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 40.73 लाख, ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 26,87.25 लाख की प्रत्याशित बचत बकाये वेतन के भुगतान हेतु अन्य शीर्ष में बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 24,40.88 लाख, ₹ 12,01.40 लाख एवं ₹ 38,98.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
4.	06 वित्त रहित शिक्षा हेतु संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	5,94.96	(-)1,05.04
<p>₹ 1,05.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
5.	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (गैर-योजना)			
	मूल 23,47.26}	23,18.86	10,86.99	(-)12,31.87
	पुनर्वि० (-)28.40}			
<p>₹ 28.40 लाख की प्रत्याशित बचत बकाये वेतन के भुगतान हेतु अन्य शीर्ष में बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12,31.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
6.	31 महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन हेतु संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,04.87	(-)45.13

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	62 राँची विश्वविद्यालय, राँची- यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (गैर-योजना)			
	मूल 82,15.33}	82,15.33	27,13.17	(-)55,02.16
8.	63 संत विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (गैर-योजना)			
	मूल 39,86.45}	39,86.45	14,48.14	(-)25,38.31
9.	64 सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका-यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (गैर-योजना)			
	मूल 15,66.37}	15,66.37	8,08.26	(-)7,58.11
10.	65 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू-यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (गैर-योजना)			
	मूल 7,75.62}	7,75.62	2,63.71	(-)5,11.91
11.	66 कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा- यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (गैर-योजना)			
	मूल 24,20.76}	24,20.76	8,17.87	(-)16,02.89

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	67 राँची विश्वविद्यालय, राँची- यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश-20) (गैर-योजना)			
	मूल 20,53.83}	20,53.83	6,78.29	(-)13,75.54
13.	68 विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश-20) (गैर-योजना)			
	मूल 9,96.62}	9,96.62	6,78.29	(-)3,18.33
14.	69 सिद्ध-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश-20) (गैर-योजना)			
	मूल 3,91.60}	3,91.60	1,66.43	(-)2,25.17
15.	70 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश-20) (गैर-योजना)			
	मूल 1,93.91}	1,93.91	65.93	(-)1,27.98
16.	71 कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा- यू.जी.सी. बकाया वेतन (गैर-योजना)			
	मूल 6,05.19}	6,05.19	2,04.47	(-)4,00.72

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
17.	74	सेमिनार/सिम्पोजियम एवं कॉन्फ्रेंस (विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग) (योजना)			
	मूल	40.00}	40.00	4.61	(-)35.39
18.	79	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	2,80.00}	2,80.00	1,52.54	(-)1,27.36
19.	79	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (योजना)			
	मूल	1,50.00}	1,50.00	82.19	(-)67.81
20.	81	15.11.2000 के पूर्व का बकाया- राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	12,75.25}	12,75.25	9,37.85	(-)3,37.40
21.	83	15.11.2000 के पूर्व का बकाया- सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	5,29.03}	5,29.03	2,12.89	(-)3,16.14
22.	84	15.11.2000 के पूर्व का बकाया- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	4,79.55}	4,79.55	4,12.14	(-)67.41

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	86 15.11.2000 के पूर्व का बकाया- राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 31,92.42}	31,92.42	24,34.61	(-)7,57.81
24.	88 15.11.2000 के बाद का बकाया- सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 8,54.37}	8,54.37	5,86.24	(-)2,68.13
25.	89 15.11.2000 के बाद का बकाया- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (योजना)			
	अनुपूरक 2,85.26}	2,85.26	72.93	(-)2,12.33
26.	90 15.11.2000 के बाद का बकाया- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 5,34.56}	5,34.56	1,74.90	(-)3,59.66
27.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 25 लड़कियों के निःशुल्क शिक्षा हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	24.98	(-)35.02
28.	79 केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर०यू०एस०ए०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,20.00}	4,20.00	14.77	(-)4,05.23

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
29.	79 केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर०यू०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 2,26.00}	2,26.00	7.95	(-)2,18.05

उपर्युक्त चौबीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
2.	23 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
3.	27 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4.	28	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु संत विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	8,00.00}	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
5.	30	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
6.	51	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	7,75.00}	7,75.00	0.00	(-)7,75.00
7.	80	राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
8.	796 42	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	43 राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
10.	44 राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
11.	45 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
12.	48 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के केन्द्रीय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
13.	76 सेमिनार/सिम्पोजियम एवं कॉन्फ्रेंस-राँची विश्वविद्यालय, राँची (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त तरह मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	29,77,05,41}	31,68,77,85	28,26,88,32	(-)3,41,89,53
अनुपूरक	1,91,72,44}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	1,96,17,72}	1,96,17,72	1,57,04,83	(-)39,12,89
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 3,41,89.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 87,76.47 लाख), जनवरी 2015 (₹ 67,80.97 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 36,15.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,91,72.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) ₹ 3,41,89.53 लाख की वृहद बचत के बावजूद, बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) शीर्ष-2055-पुलिस, 001-निदेशन और प्रशासन, 04-अधीक्षण (गैर-योजना), 101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता, 06-विशेष शाखा (गैर-योजना), 104-विशेष पुलिस, 02-पैदल सैन्य पुलिस (गैर-योजना), 05-इंडिया रिजर्व बटालियन (गैर-योजना), 109-जिला पुलिस, 01-जिला कार्यकारी बल (गैर-योजना), 90-जिला कार्यकारी बल-विधान सभा आम चुनाव (गैर-योजना), 2056-जेल, 101-जेल, 01-केन्द्रीय जेल (गैर-योजना), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 107-होमगार्ड, 01-ग्रामीण (गैर-योजना) एवं 108-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण, 01-अग्नि रक्षा सेवाएं (गैर-योजना)के अन्तर्गत ₹ 1,13.36 लाख, ₹ 2,41.17 लाख, ₹ 30,31.76 लाख, ₹ 1,07,31.11 लाख, ₹ 2,22.89 लाख, ₹ 4,44.42 लाख, ₹ 1,49.90 लाख एवं ₹ 1,19.86 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 12,68.33 लाख, ₹ 67,82.14 लाख, ₹ 4,55,11.57 लाख, ₹ 14,91,13.29 लाख, ₹ 32,72.00 लाख, ₹ 58,16.25 लाख, ₹ 74,91.51 लाख एवं ₹ 13,10.68 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 03 गृह विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 11,22.51 } अनुपूरक 0.01 }	11,22.52	8,83.33	(-)2,39.19
2.	092 अन्य कार्यालय 09 स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 95.41 } अनुपूरक 0.02 }	95.43	62.59	(-)32.84
3.	2055 पुलिस 001 निदेशन और प्रशासन 01 अभियोजन निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 20,83.43 } अनुपूरक 0.02 }	20,83.45	16,37.22	(-)4,46.23
4.	02 विधि व्यवस्था पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00 }	2,50.00	2,15.21	(-)34.79

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	03 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय (गैर-योजना)			
	मूल 70.00}	4,70.00	52.41	(-)4,17.59
	अनुपूरक 4,00.00}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
6.	003 शिक्षा और प्रशिक्षण 01 प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना)			
	मूल 11,98.93}	11,49.80	10,57.90	(-)91.90
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)49.14}			
बकाये वेतन के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 49.14 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 91.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
7.	101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 07 विशेष शाखा-लोक सभा चुनाव, 2014 (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 50.00}	50.00	10.62	(-)39.38
8.	104 विशेष पुलिस 72 इंडिया रिजर्व बटालियन, लोक सभा चुनाव, 2014 (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,20.00}	2,20.00	66.81	(-)1,53.19

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	109 03 जिला पुलिस थाना कार्यालय का व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	79.71	(-)40.29
10.	70 जिला कार्यकारी बल- लोक सभा चुनाव, 2014 (गैर-योजना)			
	मूल 35,00.00}	35,00.00	9,02.61	(-)25,97.39
11.	110 01 ग्राम पुलिस चौकीदार दफादार स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,11,67.01} अनुपूरक 67.82}	2,12,34.83	1,53,63.86	(-)58,70.97
12.	02 मानकी मुण्डा डाकुआ के लिये सम्मान (गैर-योजना)			
	मूल 11,50.00}	11,50.00	9,27.10	(-)2,22.90
13.	111 01 रेल पुलिस बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)			
	मूल 1,63.12}	1,63.12	89.41	(-)73.71
14.	02 आर्डर पुलिस (गैर-योजना)			
	मूल 66,07.13} अनुपूरक 0.02}	66,07.15	46,93.32	(-)19,13.83

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	114 बेतार और कम्प्यूटर 01 संकेत (गैर-योजना)			
	मूल 25,59.51}	25,59.53	18,95.31	(-)6,64.22
	अनुपूरक 0.02}			
16.	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 43 पुलिस आधुनिकीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	5,50.00	3,24.12	(-)2,25.88
	अनुपूरक 5,00.00}			
17.	800 अन्य व्यय 69 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा (योजना)			
	मूल 63,50.00}	63,50.00	33,70.00	(-)29,80.00
18.	2056 जेल 101 जेल 02 जिला जेल (गैर-योजना)			
	मूल 37,81.62}	50,06.96	44,36.66	(-)5,70.30
	अनुपूरक 12,25.34}			
19.	03 उप जेल (गैर-योजना)			
	मूल 6,10.44}	8,67.74	7,80.23	(-)87.51
	अनुपूरक 2,57.30}			
20.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 105 विशेष जाँच आयोग 01 राज्य मानवाधिकार आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 1,56.40}	1,98.48	81.68	(-)1,16.80
	अनुपूरक 42.08}			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	106 सिविल रक्षा 04 अग्नि सेवा (गैर-योजना)			
	मूल 1,76.55}	1,98.17	1,62.18	(-)35.99
	अनुपूरक 21.62}			
22.	107 होमगार्ड 05 ग्राम सभा चुनाव (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 11,50.00}	11,50.00	6,71.80	(-)4,78.20
23.	800 अन्य व्यय 09 उग्रवादी घटनाओं में मारे गए/घायल कर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	1,16.25	(-)6,83.75
24.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य व्यय 01 स्थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण पर्वद (गैर-योजना)			
	मूल 1,71.11}	1,71.90	1,27.71	(-)44.19
	अनुपूरक 0.79}			
25.	03 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	1,65.58	(-)59.42

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	05 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,24.75	(-)1,25.25

उपर्युक्त बीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2055 पुलिस 001 निदेशन एवं प्रशासन 07 असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 35.00}	35.00	0.00	(-)35.00
2.	104 विशेष पुलिस 71 पैदल सैन्य पुलिस- लोक सभा चुनाव, 2014 (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 4,40.00}	4,40.00	0.00	(-)4,40.00
3.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 10 शहीद सम्मान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 35.00 लाख, ₹ 4,40.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

पूँजी:

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 16 नये उप-कारा का निर्माण एवं सुधार (योजना)	3,40.00}	3,40.00	2,82.07	(-)57.93
2.	28 कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर घेराबंदी (योजना)	3,00.00}	3,00.00	2,48.03	(-)51.97
3.	43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (योजना)	34,11.70}	25,61.70	25,19.98	(-)41.72
	पुनर्वि० (-)8,50.00}				
4.	45 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)	12,00.00}	12,00.00	1,00.00	(-)11,00.00
5.	45 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (योजना)	7,48.30}	7,48.30	6,06.61	(-)1,41.69

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 57.93 लाख एवं ₹ 51.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अधिक बजट का प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 8,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 41.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	72 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (के०यो०यो०)			
	मूल 23,70.00}	23,70.00	7,24.22	(-)16,45.78
7.	73 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 35,70.00}	35,70.00	31,84.50	(-)3,85.50
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर्य घेराबंदी, चहारदीवारी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,25.27	(-)74.73

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 42 कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
2.	4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54 जिला समादेष्टा, गुमला का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 31.43}	31.43	0.00	(-)31.43

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	55 गृह रक्षा वाहिनी, गुमला के लिये 'सी' टाईप आवास का निर्माण (योजना)			
	मूल 29.76}	29.76	0.00	(-)29.76
4.	56 गृह रक्षा वाहिनी, गुमला के लिये 'ए' टाईप आवास का निर्माण (योजना)			
	मूल 31.50}	31.50	0.00	(-)31.50
5.	60 अग्निशालय, आदित्यपुर के कार्य पूरा करने हेतु (योजना)			
	मूल 54.30}	54.30	0.00	(-)54.30
6.	61 दुमका एवं लोहरदगा के निष्प्रयोजित किये गये फायर इंजन के विरूद्ध नये इंजन का क्रय (योजना)			
	मूल 79.00}	79.00	0.00	(-)79.00
7.	800 अन्य व्यय 52 जिला समादेष्टा कार्यालय, बोकारो का निर्माण (योजना)			
	मूल 39.15}	39.15	0.00	(-)39.15
8.	59 डाल्टेनगंज अग्निशाला हेतु निष्प्रयोजित के विरूद्ध नये फायर इंजन का क्रय (योजना)			
	मूल 39.50}	39.50	0.00	(-)39.50

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,02,53,29}	3,68,43,07	2,19,86,37	(-)1,48,56,70
अनुपूरक	65,89,78}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	1,00,00}	1,00,00	1,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 1,48,56.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 57,13.32 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 8,76.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65,89.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 58 रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (योजना)	3,00.00}	3,00.00	2,56.59	(-)43.41
2.	103 हस्तकरघा उद्योग 60 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)	10,00.00}	10,00.00	13.00	(-)9,87.00
3.	60 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (योजना)	3,00.00}	3,00.00	18.75	(-)2,81.25
4.	104 हस्तशिल्प उद्योग 04 हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)	4,90.00}	4,90.00	3,92.05	(-)97.95
5.	107 रेशम उत्पादन उद्योग 12 सिल्क दूतों के माध्यम से न्यूक्लियस सीड रियरींग (योजना)	1,28.70}	1,28.70	75.88	(-)52.82

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	16 रेशम के विकास की योजना- केन्द्रीय परियोजना हेतु मैचिंग ग्रांट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40,00.00}	80,00.00	16,32.61	(-)63,67.39
	अनुपूरक 40,00.00}			
7.	29 तसर कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,35.00}	1,35.00	80.91	(-)54.09
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 बाँस शिल्पी प्रशिक्षण-सह- उत्पादन केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	37.80	(-)1,62.20
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,75.00	1,17.59	(-)57.41
10.	09 हथकरघा विकास योजना- अध्ययन भ्रमण/प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	11.00	(-)39.00
11.	11 झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रबंधकीय अनुदान (योजना)			
	मूल 2,70.00}	3,58.70	2,64.55	(-)94.15
	अनुपूरक 88.70}			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	25 रिलिंग स्पीनिंग के लिये सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 13,58.00}	13,58.00	4,96.55	(-)8,61.45
13.	26 रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 1,42.00}	1,42.00	1,05.71	(-)36.29
14.	29 तसर कीटपालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,01.24	(-)98.76
15.	46 रेशम का विकास- रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकिलियस सीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 73.00}	73.00	43.66	(-)29.34
16.	55 खादी पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	1,75.00	(-)50.00
उपर्युक्त सोलह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
	2852 उद्योग			
	80 सामान्य			
	102 औद्योगिक उत्पादकता			
17.	05 भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,25.00	1,68.00	(-)57.00
	पुनर्वि० (-)75.00}			

राज्य औद्योगिक निति, 2001 के अन्तर्गत बकायों के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 57.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	07 एसाईड योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	6,29.00	(-)2,71.00
19.	07 एसाईड योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,09.60	(-)90.40
20.	44 विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,18.93	(-)81.07
21.	66 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	24,00.00	1,53.18	(-)22,46.22
	अनुपूरक 12,00.00}			
22.	66 खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00}	8,00.00	52.83	(-)7,47.17
	अनुपूरक 4,00.00}			
23.	67 औद्योगिक गलियारे हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	11.24	(-)88.76

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	796 10 जनजातीय क्षेत्र उपयोग औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)	5,00.00}	5,00.00	3,20.86 (-1,79.14)
25.	30 सूद अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)	50.00}	50.00	2.95 (-47.05)
26.	52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)	65.00}	65.00	15.92 (-49.08)
27.	61 वास्तविक वाणिज्य-कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सबसिडी (योजना)	10,00.00}	10,00.00	6,88.82 (-3,11.18)

उपर्युक्त दस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2851 796 07 ग्राम तथा लघु उद्योग जनजातीय क्षेत्र उपयोग बाँस सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)	1,25.00}	1,25.00	0.00 (-1,25.00)

₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	2852 उद्योग 80 सामान्य 102 औद्योगिक उत्पादकता 19 उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु भू-अर्जन- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	75.00	0.00	(-)75.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			
<p>राज्य औद्योगिक नीति, 2001 के अन्तर्गत बकायों के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 75.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
3.	68 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (योजना)			
	मूल 50.00}	40.00	0.00	(-)40.00
	पुनर्वि० (-)10.00}			
<p>विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 40.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
4.	70 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
5.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	70 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
7.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00
8.	74 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वैट पर अनुदान (योजना)			
	मूल 5,10.00}	5,10.00	0.00	(-)5,10.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(v) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग			
44 नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)			
मूल 1,70.00}	1,70.00	4,79.00	+3,09.00

₹ 3,09.00 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4220 सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	69,53,34}	84,95,10	65,07,18	(-)19,87,92
अनुपूरक	15,41,76}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 17,94,07

पूँजी :

मूल	45,00}	45,00	45,00	00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 19,87.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 41.76 लाख) और मार्च 2015 (₹ 15,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15,41.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,94.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 19,87.92 लाख) से ₹ 1,93.85 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
----------	-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

1.	2220 सूचना तथा प्रचार			
	01 फिल्म			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 6,09.37}	4,22.95	4,01.37	(-)21.58
	अनुपूरक 23.57}			
	पुनर्वि० (-)2,09.99}			

बकाया विपत्रों के भुगतान किये जाने के कारण ₹ 3.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि एवं ₹ 6.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,07.74 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं ₹ 21.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

2.	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
	02 जिला मोबाईल इकाई (गैर-योजना)			
	मूल 13,12.40}	5,79.26	5,60.13	(-)19.13
	अनुपूरक 18.18}			
	पुनर्वि० (-)7,51.32}			

बकाये विपत्रों के भुगतान किये जाने के कारण ₹ 3.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 7,54.32 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं ₹ 19.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैग्स, होर्डिंग्स, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,33.94	1,34.22	+0.28
	पुनर्वि० (-)16.06}			

₹ 16.06 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 0.28 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	21 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म उत्पादन (योजना)			
	मूल 5,25.00}	2,23.20	2,23.20	0.00
	पुनर्वि० (-)3,01.80}			
	₹ 3,01.80 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 75.00}	55.51	55.51	0.00
	पुनर्वि० (-)19.49}			
	₹ 19.49 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
6.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैग्स, होर्डिंग, पंपलेट पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,05.26	1,84.50	(-)20.76
	पुनर्वि० (-)44.74}			
	₹ 65.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
7.	20 क्षेत्रीय प्रचार योजना- शोध एवं अन्वेषण योजना (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.51	(-)19.49
	₹ 19.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
8.	21 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म उत्पादन (योजना)			
	मूल 9,50.00}	5,58.24	5,58.43	+0.19
	पुनर्वि० (-)3,91.76}			
	₹ 3,91.76 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं ₹ 0.19 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2220 सूचना तथा प्रचार			
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
1.	20 अनुसंधान, शोध एवं कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
2.	23 नई दिल्ली में सूचना केन्द्र की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 45.00}	45.00	0.00	(-)45.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 45.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 25 - सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	1,89,90}	2,78,90	2,45,89	(-)33,01
अनुपूरक	89,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 33.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 39.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 89.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 13.00}	13.00	0.00	(-)13.00
2.	06 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 12.00}	12.00	0.00	(-)12.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 13.00 लाख एवं ₹ 12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2230	श्रम तथा रोजगार		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	10,95,17,51}	12,33,60,55	8,83,65,92	(-)3,49,94,63
अनुपूरक	1,38,43,04}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 फरवरी 2015)				27,82

पूंजी :

मूल	90,94,60}	95,94,60	49,77,21	(-)46,17,39
अनुपूरक	5,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 3,49,94.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 96,76.35 लाख), जनवरी 2015 (₹ 40,40.07 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 1,26.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,38,43.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 27.82 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,49,94.63 लाख) से ₹ 3,49,66.81 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 05-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 05-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) एवं 05-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,05.92 लाख, ₹ 2,65.40 लाख, ₹ 16,71.05 लाख एवं ₹ 8,62.78 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 74,16.00 लाख, ₹ 30,46.30 लाख, ₹ 2,41,39.08 लाख एवं ₹ 87,67.46 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 21 कर्मचारी राज्य बीमा योजना (गैर-योजना)			
	मूल 14,22.64} अनुपूरक 0.02}	14,22.66	12,46.03	(-)1,76.63
2.	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 001 निदेशन और प्रशासन 01 श्रमायुक्त (गैर-योजना)			
	मूल 2,98.29} अनुपूरक 32.02} पुनर्वि० (-)1.75}	3,28.56	1,87.79	(-)1,40.77
3.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्यूपिंग एव सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	46.22	(-)53.78
4.	101 औद्योगिक संबंध 05 औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 3,24.78} अनुपूरक 0.05} पुनर्वि० 1.75}	3,26.58	2,04.32	(-)1,22.26

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	06 श्रम कानूनों का प्रर्वत्तन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 4,04.99}	4,14.29	2,75.41	(-)1,38.88
	अनुपूरक 9.30}			
6.	07 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (गैर-योजना)			
	मूल 13,24.11}	13,38.63	10,74.27	(-)2,64.36
	अनुपूरक 14.52}			
7.	102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा			
	01 स्टीम बायलर के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 1,19.90}	1,19.90	68.58	(-)51.32
8.	02 कारखानों के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 5,52.95}	5,69.83	3,71.82	(-)1,98.01
	अनुपूरक 16.88}			
9.	103 सामान्य श्रम कल्याण			
	01 शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (गैर-योजना)			
	मूल 3,73.65}	3,76.80	2,15.43	(-)1,61.37
	अनुपूरक 3.15}			
10.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	5,00.93	(-)2,99.07

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 82.40}	82.40	6.63	(-)75.77
12.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	1,94.72	(-)2,05.28
13.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 30.90}	30.90	0.43	(-)30.47
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 बाल श्रमिक आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	10.40	(-)39.50
15.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्विपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,23.66	(-)76.34
16.	09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	42.42	(-)57.58

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	6,99.88	(-)1,00.12
18.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 92.70}	92.70	9.91	(-)82.79
19.	14 श्रम संस्थान की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	15.65	(-)34.35
20.	38 झारखंड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैंटीन की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,30.00}	1,30.00	52.18	(-)77.82
21.	02 रोजगार सेवाएं 101 रोजगार सेवाएं 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 1,48.80}	1,47.07	58.54	(-)88.53
	अनुपूरक 0.23}			
	पुनर्वि० -1.96}			
22.	04 रोजगार कार्यालय का स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 8,41.64}	8,63.12	7,32.35	(-)1,30.77
	अनुपूरक 21.48}			

उपर्युक्त बाईस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 3,69.20}	3,46.88	1,93.58	(-)1,53.30
	अनुपूरक 3.54}			
	पुनर्वि० (-)25.86}			
<p>₹ 25.86 लाख की प्रत्याशित बचत बकाये के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,53.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
24.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 04 तकनीकी शिक्षा निदेशालय का विस्तार (गैर-योजना)			
	मूल 1,04.52}	1,04.52	30.51	(-)74.01
25.	05 मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 59.34}	59.35	19.22	(-)40.13
	अनुपूरक 0.01}			
26.	38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 7,50.00}	7,53.00	3,97.07	(-)3,55.93
	अनुपूरक 3.00}			
27.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचे का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 2,90.00}	2,90.00	1,61.58	(-)1,28.42

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	12.19	(-)2,37.81
29.	101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासन-राज्य परिषद् (गैर-योजना)			
	मूल 29,69.61} अनुपूरक 8.00}	29,77.61	16,10.99	(-)13,66.62
30.	102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण 01 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 95.94}	95.94	50.91	(-)45.03
31.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 38 व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 10,00.00} अनुपूरक 14.00}	10,14.00	6,23.77	(-)3,90.23
32.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 6,90.00}	6,90.00	4,21.48	(-)2,68.52

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
33.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	5.54	(-)2,44.46
34.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 03 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,14,56.96}	2,14,56.96	1,82,76.88	(-)31,80.08
35.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 29,08.80} अनुपूरक 11,91.50}	41,00.30	33,70.24	(-)7,30.06
36.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 5,98.26} अनुपूरक 3,71.42}	9,69.68	5,71.35	(-)3,98.33
37.	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 11,22.00}	11,22.00	4,79.50	(-)6,42.50

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
38.	02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 4,20.80}	4,20.80	2,32.70	(-)1,88.10
39.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 80,46.36}	80.46.36	66,99.93	(-)13,46.43
40.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 10,90.80} अनुपूरक 4,46.83}	15,37.63	12,91.72	(-)2,45.91
41.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 2,26.14}	2,26.14	1,74.87	(-)51.27
42.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,62.20}	12,62.20	6,88.72	(-)5,73.48

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
43.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 32,72.40}	46,12.89	37,32.73	(-)8,80.16
	अनुपूरक 13,40.49}			
44.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 6,51.60}	6,51.60	4,45.48	(-)2,06.12
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
45.	01 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 8,66.78}	8,66.79	7,06.47	(-)1,60.32
	अनुपूरक 0.01}			
	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
46.	08 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,17.98}	2,18.00	1,59.56	(-)58.44
	अनुपूरक 0.02}			
47.	11 सचिवालय कैंटीन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 69.09}	77.95	24.05	(-)53.90
	अनुपूरक 8.86}			

उपर्युक्त चौबीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 001 निदेशन और प्रशासन 40 झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
2.	103 सामान्य श्रम कल्याण 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	25,40.00	0.00	(-)25,40.00
3.	111 श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा 01 झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय नियमावली, 2006) के अन्तर्गत कल्याण बोर्ड का क्रियाकलाप (गैर-योजना)	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)	30.00	0.00	(-)30.00
5.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	9,20.00	0.00	(-)9,20.00

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	40 झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,40.00}	25,40.00	0.00	(-)25,40.00
8.	40 झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
9.	02 रोजगार सेवाएं 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 36 मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 49.96}	49.96	0.00	(-)49.96
10.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 47 पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये भायोबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)			
	मूल 1,40.00}	1,40.00	0.00	(-)1,40.00

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	51 कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 46,23.00}	46,23.00	0.00	(-)46,23.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (योजना)			
	मूल 33.00}	33.00	0.00	(-)33.00
13.	12 कन्सल्टेन्सी (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
14.	47 पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये भायोबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)			
	मूल 2,20.00}	2,20.00	0.00	(-)2,20.00
15.	51 कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 47,57.00}	47,57.00	0.00	(-)47,57.00

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

पूँजी :

(v) ₹ 46,17.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4059 लोक निर्माण-कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 001 निदेशन और प्रशासन 57 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)	1,00.00}	1,00.00	54.02 (-45.98)
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 57 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)	1,00.00}	1,00.00	66.22 (-33.78)
3.	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 203 रोजगार 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)	2,74.60}	2,74.60	1,02.75 (-1,71.85)

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 32,50.00}	32,50.00	25,74.07	(-)6,75.93
5.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	3,15.21	(-)2,84.79
6.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 17,50.00}	17,50.00	10,75.00	(-)6,75.00
7.	03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	68.13	(-)81.87

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 22 ई०एस०आई० चिकित्सालयों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 ई०एस०आई० चिकित्सालयों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	15.00}	15.00	0.00	(-)15.00
3.	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203 रोजगार 04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)	7,50.00}	7,50.00	0.00	(-)7,50.00
4.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)	2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	06 भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	0.00	(-)7,50.00
7.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
8.	07 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नया निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
9.	08 कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश- 70: राज्यांश-30) (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 3,50.00}	3,50.00	0.00	(-)3,50.00

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	08 कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश- 70 : राज्यांश-30) (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-),50.00

उपर्युक्त दस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(ix) निम्नलिखित मामले में अधिक व्यय हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
06 भवनों का निर्माण (योजना)			
मूल 55.00}	55.00	1,13.62	+58.62

₹ 58.62 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	2,60,07,32}	2,87,51,88	2,16,72,68
अनुपूरक	27,44,56}		(-70,79,20

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 70,79.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 19,42.76 लाख), जनवरी 2015 (₹ 5,98.00 लाख) और मार्च 2015 (₹ 2,03.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27,44.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता, 04-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडिशियल अकादमी) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 58.25 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 6,32.46 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2014 न्याय प्रशासन			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			
1.	01 सिविल और सेशन न्यायालय (गैर-योजना)			
	मूल	2,22,42.45}	2,26,40.40	1,82,61.02
	अनुपूरक	3,97.95}		(-43,79.38

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	04 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला जजों के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)			
	मूल 1,58.40}	1,58.40	96.08	(-)62.32
3.	05 13 वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में गठित प्रातः कालीन/सायंकालीन कोर्ट (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	8.26	(-)91.74
4.	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता 01 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)			
	मूल 2,09.46}	2,22.46	1,88.60	(-)33.86
	अनुपूरक 13.00}			
5.	02 निर्धनों को कानूनी सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 3,50.10}	5,30.25	2,30.93	(-)2,99.32
	अनुपूरक 1,80.15}			
6.	08 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ए.डी.आर. केन्द्र में मध्यस्थों/सुलहकर्ताओं का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 5,97.80}	5,97.80	57.76	(-)5,40.04

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	09 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ज्यूडिशियल अकादमी के आधारभूत संरचना हेतु (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	17,92.20	11,43.42	(-)6,48.78
	अनुपूरक 14,92.20}			
8.	10 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों/ लोक अभियोजकों को ज्यूडीशियल अकादमी द्वारा दिया जानेवाला प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,64.40}	3,31.20	1,65.60	(-)1,65.60
	अनुपूरक 66.80}			
	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं			
	090 सचिवालय			
9.	18 विधि विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,41.66}	3,50.68	2,27.92	(-)1,22.76
	अनुपूरक 9.02}			

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2014 न्याय प्रशासन 105 सिविल और सेशन न्यायालय 06 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट बिल्डिंग (गैर-योजना)	2,97.40}	2,97.40	0.00	(-)2,97.40
2.	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता 07 स्थायी लोक अदालत-अध्यक्ष एवं सदस्य के लिये वाहन भत्ता (गैर-योजना)	12.00} अनुपूरक 10.00}	22.00	0.00	(-)22.00
3.	11 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में मेगा लोक अदालत एवं विधिक सहायता (गैर-योजना)	1,98.80}	1,98.80	0.00	(-)1,98.80
4.	116 राज्य प्रशासनिक अधिकरण 01 विधि आयोग (गैर-योजना)	1,00.20}	1,00.20	0.00	(-)1,00.20

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,97.40 लाख, ₹ 22.00 लाख, ₹ 1,98.80 लाख एवं ₹ 1,00.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

विनियोग संख्या - 28 - झारखण्ड का उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
राजस्व :			
मूल	47,89,78}	52,70,89	48,78,53
अनुपूरक	4,81,11}		(-)3,92,36

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 3,92.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 51.61 लाख), जनवरी 2015 (₹ 1,44.50 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 2,85.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,81.11 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) शीर्ष 102-उच्च न्यायालय, 01-उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,82.33 लाख की बचत, जो कि ₹ 49,33.59 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	29,99,38}	30,67,11	21,28,42	(-)9,38,69
अनुपूरक	67,73}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	3,90,00}	3,90,00	16,35	(-)3,73,65
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 9,38.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 48.85 लाख), जनवरी 2015 (₹ 5.36 लाख) और मार्च 2015 (₹ 13.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 67.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	14,47.61	9,46.98	(-)5,00.63
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
1.	001 निदेशन और प्रशासन	14,47.61	9,46.98	(-)5,00.63
	01 खनन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 13,93.42}			
	अनुपूरक 54.19}			
2.	01 खनन स्थापना (योजना)	2,30.00	1,20.58	(-)1,09.42
	मूल 2,30.00}			
3.	102 खनिज खोज	3,72.40	82.41	(-)2,89.99
	01 भूतात्विक एवं प्रायोगिक कार्य (योजना)			
	मूल 3,72.40}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 5,00.63 लाख, ₹ 1,09.42 लाख एवं ₹ 2,89.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(iv) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(v) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,50.00	16.36	(-)2,33.64
	02 अलौह धातु तथा विकास			
1.	004 अनुसंधान तथा विकास	2,50.00	16.36	(-)2,33.64
	01 खनन स्थापना- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 2,50.00}			

₹ 2,33.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-					
(vi) क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	02	अलौह धातु			
	004	अनुसंधान तथा विकास			
	03	भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल	1,20.00}	1,20.00	0.00	(-)1,20.00
2.	800	अन्य व्यय			
	04	चेकपोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल	20.00}	20.00	0.00	(-)20.00

उपर्युक्त दोनों मामलों ₹ 1,20.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,02,35}	2,02,56	1,33,96	(-)68,60
अनुपूरक	21}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	89,10,00}	1,27,26,50	53,53,43	(-)73,73,07
अनुपूरक	38,16,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान 01 झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, राँची (गैर-योजना)	13.13	2.30	(-)10.83
2.	02 झारखण्ड राज्य हज समिति, राँची को अनुदान (गैर-योजना)	27.67	6.40	(-)21.27
3.	102 धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन 01 झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण (गैर-योजना)	37.95	22.77	(-)15.18
4.	2251 सविचालय-सामाजिक सेवाएं 090 सविचालय 13 झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (गैर-योजना)	1,07.57	87.20	(-)20.37

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 10.83 लाख, ₹ 21.27 लाख, ₹ 15.18 लाख एवं ₹ 20.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(iii) ₹ 73,73.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 38,16.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(iv) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(v) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 01 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (योजना)	1,50.00}	1,50.00	1,04.54	(-)45.46
2.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०) अनुपूरक 38,16.50}	38,16.50	40.50	(-)37,76.00	
3.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना) मूल 2,00.00}	2,00.00	1,12.36	(-)87.64	
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (योजना)	1,50.00}	1,50.00	1,28.70	(-)21.30
5.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०) मूल 10,00.00}	10,00.00	7,01.52	(-)2,98.48	

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	10.64	(-)1,89.36
7.	17 अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 14,00.00}	14,00.00	6,73.68	(-)7,26.32

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 04 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
2.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
5.	09 अल्पसंख्यक जाति के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
6.	09 अल्पसंख्यक जाति के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
7.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
8.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00

उपर्युक्त आठ मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं				
राजस्व :				
मूल	82,44}	86,20	37,13	(-)49,07
अनुपूरक	3,76}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 49.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2015 (₹ 0.01 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 3.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
090 सचिवालय				
22 संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)				
मूल	82.44}	86.20	37.13	(-)49.07
अनुपूरक	3.76}			

₹ 49.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 32 - विधान मंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :				
दत्तमत:				
मूल	54,19,27}	57,01,88	50,25,35	(-)6,76,53
अनुपूरक	2,82,61}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				6,73,94
प्रभारित :				
मूल	26,01}	26,01	15,54	(-)10,47
अनुपूरक	शून्य }			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				10,47
टीका एवं टिप्पणियाँ:				
दत्तमत :				

(i) ₹ 6,76.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 81.19 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 2,01.42 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,82.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(ii) शीर्ष 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, 103-विधानमंडल सचिवालय, 01-विधान सभा सचिवालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,41.23 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 38,83.15 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	02 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल 101 विधान सभा 04 सचेतकगण का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,07.29}	55.30	55.30	(-)0.05
	अनुपूरक 4.01}			
	पुनर्वि० (-)56.00}			
₹ 56.00 लाख की प्रत्याशित बचत आचार संहिता लागू रहने एवं माननीय सचेतकगण एवं उनके निजी स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई थी।				
2.	07 सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,19.45	3,11.61	(-)1,07.84
	पुनर्वि० (-)80.55}			
3.	10 सदस्यगण-माननीय सदस्यों के निजी सहायकों का वेतन (गैर-योजना)			
	मूल 1,62.36}	1,12.66	73.30	(-)39.36
	अनुपूरक 7.13}			
	पुनर्वि० (-)56.83}			
₹ 56.83 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय सदस्यों द्वारा निजी स्टाफ की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 39.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
4.	11 सदस्यगण-उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार एवं समारोह (गैर-योजना)			
	मूल 22.00}	0.36	0.36	0.00
	पुनर्वि० (-)21.64}			

₹ 21.64 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय स्पीकर के द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं कराये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

(iii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101 विधान सभा			
05 सदस्यगण (गैर-योजना)			
मूल 8,32.81}	5,46.40	7,04.34	+1,57.94
अनुपूरक 29.00}			
पुनर्वि० (-)3,15.41}			

₹ 3,15.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन की निकासी नहीं किये जाने (₹ 1,15.71 लाख), (ii) प्रक्रिया पूरी नहीं होने (₹ 34.06 लाख), एवं (iii) आचार संहिता लागू रहने तथा दौरा नहीं किये जाने (₹ 1,54.28 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,57.94 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 33 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2220 सूचना एवं प्रचार			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	18,64,03}	19,36,82	15,94,26	(-)3,42,56
अनुपूरक	72,79}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 3,52,99

पूँजी :

मूल	3,00,00}	3,00,00	3,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 3,42.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 37.29 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 35.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 72.79 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,52.99 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,42.56 लाख) से ₹ 10.43 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
----------	-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

1.	2051 लोक सेवा आयोग			
	103 कर्मचारी चयन आयोग			
	01 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 1,31.10}	1,14.29	1,13.80	(-)0.49
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)16.82}			

₹ 17.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

2.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	003 प्रशिक्षण			
	05 श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (एस.के.आई.पी.ए.) (गैर-योजना)			
	मूल 4,80.21}	3,05.09	3,05.09	0.00
	अनुपूरक 0.25}			
	पुनर्वि० (-)1,75.37}			

₹ 1,75.37 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ।

3.	2220 सूचना तथा प्रचार			
	60 अन्य			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	02 राज्य सूचना आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 1,69.37}	1,51.40	1,51.40	0.00
	अनुपूरक 3.01}			
	पुनर्वि० (-)20.98}			

₹ 20.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
01 उपदंडाधिकारी का प्रशिक्षण (योजना)			
मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)1,00.00}			

योजना के प्राक्कलन की अनुपलब्धता के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

**विनियोग संख्या - 34 - झारखंड लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
राजस्व :			
मूल	6,40,90}	6,40,91	(-)1,06,49
अनुपूरक	1 }		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,06,49

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
शीर्ष			
102 राज्य लोक सेवा आयोग			
01 लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
मूल	6,40.90}	5,34.42	0.00
अनुपूरक	0.01}		
पुनर्वि०	(-)1,06.49}		

₹ 1,06.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2053	जिला प्रशासन		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	3,65,17,31}	3,72,76,65	2,73,62,50	(-)99,14,15
अनुपूरक	7,59,34}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015) 96,30,03

पूजी :

मूल	4,00,00}	4,00,00	4,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 99,14.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 35.79 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 7,23.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,59.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 96,30.03 लाख), अंतिम बचत (₹ 99,14.15 लाख)से ₹ 2,84.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 09 योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 4,91.09}	4,42.28	4,11.58	(-)30.70
	अनुपूरक 30.62}			
	पुनर्वि० (-)79.43}			
2.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 03 योजना इकाई का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 5,64.58}	4,47.70	4,41.12	(-)6.58
	अनुपूरक 14.11}			
	पुनर्वि० (-)1,30.99}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 झारखंड राज्य योजना पर्षद (योजना)			
	मूल 5,00.00}	66.69	66.00	(-)0.69
	अनुपूरक 0.69}			
	पुनर्वि० (-)4,34.00}			
4.	17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 57.18}	9.31	9.31	0.00
	पुनर्वि० (-)47.87}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 79.43 लाख, ₹ 1,30.99 लाख एवं ₹ 4,34.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 1 एवं 2 के अन्तर्गत ₹ 30.70 लाख एवं ₹ 6.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

₹ 47.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	26 स्टेट इनोभेटीव कौन्सील फण्ड (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,45.97	1,45.97	0.00
	पुनर्वि० (-)3,54.03}			

₹ 3,54.03 लाख की प्रत्याशित बचत निधि अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	102 बाल कल्याण			
6.	01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 60,00.00}	47,94.85	47,93.30	(-)1.55
	पुनर्वि० (-)12,05.15}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
7.	01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 80,00.00}	44,76.17	44,71.06	(-)5.11
	पुनर्वि० (-)35,23.83}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12,05.15 लाख एवं ₹ 35,23.83 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 5.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
8.	02 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 13,15.84 }	11,46.29	11,46.69	+0.40
	पुनर्वि० (-)1,69.55 }			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	05 प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,21.34 } पुनर्वि० (-)92.51 }	1,28.83	1,28.83	0.00
10.	14 6वीं आर्थिक गणना का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 8,80.27 } पुनर्वि० (-)1,35.07 }	7,45.20	7,45.20	0.00
11.	796 03 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 42.00 } पुनर्वि० (-)31.01 }	10.99	10.99	0.00
12.	14 6वीं आर्थिक गणना का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 8,60.11 } पुनर्वि० (-)1,31.38 }	7,28.73	7,28.68	(-)0.05

उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 34 कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभेसन/ पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि (योजना)			
	मूल 1,50.00 } पुनर्वि० (-)50.00 }	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	796 33 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00 }			
3.	34 कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभेसन/ पी.पी.पी.वर्क शॉप आदि (योजना)			
	मूल 3,50.00 }	1,40.00	0.00	(-)1,40.00
	मूल (-)2,10.00 }			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख एवं ₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
4.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 16 झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,69.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,69.00 }			
5.	205 02 केन्द्रीय सांख्यिकीय अभिकरण 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सांख्यिकी तंत्र के लिए अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 4,80.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,80.00 }			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 16 झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,86.21}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)12,86.21}			
7.	16 झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (योजना)			
	मूल 2,52.89}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,52.89}			

उपर्युक्त चार मामलों में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 7,69.00 लाख, ₹ 4,80.00 लाख, ₹ 12,86.21 लाख एवं ₹ 2,52.89 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2215	जल पूर्ति तथा सफाई			
4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	7,71,41,22}	9,81,39,71	6,19,86,50	(-)3,61,53,21
अनुपूरक	2,09,98,49}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,42,03
(21 जुलाई 2014	: 1,62,94			
31 मार्च 2015	: 25,79,09)			
पूंजी :				
मूल	1,82,65,00}	1,82,65,00	1,39,21,56	(-)43,43,44
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व :				
(i) ₹ 3,61,53.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,62.94 लाख), जनवरी 2015 (₹ 1,90,32.41 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 18,03.14 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,09,98.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 27,42.03 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,61,53.21 लाख) से ₹ 3,34,11.18 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 01-जलपूर्ति, 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, 03-हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुएं-उच्च प्रवाही नलकूप (गैर-योजना) एवं 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 10-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 7,09.61 लाख एवं ₹ 2,61.98 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 88,69.50 लाख एवं ₹ 34,67.79 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जल पूर्ति			
	101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम			
	05 आदित्यपुर जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)			
	मूल 15.00}	27.50	27.50	0.00
	अनुपूरक 48.83}			
	पुनर्वि० (-)36.33}			
2.	07 स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)			
	मूल 80.00}	1,52.81	1,46.46	(-)6.35
	अनुपूरक 1,94.16}			
	पुनर्वि० (-)1,21.35}			
3.	08 नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)			
	मूल 75.00}	1,07.34	1,06.98	(-)0.36
	अनुपूरक 1,07.27}			
	पुनर्वि० (-)74.93}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	09 स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना (गैर-योजना)			
	मूल 13,03.38}	13,49.89	13,45.63	(-)4.26
	अनुपूरक 9,00.09}			
	पुनर्वि० (-)8,53.58}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 36.33 लाख, ₹ 1,21.35 लाख, ₹ 74.93 लाख एवं ₹ 8,53.58 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
5.	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (गैर-योजना)			
	मूल 36,03.77}	33,71.66	29,91.84	(-)3,79.82
	अनुपूरक 48.17}			
	पुनर्वि० (-)2,80.28}			
₹ 2,80.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 2,32.12 लाख) एवं बकाये वेतन का भुगतान किये जाने (₹ 48.16 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 3,79.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
6.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 81,30.00}	1,48,33.40	98,23.55	(-)50,09.85
	अनुपूरक 67,03.40}			
7.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (योजना)			
	मूल 81,30.00}	1,48,33.40	1,30,38.57	(-)17,94.83
	अनुपूरक 67,03.40}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	106 मल-जल सेवाएं 11 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सेनिटेशन) (निर्मल भारत अभियान) (योजना)			
	मूल 39,25.00}	39,25.00	8,74.01	(-)30,50.99
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,35.00} अनुपूरक 27,32.79}	34,67.79	27,42.07	(-)7,25.72
10.	11 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सेनिटेशन) (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	2,68.60	(-)4,81.40
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना विशेष घटक योजना 10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,67,10.00}	1,67,10.00	95,49.60	(-)71,60.40
12.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (योजना)			
	मूल 1,67,10.00}	1,67,10.00	29,26.29	(-)1,37,83.71

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	11 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सेनिटेशन) (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 23,25.00}	23,25.00	11,62.61	(-)11,62.39

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
02 मल-जल तथा सफाई			
105 सफाई सेवाएं			
04 विभागीय भवन (गैर-योजना)			
मूल 75.00}	74.84	0.00	(-)74.84
पुनर्वि० (-)0.16}			

₹ 74.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
01 जल पूर्ति			
101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम			
02 हटिया जलापूर्ति योजना (गैर-योजना)			
मूल 5,65.74}	5,82.86	5,97.78	+14.92
अनुपूरक 1,20.99}			
पुनर्वि० (-)1,03.87}			

₹ 1,03.87 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 14.92 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

पूँजी :

(vi) बचत के किसी भी भाग को प्रतयर्पित नहीं किया गया था।

(vii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जल पूर्ति 102 ग्रामीण जल पूर्ति 02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	68,00.00}	68,00.00	58,52.65	(-)9,47.35

₹ 9,47.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

2.	06 बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)				
	मूल 21,50.00}	18,00.00	13,10.14	(-)4,89.86	
	पुनर्वि० (-)3,50.00}				

योजनाओं के प्रारंभ होने में प्रक्रियात्मक विलंब के कारण ₹ 3,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती की गई। ₹ 4,89.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	106 मल-जल सेवाएं 07 ग्रामीण स्वच्छता योजना (रूरल सेनिटेशन) (योजना)				
	मूल 65.00}	65.00	20.60	(-)44.40	
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)				
	मूल 15,95.00}	15,95.00	8,11.63	(-)7,83.37	

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 ग्रामीण जलपूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 64,70.00}	64,70.00	47,06.39	(-)17,63.61

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 44.40 लाख, ₹ 7,83.37 लाख एवं ₹ 17,63.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

6.	06 बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 9,65.00}	13,15.00	11,01.19	(-)2,13.81
	पुनर्वि० 3,50.00}			

राज्य के विभिन्न जिलों में जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण ₹ 3,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 2,13.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(viii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
07 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सेनिटेशन) (योजना)			
मूल 65.00}	65.00	0.00	(-)65.00

₹ 65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 37 - राजभाषा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	16,20,77}	16,20,80	15,49,95	(-)70,85
अनुपूरक	3}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				61,81

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 61.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 70.85 लाख) से ₹ 9.04 लाख कम था।
- (ii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 094-अन्य स्थापनाएं, 08-राजभाषा स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 9.04 लाख की बचत, जो कि ₹ 14,54.64 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या - 38 - निबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण			
राजस्व :				
मूल	17,13,66}	22,49,14	16,85,62	(-)5,63,52
अनुपूरक	5,35,48}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 5,63.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2015 (₹ 3,34.84 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 2,00.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,35.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	02	स्टाम्प-न्यायिकेतर		
	101	स्टाम्पों की लागत		
1.	01	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	2,99.79	1,92.82
	अनुपूरक	1,99.79}		(-)1,06.97

अनुदान संख्या - 38 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
----------	-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

2.	02 प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
	मूल 1,51.00}	1,82.90	31.90	(-)1,51.00
	अनुपूरक 31.90}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,06.97 लाख एवं ₹ 1,51.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	03 निबंधन 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 12,41.13}	14,16.14	12,68.99	(-)1,47.15
	अनुपूरक 2,00.01}			
	पुनर्वि० (-)25.00}			

₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 1,47.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

4.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 1,93.07}	2,18.07	1,82.16	(-)35.91
	अनुपूरक 25.00}			

निधि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 35.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
01 स्टाम्प-न्यायिक			
101 स्टाम्पों की लागत			
01 केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
मूल 11.00}	1,14.14	0.00	(-)1,14.14
अनुपूरक 1,03.14}			

₹ 1,14.14 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			

राजस्व :

मूल	4,74,68,84}	4,90,96,11	3,26,67,10	(-)1,64,29,01
अनुपूरक	16,27,27}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

(i) ₹ 1,64,29.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 13.27 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 16,14.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,27.27 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 05-आपदा राहत कोष, 101-आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण-राज्य आपदा राहत निधि, 05 राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना) एवं 06-राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,63.00 लाख तथा ₹ 1,88.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,36,52.00 लाख और ₹ 78,84.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 पुनर्वास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
1.	01 स्थापना प्रभार तथा प्राकृतिक विपत्ति (गैर-योजना)			
	मूल	2,87.03}	3,00.30	2,17.40
	अनुपूरक	13.27}		(-)82.90

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	20,00.00	6,20.73	(-)13,79.27
	101 आनुग्राहिक राहत			
	06 अन्य कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	6,20.73	(-)13,79.27
3.	03 अन्य कार्य के लिए राज्य सहायता (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,00.00}	2,00.00	1.00	(-)1,99.00
4.	02 बाढ़, चक्रवात आदि	2,50.00	1,63.44	(-)86.56
	101 आनुग्राहित राहत			
	03 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,63.44	(-)86.56
5.	113 घर को मरम्मत/पुननिर्माण के लिए सहायता	10,00.00	58.69	(-)9,41.31
	02 बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	58.69	(-)9,41.31
6.	114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	75.00	21.82	(-)53.18
	01 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (गैर-योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	21.82	(-)53.18

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	80 सामान्य			
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध			
7.	01 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	0.87	(-)9,99.13
8.	11 बज्रपात से प्रभावित लोगों को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	1,96.46	(-)2,03.54
9.	13 शीत लहर से प्रभावित लोगों को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	58.31	(-)1,41.69
10.	14 अन्तर्राज्यीय आपदा के लिए राहत शिविरों का व्यवस्था (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	1.05	(-)48.95

उपर्युक्त दस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 01 सूखा 101 आनुग्राहिक राहत 01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)	13,00.00}	13,00.00	0.00	(-)13,00.00
2.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)	30,00.00}	30,00.00	0.00	(-)30,00.00
3.	07 कृषि इनपुट अनुदान (50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (गैर-योजना)	15,00.00}	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
4.	08 खाद्यान्न की आपूर्ति के लिये राज्य सहायता (गैर-योजना)	अनुपूरक 7,14.00}	7,14.00	0.00	(-)7,14.00
5.	102 पीने के पानी की पूर्ति 01 ट्रकों एवं टैंकों से पेयजल की दुलाई (गैर-योजना)	10,00.00}	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
6.	02 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)	10,00.00}	10,00.00	0.00	(-)10,00.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	104 चारे की पूर्ति 01 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
8.	282 लोक स्वास्थ्य 01 दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 14,50.00}	14,50.00	0.00	(-)14,50.00
9.	02 बाढ़, चक्रवात आदि 101 आनुग्रहिक राहत 01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
10.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
11.	07 अन्तर्राज्यीय आपदा से प्रभावित लोगों को कम्बलों का वितरण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
12.	08 अन्तर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	09 अन्तर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए औषध वितरण तथा चिकित्सीय सेवा (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00
14.	105 पशु चिकित्सा 01 मवेशी के लिए औषधियाँ (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
15.	282 जन स्वास्थ्य 01 मानव के लिए औषधियाँ (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
16.	80 सामान्य 101 विनाश का सामना करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र 02 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता प्रबंधन का विकास (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
17.	02 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध 102 संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	09 विभिन्न संवर्गों से लिए गये राज्य अधिकारियों के कोर बहुविषयों समूहों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 57.00}	57.00	0.00	(-)57.00
19.	12 भूधसान से प्रभावित व्यक्तियों को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
20.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता प्रबंधन का विकास (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता प्रबंधन का विकास (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00

उपर्युक्त इक्कीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(v) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि:

9वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की योजना बनायी। यह योजना वित्तीय वर्ष 1990-91 में लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी 10वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को 1995-96 से जारी रखने की अनुशंसा की तथा यह वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक जारी रही। पुनः 11वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 2004-05 तक जारी रखने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के प्रशासन एवं संचालन की योजना को वर्ष 2005-2010 के अंत तक जारी रखा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने अपने पत्र संख्या 32-3/2010 एन०डी०एम०-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अधीन वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा मोचन निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया गया। आपदा मोचन निधि में 31 मार्च 2010 के शेष को राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा आपदा मोचन निधि का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए।

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

झारखण्ड के राज्य आपदा मोचन निधि के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक अंशदान की राशि निम्नलिखित होगी:-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
			(करोड़ रुपयों में)			
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	1,94.59	2,04.32	2,14.53	2,25.26	2,36.52	10,75.22
राज्यांश (25 प्रतिशत)	64.86	68.10	71.51	75.08	78.84	3,58.39
जोड़	2,59.45	2,72.42	2,86.04	3,00.34	3,15.36	14,33.61

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

वर्ष 2014-15 के लिये, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या- एफ 23 (33) एफ०सी०डी०/2010 -23 दिनांक 6 अगस्त 2014 एवं एफ० 23(33) एफ०सी०डी०/2010-53 दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिये ₹ 1,18.26 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिये द्वितीय किश्त (₹ 1,12.63 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 37.54 करोड़ का राज्यांश) तथा वर्ष 2014-15 के लिये प्रथम किश्त (₹ 1,18.26 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 39.42 करोड़ का राज्यांश) के रूप में 3,07.85 करोड़ की निधि में स्थानान्तरण हेतु संस्वीकृति निर्गत किया। अतः वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 3,07.85 करोड़ को राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया। वर्ष 2014-15 के लिये एस०डी०आर०एफ० की दूसरी किश्त का निधि में स्थानान्तरण नहीं किया गया। फलस्वरूप वित्त लेखे, 2014-15 में एस०डी० आर० एफ० के शेष के अन्तर्गत ₹ 1,57.68 करोड़ कम रखा गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के जाँचोपरान्त वर्ष 2014-15 से संबंधित ₹ 32.62 करोड़, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिये था। तदनुसार, वर्ष 2014-15 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 32.62 करोड़ नामे किया गया।

अतः 31 मार्च 2015 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 8,66.79 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या - 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,86,59,64}	3,87,03,66	2,87,23,26	(-)99,80,40
अनुपूरक	44,02}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015) 94,32,45

पूंजी :

मूल	21,14,83}	21,14,83	10,42,53	(-)10,72,30
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015) 1,28,30

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (i) मूल प्रावधान में से ₹ 400 मुख्य शीर्ष "2029-भू-राजस्व" के अन्तर्गत उपशीर्षों पर अधिक वितरित किया गया।
- (ii) मूल प्रावधान में से ₹ 500, ₹ 900 एवं ₹ 500 क्रमशः मुख्य शीर्ष "2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन एवं 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं" के अन्तर्गत उप शीर्षों पर कम वितरित किये गये।
- (iii) ₹ 99,80.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 20.05 लाख), जनवरी 2015 (₹ 17.22 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 44.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 94,32.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 99,80.40 लाख) से ₹ 5,47.95 लाख कम था।
- (v) शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य, 15-सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना), 2053-जिला प्रशासन, 093-जिला स्थापनाएं, 01-जिला प्रशासन (गैर-योजना) एवं 094-अन्य स्थापनाएं, 01-अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,50.44 लाख की निवल बचत, ₹ 2,59.02 लाख एवं ₹ 1,74.75 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 21,81.38 लाख, ₹ 55,96.37 लाख एवं ₹ 28,67.94 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)	1,80.00	1,80.00	0.00
	मूल 8,73.00} अनुपूरक (-)6,93.00}			
2.	103 भू-अभिलेख 01 भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)	12.42	12.42	0.00
	मूल 5,80.25} पुनर्वि० (-)5,67.83}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)	12.42	12.42	0.00
	मूल 8,68.00} पुनर्वि० (-)8,55.58}			
4.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)	2,70.00	2,70.00	0.00
	मूल 13,10.00} पुनर्वि० (-)10,40.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 6,93.00 लाख, ₹ 5,67.83 लाख, ₹ 8,55.58 लाख एवं ₹ 10,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	05 आदिवासियों की जमीन की वापसी/अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 70.00}	21.30	11.20	(-)10.10
	अनुपूरक 10.00}			
	पुनर्वि० (-)58.70}			
<p>₹ 58.70 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा आदिवासियों की जमीन वापसी के लिए अधिवक्ताओं की सूची तैयार नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)</p>				
6.	14 भू-संबंधी नक्शा एवं अन्य अभिलेखों का मुद्रण (योजना)			
	मूल 5,81.00}	21.52	21.52	0.00
	पुनर्वि० (-)5,59.48}			
<p>₹ 5,59.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुद्रण प्रेस की स्थापना नहीं होने (₹ 5,00.00 लाख) एवं अधिक बजट प्रावधान (₹ 59.48 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
7.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 04 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 9,24.48}	7,40.63	7,38.44	(-)2.19
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)1,83.86}			
<p>₹ 1,83.41 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने (₹ 1,82.81 लाख) एवं एल०टी०सी० का उपभोग नहीं किये जाने (₹ 0.60 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
8.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 04 प्रमाण-पत्र स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,35.84}	2,35.85	1,50.02	(-)85.83
	अनुपूरक 0.01}			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	101 आयुक्त 01 मुख्य कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 6,83.58}	6,83.60	5,53.12	(-)1,30.48
	अनुपूरक 0.02}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 85.83 लाख एवं ₹ 1,30.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

10.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 03 सर्किट भवन (गैर-योजना)			
	मूल 4,07.20}	1,97.64	1,95.51	(-)2.13
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)2,09.57}			

₹ 2,09.57 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

11.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 कृषि गणना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,40.00}	75.63	73.63	(-)2.00
	पुनर्वि० (-)64.37}			

₹ 64.37 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 19.12 लाख की बचत (i) विपत्र पारित करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने (₹ 1.28 लाख), (ii) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से निधि की विमुक्ति नहीं होने (₹ 5.04 लाख) एवं (iii) मुद्रण कार्य के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 12.80 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 45.25 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,96.75}	1,15.19	1,15.38	+0.19
	पुनर्वि० (-)1,81.56}			

₹ 1,81.56 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान (₹ 1,78.84 लाख) एवं विपत्र पारित करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने (₹ 2.72 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 201 भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) 01 अधिकतम सीमा का निर्धारण और अतिरिक्त भूमि का अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 37.58}	15.49	14.35	(-)1.14
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)22.10}			

₹ 22.10 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,73.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,73.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू- अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 13,10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)13,10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण ₹ 8,73.00 लाख एवं ₹ 13,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

पूँजी :

(vii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,28.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,72.30 लाख) से ₹ 9,44.00 लाख कम था।

(viii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत -
4070 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800 अन्य व्यय			
02 राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)			
मूल 4,00.00}	3,17.63	3,17.63	0.00
पुनर्वि० (-)82.37}			

₹ 82.37 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(ix) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 राजस्व भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 9,44.00}	9,44.00	0.00	(-)9,44.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			
2.	800 अन्य व्यय			
	04 सैरात के अन्तर्गत हाट बाजार इत्यादि का विकास (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

₹ 9,44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,85,21,96}	3,19,34,34	2,79,07,36	(-)40,26,98
अनुपूरक	34,12,38}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूँजी :

मूल	24,89,59,47}	26,13,59,47	24,35,99,45	(-)1,77,60,02
अनुपूरक	1,24,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 40,26.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2015 (₹ 30,19.78 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 3,92.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 34,12.38 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 02-कार्य सम्पादन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,99.19 लाख की बचत, जो कि ₹ 63,19.72 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	3054 सड़क तथा सेतु 03 राज्य राजमार्ग 337 सड़क निर्माण-कार्य 01 सड़क निर्माण-कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,50,00.00	1,49,40.87	(-)59.13
	अनुपूरक 30,00.00}			
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			
₹ 30,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 59.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
2.	80 सामान्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 9,73.50}	39,99.95	27,73.33	(-)12,26.62
	अनुपूरक 26.45}			
	पुनर्वि० 30,00.00}			
उच्चतम न्यायालय में मामला लम्बित रहने के कारण ₹ 30,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 12,26.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
3.	03 अनुश्रवण (योजना)			
	मूल 1,99.85}	1,99.85	1,53.99	(-)45.86
4.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 74.52}	74.52	46.32	(-)28.20
5.	07 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,88.88}	1,88.88	1,61.01	(-)27.87

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	08 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निष्पादन (गैर-योजना)			
	मूल 15,99.50}	16,82.63	13,83.04	(-)2,99.59
	अनुपूरक 83.13}			
7.	09 अग्रिम योजना स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 6,41.53}	6,75.92	5,40.19	(-)1,35.73
	अनुपूरक 34.39}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 कार्य सम्पादन (योजना)			
	मूल 4,32.71}	4,32.71	3,75.09	(-)57.62
9.	03 अनुश्रवन (योजना)			
	मूल 2,41.59}	2,41.59	2,01.49	(-)40.10
10.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 12 पथ निर्माण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,57.81}	1,57.81	1,29.32	(-)28.49

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3054 सड़क तथा सेतु			
01 राष्ट्रीय उच्च पथ			
337 सड़क निर्माण कार्य			
01 राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति (गैर-योजना)			
मूल 14,75.00}	14,75.00	0.00	(-)14,75.00

₹ 14,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(v) ₹ 1,77,60.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2015 (₹ 92,00.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 32,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,24,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vii) शीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 03-राज्य राजमार्ग, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03-पुल (योजना) एवं 10-बीओटी (एनयुटी) परियोजना के एनयुटी भुगतान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,88.33 लाख तथा ₹ 9,51.60 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 95,00.00 लाख तथा ₹ 3,17,00.47 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 राज्य राजमार्ग			
	101 सेतु			
1.	03 पुल (योजना)			
	मूल 1,32,11.00}	1,07,11.00	53,01.02	(-)54,09.98
	पुनर्वि० (-)25,00.00}			

₹ 25,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 54,09.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	337 37 01 वृहत सड़कें (योजना)			
	मूल 8,50,00.00}	8,80,00.00	7,37,52.14	(-)1,42,47.86
	अनुपूरक 30,00.00}			
3.	796 06 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
	मूल 3,48.00}	3,48.00	3.51	(-)3,44.49

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,42,47.86 लाख तथा ₹ 3,44.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(viii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपस्कर			
06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(ix) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
799 उच्चत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	0.00	35,82.24	+35,82.24

₹ 35,82.24 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(x) उच्चत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 35,82.24 लाख (निवल) का उपयोग "उच्चत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

(i) स्टॉक - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों का सूचक है।

(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अन्तशेष
(i) 3054-सड़क तथा सेतु विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
जोड़	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अन्तशेष
(लाख रुपयों में)					
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय					
स्टॉक-	(-)1.26@	0.00	0.00	0.00	(-)1.26
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	5,16,98.91@	69,46.94	33,64.70	35,82.24	5,52,81.15
जोड़	5,16,97.65@	69,46.94	33,64.70	35,82.24	5,52,79.89

(xi) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु” में प्रतिस्पर्शी नामों द्वारा शीर्ष “8224-केन्द्रीय सड़क निधि” में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

राज्य सरकार की अंतर्गत राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष ‘3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान’ में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष ‘1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान’ में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” में प्रतिस्पर्शी नामों द्वारा शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष ‘3054/5054’ में पुस्तांकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष “3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि” में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष “8449-अन्य जमा” में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया यद्यपि, वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार से ₹ 29,14.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” में अन्तरण के लिए “शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” के अन्तर्गत अनुपूरक बजट, 2015-16 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रखा गया है।

(@) आदि शेष को वित्त लेखे के साथ पुनरीक्षित एवं पुनर्मिलान किया गया है।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(xii) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2012-13	16,91,46.78	91,67.76	5.42	3,10.06	0.18
2013-14	19,29,16.31	98,64.43	5.11	2,55.35	0.13
2014-15	22,42,05.70	1,19,11.00	5.31	3.51	0.00

**अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2053 जिला प्रशासन			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	33,26,88,78}	37,29,25,55	18,22,47,11	(-)19,06,78,44
अनुपूरक	4,02,36,77}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूँजी :

मूल	2,31,50,00}	2,31,50,00	4,01,02,91	+1,69,52,91
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) मूल प्रावधान में से ₹ 29,50.00 लाख मुख्य शीर्ष “2053-जिला प्रशासन” के अन्तर्गत उपशीर्षों पर अधिक वितरित किया गया तथा ₹ 38,94.86 लाख मुख्य शीर्ष - “2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम” के अन्तर्गत उपशीर्षों पर कम वितरित किया गया।

(ii) ₹ 19,06,78.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (36,00.05 लाख), जनवरी 2015 (₹ 2,16,36.72 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 1,50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,02,36.77 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(iv) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 10-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,35.64 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 1,68,78.33 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2053 जिला प्रशासन 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	14,70.00}	14,70.00	9,84.00	(-)4,86.00
	09 जिला योजना-चरम कार्य (योजना)				
2.	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	5,88.00}	5,88.00	1,22.50	(-)4,65.50
	02 सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	101 लघु सिंचाई				
3.	01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)	1,80.00}	1,80.00	37.50	(-)1,42.50
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	4,32.00}	4,32.00	90.00	(-)3,42.00
	01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)				

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	03 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम- जल छाजन निदेशालय (योजना)			
	मूल 1,01.75}	92.10	43.30	(-)48.80
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)9.66}			
	06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
	101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना			
6.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 51,11.00}	51,11.00	8,29.99	(-)42,81.01
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
7.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 51,75.00}	51,75.00	7,56.17	(-)44,18.83
8.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 16,05.00}	16,05.00	2,55.26	(-)13,49.74
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
9.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 18,90.00}	18,90.00	4,71.44	(-)14,18.86

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 6,06.00}	6,06.00	1,52.87	(-)4,53.13
11.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,31,10.00}	1,31,10.00	18,14.81	(-)1,12,95.19
12.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 41,43.00}	41,43.00	10,08.04	(-)31,34.96
13.	800 अन्य व्यय 04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 17,10.00}	17,10.00	4,57.81	(-)12,52.19
14.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 5,70.00}	5,70.00	1,35.94	(-)4,34.06
15.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,74,15.00}	1,74,15.00	24,70.16	(-)1,49,44.84

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम	2,64,60.00	58,91.51	(-)2,05,68.49
	702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
17.	मूल	2,64,60.00}	2,64,60.00	
	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
18.	मूल	88,20.00}	88,20.00	(-)66,58.51
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
19.	मूल	81,00.00}	81,00.00	(-)38,69.58
	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
20.	मूल	27,00.00}	27,00.00	(-)10,68.67
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 नरेगा-मुख्यालय स्थापना (योजना)			
21.	मूल	1,80.00}	1,80.00	(-)1,36.52
	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल	1,94,40.00}	1,94,40.00	(-)85,31.79

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
22.	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 64,80.00}	64,80.00	39,54.44	(-)25,25.56
23.	03 इंदिरा आवास के लिए प्रशासनिक व्यय (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	12.36	(-)37.64
24.	04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,27,65.00}	7,27,65.00	3,54,92.37	(-)3,72,72.63
	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
25.	04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 80,85.00}	1,90,85.00	1,46,76.74	(-)44,08.26
	अनुपूरक 1,10,00.00}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,22,75.00}	2,22,75.00	1,08,65.01	(-)1,14,09.99
27.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 24,75.00}	92,90.00	79,40.53	(-)13,49.47
	अनुपूरक 68,15.00}			
28.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,34,60.00}	5,34,60.00	2,60,76.03	(-)2,73,83.97
29.	04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 59,40.00}	2,34,40.00	2,02,01.28	(-)32,38.72
	अनुपूरक 1,75,00.00}			
30.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 22,05.00}	22,05.00	8,70.00	(-)13,35.00

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
31.	34 प्रखंड कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 6,60.00}	6,60.00	4,77.36	(-)1,82.64
32.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 6,75.00}	6,75.00	3,60.00	(-)3,15.00
33.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)			
	मूल 3,13.39}	3,13.39	1,65.86	(-)1,47.53
34.	28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 16,20.00}	16,20.00	8,64.00	(-)7,56.00

उपर्युक्त चौंतीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत -
1.	2053 जिला प्रशासन 800 अन्य व्यय 09 जिला योजना- अनाबद्ध कार्य (योजना)			
	मूल 24,64.00}	24,64.00	0.00	(-)24,64.00

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2.	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	02	सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
	101	लघु सिंचाई			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	52,92.00}	52,92.00	0.00	(-)52,92.00
3.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल	16,20.00}	16,20.00	0.00	(-)16,20.00
4.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल	38,88.00}	38,88.00	0.00	(-)38,88.00
5.	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	40	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- (योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

उपर्युक्त पांच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

पूँजी:

- (vi) अनुदान से ₹ 1,69,52,91,218 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (vii) ₹ 1,69,52.91 लाख के अंतिम अधिक व्यय के बावजूद भी अनुपूरक अनुदान प्राप्त नहीं किया गया।
- (viii) अधिक व्यय (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
103 ग्राम विकास			
21 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर भवन का निर्माण (योजना)			
मूल 30,37.50}	30,37.50	2,00,53.49	+1,70,15.99

₹ 1,70,15.99 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(ix) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उचंत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 का अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
जोड़	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
जोड़	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16

**अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	77,13,19}	1,41,04,35	1,19,73,79	(-)21,30,56
अनुपूरक	63,91,16}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015)

10,84,91

पूंजी :

मूल	1,42,60,00}	1,42,60,00	50,96,63	(-)91,63,37
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2015)

44,32,29

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 21,30.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 10,03.55 लाख), जनवरी 2015 (₹ 1,14.86 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 52,72.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 63,91.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,84.91 लाख), अंतिम बचत (₹ 21,30.56 लाख) से ₹ 10,45.65 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,63.21}	1,42.13	1,23.13	(-)19.00
	अनुपूरक 9.00}			
	पुनर्वि० (-)30.08}			
2.	105 बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय 44 राजकीय पॉलिटेक्नीकों/खनन् संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 3,70.00}	4,37.25	4,40.40	+3.15
	अनुपूरक 2,31.08}			
	पुनर्वि० (-)1,63.83}			
3.	112 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 02 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 11,10.00}	9,16.50	2,16.50	(-)7,00.00
	पुनर्वि० (-)1,93.50}			
4.	45 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 17,74.23}	22,76.94	21,65.46	(-)1,11.48
	अनुपूरक 6,48.08}			
	पुनर्वि० (-)1,45.37}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 3,90.00}	3,84.32	1,83.72	(-)2,00.60
	पुनर्वि० (-)5.68}			
6.	44 राजकीय पॉलिटैक्नीकों/खनन् संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 1,30.00}	73.08	70.75	(-)2.33
	पुनर्वि० (-)56.92}			
7.	62 तकनीकी शिक्षा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना- निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 92.30}	14.72	14.72	0.00
	पुनर्वि० (-)77.58}			
8.	3451 090 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं सचिवालय 03 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,08.65}	81.53	65.53	(-)16.00
	अनुपूरक 0.52}			
	पुनर्वि० (-)27.64}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 1, 3, 4, 5, 8 के अन्तर्गत ₹ 19.00 लाख, ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 1,11.48 लाख, ₹ 2,00.60 लाख, ₹ 16.00 लाख की अंतिम बचत एवं क्रम सं० 2 के अन्तर्गत ₹ 3.15 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 004 अनुसंधान 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,48.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,48.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 52.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -52.00}			
3.	800 अन्य व्यय 70 इंस्टीट्यूशन नेटवर्किंग और सहयोग (योजना)			
	मूल 37.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)37.00}			
4.	71 स्मार्ट क्लास रूमस (योजना)			
	मूल 22.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)22.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,48.00 लाख, ₹ 52.00 लाख, ₹ 37.00 लाख एवं ₹ 22.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 44,32.29 लाख), अंतिम बचत (₹ 91,63.37 लाख) से ₹ 47,31.08 लाख कम था।

(vi) शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 02-तकनीकी शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,00.80 लाख की बचत, जो कि ₹ 23,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (के०यो०यो०)	16,45.55	16,45.55	0.00
	मूल 50,00.00} पुनर्वि० (-)33,54.45}			
2.	06 तकनीकी शिक्षा संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)	60,42.97	13,11.89	(-)47,31.08
	मूल 66,60.00} पुनर्वि० (-)6,17.03}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 33,54.45 लाख एवं ₹ 6,17.03 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 2 के अन्तर्गत ₹ 47,31.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान			
	04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 1,92.40}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,92.40}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 67.60}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)67.60}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,92.40 लाख एवं ₹ 67.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 44 - मानव संसाधन विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2205	कला एवं संस्कृति			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	6,04,74}	6,08,75	5,47,69	(-)61,06
अनुपूरक	4,01}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				44,49

टीका और टिप्पणियाँ :

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 44.49 लाख), अंतिम बचत (₹ 61.06 लाख) से ₹ 16.57 लाख कम था।
- (ii) शीर्ष 2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं, 090-सचिवालय, 01-शिक्षा विभाग (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 39.22 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 4,33.83 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
शीर्ष				
2205	कला एवं संस्कृति			
105	सार्वजनिक पुस्तकालय			
01	सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)			
मूल	54.95}	54.95	40.29	(-)14.66

₹ 14.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 45 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	91,27,66}	97,30,85	49,09,68	(-)48,21,17
अनुपूरक	6,03,19}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	30,50,00}	31,64,50	11,68,80	(-)19,95,70
अनुपूरक	1,14,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 48,21.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 3.19 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,03.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 21 ई-गवर्नेंस-सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	20,00.00	13,02.93	(-)6,97.07
2.	63 ई-गवर्नेंस-आपदा प्रबंधन/ गृह/स्वास्थ्य आदि सभी विभागों के लिए ग्रीवांस एवं एमरजेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)	2,00.00	47.62	(-)1,52.38
3.	68 आई०आई०आई०टी० की स्थापना (योजना)	50.00	13.00	(-)37.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 45 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	1,00.04	74.20	(-)25.84
5.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 02 सूचना प्रावैधिकी विभाग (गैर-योजना)	1,77.66 अनुपूरक 3.19	1,40.83	(-)40.02

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 17 ई-गवर्नेंस (योजना)	50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
2.	61 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में यूनिक आइडेन्टीफिकेशन के तहत बी०पी०एल० के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)	32,25.00}	32,25.00	0.00	(-)32,25.00
3.	65 आई०टी० पार्क की स्थापना (योजना)	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
4.	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
5.	86 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अनुदान (योजना)	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
6.	87 ई-नागरिक (योजना)	30.00}	30.00	0.00	(-)30.00

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	93 ई-मुलाकात (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
8.	96 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
9.	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) ₹ 19,95.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,14.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
72 स्टेट डाटा सेंटर (भवन) का निर्माण (योजना)			
मूल 2,00.00}	2,00.00	1,04.30	(-)95.70

₹ 95.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

(viii) बचत निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 70 साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण (योजना)			
	मूल 17,00.00}	17,00.00	0.00	(-)17,00.00
2.	73 आई०टी०भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 17,00.00 लाख तथा ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	9,65,58}	10,13,32	8,84,97	(-)1,28,35
अनुपूरक	47,74}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (22 जुलाई 2014)				28,75
पूंजी :				
मूल	18,45,00}	19,25,00	13,52,92	(-)5,72,08
अनुपूरक	80,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (21 जूलाई 2014)				80,00
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 1,28.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 39.52 लाख) जनवरी 2015 (₹ 0.01 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 8.21 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 47.74 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,28.35 लाख) से ₹ 99.60 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	3452 पर्यटन 01 पर्यटक अवसंरचना 101 पर्यटक केन्द्र 12 पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	25.73	(-)4.27
	अनुपूरक 14.00}			
	पुनर्वि० (-)14.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	15.44	(-)4.56
	अनुपूरक 14.75}			
	पुनर्वि० (-)14.75}			
उपरोक्त दोनों मामलों में ₹ 14.00 लाख तथा ₹ 14.75 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं ₹ 4.27 लाख तथा ₹ 4.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
3.	80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,09.93}	1,10.70	91.21	(-)19.49
	अनुपूरक 0.77}			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	104 संवर्धन तथा प्रचार 13 कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)	90.00	47.16	(-)42.84
	मूल	90.00}	47.16	(-)42.84

उपरोक्त दोनों मामलों में ₹ 19.49 लाख तथा ₹ 42.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी:

(iv) ₹ 5,72.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 80.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,72.08 लाख) से ₹ 4,92.08 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 62 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरज्म इत्यादि (योजना)	5,60.00	4,15.93	(-)1,44.07
	मूल	4,80.00}	4,15.93	(-)1,44.07
	अनुपूरक	80.00}		

₹ 1,44.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 62 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरज्मि इत्यादि (योजना)			
	मूल 3,20.00}	2,40.00	95.79	(-)1,44.21
	पुनर्वि० (-)80.00}			

₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं ₹ 1,44.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

3.	65 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरज्मि इत्यादि (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	2,26.00	(-)1,73.40

₹ 1,73.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2041	वाहन कर		
3055	सड़क परिवहन		
3075	अन्य परिवहन सेवाएं		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	1,09,99,03}	5,16,99,13	4,75,21,23	(-)41,77,90
अनुपूरक	4,07,00,10}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	3,82,00}	3,82,00	2,23,00	(-)1,59,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 41,77.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 7,00.10 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 4,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,07,00.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2041 वाहन कर 001 निदेशन और प्रशासन 01 राज्य परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,25.98} अनुपूरक 0.02}	1,26.00	95.97	(-)30.03
2.	101 संग्रहण प्रभार 01 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,18.52} अनुपूरक 0.02}	1,18.54	73.21	(-)45.33
3.	02 मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)			
	मूल 8,85.22} अनुपूरक 0.02}	8,85.24	4,50.63	(-)4,34.61
4.	3055 सड़क परिवहन 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01 राज्य पथ परिवहन निगम, झारखंड को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 7,00.00}	7,00.00	98.15	(-)6,01.85
5.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 14 परिवहन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,67.85} अनुपूरक 0.02}	1,67.87	1,23.57	(-)44.30

उपर्युक्त पांच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	3075 अन्य परिवहन सेवाएं	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
	60 अन्य			
	101 लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता			
03 गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (योजना)				
	मूल 10,00.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	20,00.00	0.00	(-)20,00.00
	03 गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (योजना)			
	मूल 20,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10,00.00 लाख एवं ₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	1,13.00	64.51	(-)48.49
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	02 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,13.00}			

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	28.92	(-)11.08
3.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिये यातायात नियम से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 15.00}	15.00	4.58	(-)10.42
4.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	17.02	(-)22.98
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	36.36	(-)23.64
6.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	44.43	(-)15.57

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	14.00	0.00	(-)14.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1.	01 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण (योजना)	14.00	0.00	(-)14.00
	मूल 14.00}			
2.	19 मोटरगाड़ी चालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना) (योजना)	10.00	0.00	(-)10.00
	मूल 10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 14.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व :

मूल	18,37,68,65}	21,91,35,95	11,03,03,51	(-)10,88,32,44
अनुपूरक	3,53,67,30}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	20,93,11}	20,93,11	13,99,10	(-)6,94,01
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 10,88,32.44 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,37.03 लाख), जनवरी 2015 (₹ 48,00.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 3,04,30.27 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,53,67.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,88,32.44 लाख की वृहद अंतिम बचत के बावजूद, बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 नगर निगमों को सहायता 27 नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)	7,67.77	5,36.37	(-)2,31.40
2.	35 कौशल विकास एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)	5,00.00	4,35.66	(-)64.34
3.	36 नगर सुधार हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	5,00.00	50.00	(-)4,50.00
4.	38 शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	6,50.00	2,94.77	(-)3,55.23
5.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)	2,37.05	1,46.10	(-)90.95

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	52 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर निगमों को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 6,85.00}	11,85.00	7,62.22	(-)4,22.78
	अनुपूरक 5,00.00}			
7.	53 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर निगमों को विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 4,28.00}	6,28.00	4,28.00	(-)2,00.00
	अनुपूरक 2,00.00}			
8.	56 शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	4,61.59	(-)7,38.41
9.	59 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 11,25.00}	11,25.00	4,00.00	(-)7,25.00
10.	60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 33,75.00}	33,75.00	6,35.91	(-)27,39.09

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	64 राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) हेतु अनुदान (50:50 एवं 75:25) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 77,81.00}	77,81.00	42,12.02	(-)35,68.98
12.	192 नगरपालिका/नगर परिषद् को सहायता 07 नगर पर्षद/नगरपालिका को उनके नियमितकर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 6,15.63}	6,15.63	4,23.23	(-)1,92.40
13.	08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पर्षदों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 91,07.00}	91,07.00	55,87.16	(-)35,19.84
14.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 3,49.85}	3,49.85	1,41.12	(-)2,08.73

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
15.	53	13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अलोक में नगर पर्षद/नगरपालिका को विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	8,14.00}	8,14.00	4,31.70	(-)3,82.30
16.	193	नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता			
	07	नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	1,11.43}	1,11.43	58.56	(-)52.87
17.	08	13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रान्ट के तहत नगर पंचायतों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	75,68.00}	75,68.00	48,63.47	(-)27,04.53
18.	40	शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	4,18.54}	4,18.54	1,62.53	(-)2,56.01

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
19.	53	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशेष क्षेत्र परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
		मूल 6,76.00}	7,76.00	6,74.41	(-)1,01.59
		अनुपूरक 1,00.00}			
20.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
		मूल 3,75.00}	3,75.00	2,00.00	(-)1,75.00
21.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	38	शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
		मूल 13,50.00}	13,50.00	5,90.30	(-)7,59.70
22.	55	संस्थानों के गठन एवं संचालन हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
		मूल 14,00.00}	14,00.00	50.00	(-)13,50.00
23.	56	शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
		मूल 40,00.00}	40,00.00	19,25.34	(-)20,74.66

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	57 शहरी विकास मंत्रालय/शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जे०एन०एन० यू०आर०एम०-सह-बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 81,00.00}	81,00.00	15,11.28	(-)65,88.72
25.	58 शहरी विकास मंत्रालय/शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जे०एन०एन० यू०आर०एम०-सह-बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,22,00.00}	2,22,00.00	60,45.18	(-)1,61,54.82
26.	59 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (एन०यू०एल०एम०) (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	5,00.00	(-)10,00.00
27.	60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (एन०यू०एल०एम०) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 45,00.00}	45,00.00	3,76.64	(-)41,23.36

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	61 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- सह-एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए० हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	18,00.00	11,00.00	(-)7,00.00
	मूल 18,00.00}	18,00.00	11,00.00	(-)7,00.00
29.	63 राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	40,08.00	20,28.45	(-)19,79.55
	मूल 40,08.00}	40,08.00	20,28.45	(-)19,79.55
30.	64 राजीव आवास योजना के लिए अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)	83,92.00	18,76.76	(-)65,15.24
	मूल 83,92.00}	83,92.00	18,76.76	(-)65,15.24
31.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 05 शहरी विकास विभाग (गैर-योजना)	4,37.39	3,80.25	(-)57.14
	मूल 4,18.37} अनुपूरक 19.02}	4,37.39	3,80.25	(-)57.14

उपरोक्त इकतीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगमों को सहायता 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)	7,60.00	0.00	(-)7,60.00
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)	2,40.00	0.00	(-)2,40.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
4.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 30 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंन्स ग्रान्ट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)	23,19.00	0.00	(-)23,19.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	57 शहरी विकास मंत्रालय/शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जे०एन०एन०यू०आर०एम०-सह-बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	54,00.00	0.00	(-)54,00.00
	मूल 54,00.00 }	54,00.00	0.00	(-)54,00.00
6.	58 शहरी विकास मंत्रालय/शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जे०एन०एन०यू०आर०एम०-सह-बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना हेतु अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	1,48,00.00	0.00	(-)1,48,00.00
	मूल 1,48,00.00 }	1,48,00.00	0.00	(-)1,48,00.00
7.	61 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए० हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
	मूल 6,00.00 }	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
8.	62 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए० हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)	42,00.00	0.00	(-)42,00.00
	मूल 42,00.00 }	42,00.00	0.00	(-)42,00.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	65 झारखंड शहरी विकास निधि हेतु अनुदान (राज्य निधि) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
10.	66 वृहत् शहरी परिवहन परियोजनाओं हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
11.	192 नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता 09 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंस ग्रान्ट के तहत नगर पर्वदों को सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 44,05.00}	44,05.00	0.00	(-)44,05.00
12.	52 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पर्वद/नगरपालिका को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 13,01.00}	13,01.00	0.00	(-)13,01.00
13.	193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता 09 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंस ग्रान्ट के तहत नगर पंचायतों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 36,61.00}	36,61.00	0.00	(-)36,61.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत (-)	
14.	52	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	10,81.00}	10,81.00	0.00	(-)10,81.00
15.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	56	शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल	5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
16.	60	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (एन०यू०एल०एम०) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	11,25.00}	11,25.00	0.00	(-)11,25.00
17.	64	राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल	18,27.00}	18,27.00	0.00	(-)18,27.00
18.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	62	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए० हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	14,00.00}	14,00.00	0.00	(-)14,00.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत (-)
19.	66 वृहत शहरी परिवहन योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 25,00.00}	25,00.00	0.00	(-)25,00.00
20.	67 बाह्य सम्पोषित, राँची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00

उपर्युक्त बीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	6217 शहरी विकास के लिए कर्ज 60 अन्य शहरी विकास योजनाएं 191 नगर निगम को कर्ज 03 नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 10,23.69}	10,23.69	7,15.15	(-)3,08.54
2.	192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज 03 नगर पर्वद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 8,20.85 }	8,20.85	6,07.30	(-)2,13.55

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
193	नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को कर्ज			
3.	02 नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,48.57}	1,48.57	76.65	(-)71.92

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,08.54 लाख, ₹ 2,13.55 लाख तथा ₹ 71.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60	अन्य शहरी विकास योजनायें			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
48	न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2700 मुख्य सिंचाई			
2701 मध्यम सिंचाई			
2705 कमान क्षेत्र विकास			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,28,79,66}	3,48,75,69	2,60,92,62	(-)87,83,07
अनुपूरक	19,96,03}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015) 23,60,78

पूंजी :

मूल	14,81,00,00}	17,59,20,00	5,62,91,84	(-)11,96,28,16
अनुपूरक	2,78,20,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015) 9,67,25,14

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 87,83.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 5,35.92 लाख), जनवरी 2015 (₹ 0.01 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 14,60.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,96.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,60.78 लाख), अंतिम बचत (₹ 87,83.07 लाख) से ₹ 64,22.29 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2700 मुख्य सिंचाई 01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 01 तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.25}	3,65.73	3,04.47	(-)61.26
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)34.53}			
2.	02 स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,43.88}	1,57,52.52	1,26,76.93	(-)30,75.59
	अनुपूरक 10,47.68}			
	पुनर्वि० (-)3,39.04}			
3.	2701 मध्यम सिंचाई 03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 06 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 62,51.35}	55,95.26	44,48.27	(-)11,46.99
	अनुपूरक 3,15.75}			
	पुनर्वि० (-)9,71.84}			
4.	07 मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 96,14.66}	94,73.19	76,95.22	(-)17,77.97
	अनुपूरक 5,62.54}			
	पुनर्वि० (-)7,04.01}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	80 सामान्य 001 निदेशक तथा प्रशासन 01 मुख्यालय सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 3,15.16}	3,27.12	1,84.51	(-)1,42.61
	अनुपूरक 42.23}			
	पुनर्वि० (-)30.27}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
6.	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 कांची कमान क्षेत्र विकास 02 कांची सिंचाई योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	12.12	(-)37.88
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	16.08	(-)33.92
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 37.88 लाख एवं ₹ 33.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
8.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 09 जल संसाधन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 8,52.68}	7,00.72	6,56.35	(-)44.37
	अनुपूरक 27.82}			
	पुनर्वि० (-)1,79.78}			

₹ 2,24.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2705 कमान क्षेत्र विकास 101 मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (योजना)	50.00	0.00	(-)50.00
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 काँची जलाशय योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (योजना)	50.00	0.00	(-)50.00
3.	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास 01 बाढ़ नियंत्रण 001 निदेशन और प्रशासन 01 गंगा नदी के दाएं तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (गैर-योजना)	1,00.00 पुनर्वि० (-)1,00.00	0.00	0.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 50.00 लाख, ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी:

(v) ₹ 11,96,28.16 लाख की वृहद् अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 2,78,20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,67,25.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,96,28.16 लाख) से ₹ 2,29,03.02 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(vii) क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य			
1.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (योजना)			
	मूल 50,00.00}	50,00.00	38,12.46	(-)11,87.54
	अनुपूरक 1,82,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,82,00.00}			
	₹ 1,93,87.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
2.	11 स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (योजना)			
	मूल 1,25,00.00}	1,25,00.00	89,23.32	(-)35,76.68
	₹ 35,76.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
3.	12 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 7,13,00.00}	3,37,99.00	2,66,46.23	(-)71,52.77
	पुनर्वि० (-)3,75,01.00}			
4.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 3,00.00}	6,54.40	1,93.15	(-)4,61.25
	अनुपूरक 4,00.00}			
	पुनर्वि० (-)45.60}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,46,53.77 लाख एवं ₹ 5,06.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 45.00}	45.00	0.87	(-)44.13
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)11.79}			
	₹ 44.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
6.	66 नई भवनों का निर्माण तथा पुरानी भवनों का मरम्मती (योजना)			
	मूल 7,00.00}	8,88.21	7,34.69	(-)1,53.52
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)11.79}			
	₹ 1,65.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
7.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.10	(-)99.90
	₹ 99.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 6,00.00}	11,91.79	5,22.00	(-)6,69.79
	अनुपूरक 6,00.00}			
	पुनर्वि० (-)8.21}			
9.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (योजना)			
	मूल 10,00.00}	19,99.97	17,43.15	(-)2,56.82
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)0.03}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,78.00 लाख एवं ₹ 2,56.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	68 भवनों का संधारण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	17.90	(-)1,82.10
	पुनर्वि० (-)30.18}			
₹ 1,82.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
11.	69 प्रशिक्षण, कर्मशाला एवं सेमिनार (योजना)			
	मूल 50.00}	19.82	9.23	(-)10.59
	पुनर्वि० (-)30.18}			
12.	70 ई-गवर्नेंस (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,14.89	68.86	(-)46.03
	पुनर्वि० (-)5.11}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 40.77 लाख तथा ₹ 51.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
13.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना (ए०आई०बी०पी०) के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,00.37	(-)99.63
₹ 99.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
14.	74 2011-12 में सम्पूर्ण करने वाले मध्यम सिंचाई परियोजना की अवशेष कार्य तथा दायित्व (योजना)			
	मूल 17,10.00}	26,99.97	23,50.78	(-)3,49.19
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)10.03}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	75 सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 1,75.00}	2,12.68	1,22.90	(-)89.78
	अनुपूरक 50.00}			
	पुनर्वि० (-)12.32}			
16.	800 अन्य व्यय 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 5,00.00}	10,84.99	5,53.74	(-)5,31.25
	अनुपूरक 6,00.00}			
	पुनर्वि० (-)15.01}			
17.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० (योजना)			
	मूल 10,00.00}	11,98.02	8,86.69	(-)3,11.33
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1.98}			
18.	64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 25,00.00}	31,84.00	11,28.64	(-)20,55.36
	अनुपूरक 8,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,16.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	71 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 2011-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व (योजना)			
	मूल 16,90.00}	26,89.47	14,18.02	(-)12,71.45
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)0.53}			
20.	75 सर्वेक्षण, अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 2,25.00}	6,55.55	1,64.55	(-)4,91.00
	अनुपूरक 4,50.00}			
	पुनर्वि० (-)19.45}			
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
21.	58 नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	4,00.37	3,88.15	(-)12.22
	अनुपूरक 2,50.00}			
	पुनर्वि० (-)49.63}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
22.	58 नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 4,00.00}	8,90.00	8,65.47	(-)24.53
	अनुपूरक 6,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,10.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त

2015)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4700 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 स्वर्ण रेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	30,00.00	0.00	(-)30,00.00
2.	12 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 4,05,40.00} पुनर्वि० (-)4,05,40.00}	0.00	0.00	0.00
3.	800 अन्य व्यय 12 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 1,60.00}	1,60.00	0.00	(-)1,60.00
4.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 डेम सेफटी एवं हाईड्रोलॉजी प्रोजेक्ट-2 (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	14 झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
6.	39 वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
7.	67 पुराने वाहनों का मरम्मत एवं नये वाहन का क्रय (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
8.	800 अन्य व्यय 65 छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	35.00	0.00	(-)35.00
	पुनर्वि० (-)5.00}			
9.	66 जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापना एवं नये वाहनों का क्रय (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 14.41 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समयोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यारे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	48,05.07(@)	50.80	36.39	14.41	48,19.48
जोड़	48,05.07(@)	50.80	36.39	14.41	48,19.48

(@) आदि शेष को वित्त लेखे के साथ पुनरीक्षित एवं पुनर्मिलान किया गया।

**अनुदान संख्या - 50 - लघु सिंचाई विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2702	लघु सिंचाई			
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	1,13,00,95}	1,19,02,47	75,71,83	(-)43,30,64
अनुपूरक	6,01,52}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				15,63.57
पूँजी :				
मूल	4,22,00,00}	4,42,50,00	1,40,62,03	(-)3,01,87,97
अनुपूरक	20,50,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				51,17,38
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 43,30.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 1,16.43 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 4,85.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,01.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,63.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 43,30.64 लाख) से ₹ 27,67.07 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2702 लघु सिंचाई 02 भू-जल 005 अन्वेषण 01 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (गैर-योजना)			
	मूल 84,67.95}	88,52.83	65,92.22	(-)22,60.61
	अनुपूरक 6,01.52}			
	पुनर्वि० (-)2,16.64}			
2.	02 उक्त सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 18,72.00}	11,15.09	6,08.28	(-)5,06.81
	पुनर्वि० (-)7,56.91}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 24,77.25 लाख एवं ₹ 12,63.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
3.	03 सतही सिंचाई योजना हेतु वित्त (गैर-योजना)			
	मूल 7,28.00}	3,70.98	3,71.33	+0.35
	पुनर्वि० (-)3,57.02}			

₹ 3,56.67 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण			
05 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण (गैर-योजना)			
मूल	2,33.00}	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)2,33.00}		

केन्द्र द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹ 2,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) ₹ 3,01,87.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 20,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 51,17.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,01,87.97 लाख) से ₹ 2,50,70.59 लाख कम था।

(vii) शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना) के अन्तर्गत ₹ 74.23 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 11,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	101 सतही जल			
1.	19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल	13,00.00}	13,00.00	6,77.22
				(-)6,22.78

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 11,90.00}	18,90.00	15,38.98	(-)3,51.02
	अनुपूरक 7,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,22.78 लाख एवं ₹ 3,51.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
3.	33 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 21,00.00}	20,00.00	7,72.33	(-)12,27.67
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
₹ 13,27.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
4.	34 झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (योजना)			
	मूल 3,90.00}	2,68.31	2,68.31	0.00
	अनुपूरक 3,50.00}			
	पुनर्वि० (-)4,71.69}			
₹ 4,71.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
5.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 1,57,00.00}	1,47,69.97	19,49.17	(-)1,28,20.80
	पुनर्वि० (-)9,30.03}			
₹ 1,37,50.83 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य (योजना)	2,50.00	91.47	(-)1,58.53
	मूल 2,50.00}	2,50.00	91.47	(-)1,58.53
	पुनर्वि० (-)10.00}			
₹ 1,58.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
7.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)	90.00	27.83	(-)62.17
	मूल 1,00.00}	90.00	27.83	(-)62.17
	पुनर्वि० (-)10.00}			
8.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)	21,25.00	1,05.25	(-)20,19.75
	मूल 25,00.00}	21,25.00	1,05.25	(-)20,19.75
	पुनर्वि० (-)3,75.00}			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टीक्स (के०यो०यो०)	1,11.02	12.21	(-)98.81
	मूल 5,00.00}	1,11.02	12.21	(-)98.81
	पुनर्वि० (-)3,88.98}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 72.17 लाख, ₹ 23,94.75 लाख एवं ₹ 4,87.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	19 नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 11,00.00}	11,00.00	8,43.73	(-)2,56.27

₹ 2,56.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

11.	25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 35.00}	25.00	3.53	(-)21.47
	पुनर्वि० (-)10.00}			

12.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 16,00.00}	14,50.00	11,63.29	(-)2,86.71
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 31.47 लाख एवं ₹ 4,36.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

13.	34 झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (योजना)			
	मूल 3,90.00}	2,68.30	2,38.30	0.00
	अनुपूरक 3,50.00}			
	पुनर्वि० (-)4,71.70}			

₹ 4,71.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 1,30,00.00}	1,09,35.38	42,84.08	(-)66,51.30
	पुनर्वि० (-)20,64.62}			

₹ 87,15.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	101 सतही जल			
	07 वॉटर वॉडिज कार्य का पुनर्स्थापना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
2.	31 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 70.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	18 चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 07 वाटर बोर्डों का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
6.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 35.00}	3.53	0.00	(-)3.53
	पुनर्वि० (-)31.47}			
7.	31 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 15.22 लाख (निवल) को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,90.15	15.22	0.00	15.22	5,05.37
जोड़	4,90.15	15.22	0.00	15.22	5,05.37

**अनुदान संख्या - 51 - कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	9,35,50,41}	10,31,98,52	8,62,96,98	(-)1,69,01,54
अनुपूरक	96,48,11}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	1,68,56,00}	1,68,56,00	1,19,18,26	(-)49,37,74
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 1,69,01.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 0.03 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 96,48,08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 96,48.11 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,69,01.54 लाख की वृहद् अंतिम बचत के बावजूद भी बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 61-प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,70.66 लाख की बचत, जो कि ₹ 22,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	28,30.58	19,07.64	(-)9,22.94
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	001 निदेशन एवं प्रशासन 01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 28,30.57} अनुपूरक 0.01}			
2.	277 शिक्षा	1,31.40	86.81	(-)44.59
	02 छात्रावास संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 1,31.40}			
3.	03 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)	17,86.71	14,90.93	(-)2,95.78
	मूल 17,94.20} अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)7.51}			
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2,00.00	1,68.15	(-)31.85
	01 निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 2,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,22.94 लाख ₹ 44.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

₹ 7.51 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 2,95.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	03 प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 14,00.00}	14,00.00	4,70.74	(-)9,29.26
6.	10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70.00}	70.00	21.26	(-)48.74
7.	10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 (योजना)			
	मूल 70.00}	70.00	21.26	(-)48.74
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
8.	03 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (गैर-योजना)			
	मूल 7,71.37}	7,71.37	4,48.81	(-)3,22.56

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

9.	04 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 67,44.42}	66,57.83	50,15.58	(-)16,42.25
	अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)86.61}			

संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को संविदा भत्ता का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 7.51 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 94.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 16,42.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	57 उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,16.88	(-)83.12
11.	57 उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,25.00	5,58.89	(-)66.11
	अनुपूरक 25.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 83.12 लाख एवं ₹ 66.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
12.	69 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,38.66}	3,32.79	1,61.52	(-)1,71.27
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० 94.12}			
<p>संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को संविदा भत्ता का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 94.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 1,71.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।</p>				
13.	84 आदिम जनजातियों के लिये अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	82.02	(-)67.98

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	282 01 स्वास्थ्य आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,34.53}	2,34.53	1,64.47	(-)70.06
15.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शिक्षा- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,30,00.00}	1,30,00.00	1,13,17.11	(-)16,82.89
16.	04 आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 71,32.00}	71,32.00	9,14.13	(-)62,17.87
17.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	10.44	(-)89.56
18.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	8.19	(-)91.81
19.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (योजना)			
	मूल 2,20.00}	2,20.00	1,77.10	(-)42.90

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
				(लाख रुपयों में)	
20.	39	ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (योजना)			
	मूल	21,00.00}	21,00.00	14,06.96	(-)6,93.04
21.	52	शिक्षा-झारखण्ड आदिवासी विकास कार्यक्रम (बाह्य सम्पोषित परियोजना) के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल	5,00.00}	5,00.00	2,63.80	(-)2,36.20
22.	57	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक	13,13.00}	13,13.00	11,59.17	(-)1,53.83
23.	78	समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (योजना)			
	मूल	13,00.00}	14,35.00	10,72.19	(-)3,62.81
	अनुपूरक	1,35.00}			
24.	84	आदिम जनजातियों के लिए अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल	3,50.00}	3,50.00	1,44.84	(-)2,05.16

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)	60.00	28.48	(-)31.52
26.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना)	60.00	20.51	(-)39.49
27.	18 पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों का संधारण (गैर-योजना)	2,67.76	1,92.36	(-)75.40
	मूल 2,67.75 } अनुपूरक 0.01 }			
28.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 66 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)	2,00.00	72.33	(-)1,27.67
29.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 06 कल्याण विभाग (गैर-योजना)	3,80.89	3,20.10	(-)60.79
	मूल 3,80.87 } अनुपूरक 0.02 }			

उपर्युक्त सत्रह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04 अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)	80.00	0.00	(-)80.00
2.	16 शिक्षा-भोकेशनल प्रशिक्षण (योजना)	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
3.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 227 शिक्षा 82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)	50.00	0.00	(-)50.00
4.	88 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम (के०यो०यो०)	41.50	0.00	(-)41.50

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 व्यवसायिक प्रशिक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
6.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
7.	88 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम (के०यो०यो०)			
	मूल 62.00}	62.00	0.00	(-)62.00
8.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 06 प्री-मैट्रिक छात्रवृति (के०यो०यो०)			
	मूल 60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 प्री-मैट्रिक छात्रवृति ओ.बी.सी. (के०यो०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	0.00	(-)90.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00

उपर्युक्त दस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूंजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	08 छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	53.36	(-)1,46.64
2.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण शिक्षा			
	277 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	02			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	2.47	(-)1,47.53

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	283 आवास 06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)	2,50.00	1,57.95	(-)92.05
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 07 छात्राओं के लिए छात्रावास (योजना)	1,00.00	27.45	(-)72.55
5.	38 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)	1,20.00	1,00.00	(-)20.00
6.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण-कार्य (योजना)	1,05.00	5.00	(-)1,00.00

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
2.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
3.	20 आवासीय उच्च विद्यालयों को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
4.	21 बाबु जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 5,05.00}	5,05.00	0.00	(-)5,05.00
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
5.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	05 आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
7.	38 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
8.	40 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक- बालिका छात्रावास (के०यो०यो०)			
	मूल 2,45.00}	2,45.00	0.00	(-)2,45.00
9.	41 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	0.00	(-)3,50.00
11.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	0.00	(-)3,50.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	09 आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	0.00	(-)80.00
13.	39 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 6,05.00}	6,05.00	0.00	(-)6,05.00
14.	40 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास (के०यो०यो०)			
	मूल 3,65.00}	3,65.00	0.00	(-)3,65.00
15.	41 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,72.00}	3,72.00	0.00	(-)3,72.00
16.	03 पिछले वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
17.	07 छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	0.00	(-)1,10.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
19.	06 आवासीय विद्यालय का निर्माण (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00

उपर्युक्त उन्नीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 52 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	74,97,90}	1,01,44,63	52,92,83	(-)48,51,80
अनुपूरक	26,46,73}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				28,60,00
(6 फरवरी 2015 : 50,00				
18 मार्च 2015 : 28,10,00)				

पूंजी :

मूल	16,20,00}	16,20,00	15,43,70	(-)76,30
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 48,51.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 0.02 लाख), जनवरी 2015 (₹ 1.20 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 26,45.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,46.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28,60.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,51.80 लाख) से ₹ 19,91.80 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 101 व्यायाम शिक्षा 01 शारीरिक शिक्षा (गैर-योजना)	76.73	28.94	(-)47.79
2.	102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 01 राष्ट्रीय कैडेट कोर- प्रशासन (गैर-योजना)	7,42.85	6,42.51	(-)1,00.34
	मूल 6,59.95 } अनुपूरक 82.90 }			
3.	07 राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए नवीन इकाई (गैर-योजना)	2,77.37	1,02.52	(-)1,74.85
	मूल 2,77.37 }			
4.	104 खेलकूद 02 खेलकूद (गैर-योजना)	63.18	39.18	(-)24.00
	मूल 31.17 } अनुपूरक 32.01 }			
5.	27 खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)	1,00.00	72.13	(-)27.87
	मूल 1,00.00 }			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	19.75	(-)80.25
7.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/खेल कीट/ खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	29.03	(-)1,95.97
8.	37 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	10.40	(-)1,89.60
9.	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 16 झारखण्ड खेल प्राधिकरण (योजना)			
	मूल 1,85.00}	1,85.00	1,41.14	(-)43.86
10.	24 साहसिक खेल (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	1.75	(-)98.25
11.	31 खेल विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	36.63	(-)43.37

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 3,25.00}	2,25.00	2,20.08	(-)4.92
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
13.	37 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	1,51.70	(-)1,98.30
₹ 1,98.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
14.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 9,00.00}	8,00.00	8,00.00	0.00
	अनुपूरक 7,10.00}			
	पुनर्वि० (-)8,10.00}			
₹ 8,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
15.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	04 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	4.74	(-)20.26
₹ 20.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 16,00.00}	14,00.00	14,00.00	0.00
	अनुपूरक 18,00.00}			
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			
₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 104 खेल-कूद 10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)	20.00	0.00	(-)20.00
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
2.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (योजना)	20.00	0.00	(-)20.00
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
3.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान (के०प्रा०यो०)	30.00	0.00	(-)30.00
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
4.	33 प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)	30.00	0.00	(-)30.00
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
5.	35 कौशल विकास (योजना)	20.00	0.00	(-)20.00
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
6.	38 स्टेडियम, खेल छात्रावास एवं सांस्कृतिक भवन का अनुक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (योजना)	40.00	0.00	(-)40.00
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 27 खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)	50.00	0.00	(-)50.00
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
9.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/खेल कीट/ खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
10.	37 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
11.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
12.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
13.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00

अनुदान संख्या - 52 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
15.	33 प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
16.	2205 कला एवं संस्कृति 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 33 राज्य स्तरीय ललित कला, संगीत, नाट्य अकादमी एवं उच्च कला का गठन (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	0.00	(-)25.00

उपर्युक्त सोलह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
04 कला तथा संस्कृति			
101 ललित कला शिक्षा			
01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)			
मूल 50.00}	50.00	22.81	(-)27.19

₹ 27.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 53 - मत्स्य
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2405	मछली-पालन			
4405	मछली-पालन पर पूजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	40,67,97}	40,96,16	29,03,19	(-)11,92,97
अनुपूरक	28,19}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूजी :				
मूल	40,85,70}	56,85,70	9,76,96	(-)47,08,74
अनुपूरक	16,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 11,92.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 28.18 लाख) तथा जनवरी 2015 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2405 मछली-पालन 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 मत्स्य विकास योजना एवं मत्स्य अनुसंधान योजना (गैर-योजना)	10,53.68	9,00.87	(-)1,52.81
	मूल 10,53.67} अनुपूरक 0.01}			
2.	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)	1,70.00	1,27.47	(-)42.53
	मूल 1,70.00}			
3.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	3,47.00	2,50.63	(-)96.37
	मूल 3,47.00}			
4.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)	2,36.00	1,76.23	(-)59.77
	मूल 2,36.00}			
5.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)	4,30.00	3,35.03	(-)94.97
	मूल 4,30.00}			
6.	56 फीश फीड फैक्टरी (पी.पी.पी.) एवं अन्य कार्य हेतु अनुदान (योजना)	50.00	18.00	(-)32.00
	मूल 50.00}			

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	38.60	(-)21.40
8.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	27.00	(-)1,73.00
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	73.86	(-)16.14
10.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 1,04.00}	1,04.00	78.44	(-)25.56

उपर्युक्त दस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2405 मछली-पालन 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 17 एन०एफ०डी०बी० (90 : 10) (योजना)			
	मूल 24.00}	24.00	0.00	(-)24.00

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)	2,30.00}	2,30.00	0.00	(-)2,30.00
3.	52 मात्स्यिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)	51.00}	51.00	0.00	(-)51.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 24.00 लाख, ₹ 2,30.00 लाख तथा ₹ 51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी:

(v) ₹ 47,08.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 16,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)	4,50.00}	4,50.00	87.00	(-)3,63.00
2.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)	4,50.00}	4,50.00	87.00	(-)3,63.00
3.	64 रियरींग तालाब का निर्माण (योजना)	5,80.00}	5,80.00	1,14.82	(-)4,65.18

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	65 फीश फीड फैक्टरी की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,41.94	(-),08.06
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (योजना)			
	अनुपूरक 1,00.00}	1,00.00	84.75	(-),15.25
6.	64 रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	5.66	(-),04.34
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	अनुपूरक 3,40.00}	3,40.00	9.54	(-),3,30.46
8.	63 मात्स्यिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	अनुपूरक 2,49.00}	2,49.00	1,44.51	(-),04.49
9.	64 रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना)			
	अनुपूरक 2,90.00}	2,90.00	28.63	(-),2,61.37

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०यो०यो०)	9,00.00}	9,00.00	0.00	(-)9,00.00
2.	58 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) (योजना)	अनुपूरक 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (के०यो०यो०)	अनुपूरक 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
4.	58 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- स्ट्रीम-1 (योजना)	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
5.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०यो०यो०)	मूल 5,00.00}	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
6.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
7.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)	अनुपूरक 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 54 - डेयरी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2404 डेरी विकास			
4404 डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,15,02,35}	1,15,02,37	74,80,28	(-40,22,09
अनुपूरक	2}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूँजी :

मूल	16,27,00}	16,27,00	12,90,18	(-3,36,82
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (ii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2404 डेरी विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार (योजना)				
	मूल	1,80.00}	1,80.00	1,43.57	(-36.43

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2.	05	मुख्यालय स्थापना एवं डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (गैर-योजना)			
	मूल	2,40.62}	2,40.62	1,31.41	(-)1,09.21
3.	102 05	डेरी विकास परियोजनाएं टेक्निकल इन्पुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	8,41.00}	8,41.00	6,57.34	(-)1,83.66
4.	07	क्षेत्रीय डेयरी विकास-कार्यालय एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल	1,12.34}	1,12.35	77.29	(-)35.06
	अनुपूरक	0.01}			
5.	10	विस्तृत इकाइयाँ (गैर-योजना)			
	मूल	6,80.39}	6,80.40	5,60.66	(-)1,19.74
	अनुपूरक	0.01}			
6.	36	दुधार-मवेशी वितरण (योजना)			
	मूल	13,50.00}	13,50.00	10,71.26	(-)2,78.74
7.	39	नस्ल सुधार एवं हीफर रियरींग कार्यक्रम (योजना)			
	0	5,32.00}	5,32.00	4,54.15	(-)77.85
8.	41	बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल	1,35.00}	1,35.00	90.68	(-)44.32

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
9.	789 06	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल	1,50.00}	1,50.00	1,16.88	(-)33.12
10.	36	दुधारू मवेशी वितरण (योजना)			
	मूल	3,30.00}	3,30.00	62.40	(-)2,67.60
11.	39	नस्ल सुधार एवं हीफर रियरींग कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	3,10.00}	3,10.00	2,19.34	(-)90.66
12.	796 01	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार (योजना)			
	मूल	2,80.00}	2,80.00	2,22.21	(-)57.79
13.	05	टेक्निकल इन्पुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	7,25.00}	7,25.00	5,30.99	(-)1,94.01
14.	36	दुधारू मवेशी वितरण (योजना)			
	मूल	7,20.00}	7,20.00	2,17.57	(-)5,02.43
15.	38	नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेण्ट्स योजना (योजना)			
	मूल	2,75.00}	2,75.00	2,00.00	(-)75.00

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	39 नस्ल सुधार एवं हीफर रियरिंग कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 4,40.00}	4,40.00	3,56.85	(-)83.15

उपर्युक्त सोलह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2404 डेरी विकास 102 डेरी विकास परियोजनाएं 04 ग्रामीण डेयरी (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
2.	37 नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 3,85.00}	3,85.00	0.00	(-)3,85.00
3.	42 एजोला उत्पादन एवं प्रत्यक्षण इकाई (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
4.	43 हस्तचालित चैफ कटर का वितरण (योजना)			
	मूल 3,36.60}	3,36.60	0.00	(-)3,36.60

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	44 विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण (योजना)			
	मूल 2,15.10}	2,15.10	0.00	(-)2,15.10
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 37 नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	0.00	(-)1,10.00
7.	43 हस्तचालित चैफ कटर का वितरण (योजना)			
	मूल 72.45}	72.45	0.00	(-)72.45
8.	44 विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण (योजना)			
	मूल 46.65}	46.65	0.00	(-)46.65
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 37 नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,20.00}	2,20.00	0.00	(-)2,20.00
10.	43 हस्तचालित चैफ कटर का वितरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,53.45}	1,53.45	0.00	(-)1,53.45

अनुदान संख्या - 54 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	44 विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण (योजना)			
	मूल 96.75}	96.75	0.00	(-)96.75

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(iv) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(v) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4404 डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
	102 डेरी विकास परियोजना			
	08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,55.00	64.07	(-)1,90.93
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 1,05.00}	1,05.00	50.92	(-)54.08
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 2,40.00}	2,40.00	1,52.39	(-)87.61

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,90.93 लाख, ₹ 54.08 लाख एवं ₹ 87.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 55 - ग्रामीण कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3054	सड़क एवं सेतु		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	2,54,73,50}	10,15,65,35	4,01,66,64	(-)6,13,98,71
अनुपूरक	7,60,91,85}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	17,07,00,00}	19,80,54,02	9,59,19,27	(-)10,21,34,75
अनुपूरक	2,73,54,02}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 6,13,98.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 7,60,48.07 लाख) तथा जनवरी 2015 (₹ 43.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,60,91.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,13,98.71 लाख का वृहत् अंतिम बचत के बावजूद भी, बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,13.25	(-)86.75
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,39.86	6,51.81	(-)1,88.05
	अनुपूरक 39.86}			
3.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 26 अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 1,83.38}	1,83.40	1,10.87	(-)72.53
	अनुपूरक 0.02}			
4.	27 अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग)- क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 56,18.87}	56,22.82	48,27.53	(-)7,95.29
	अनुपूरक 3.95}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	28 कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग)- गैर-पी०एम०जी०एस० वाई० सड़क हेतु (गैर-योजना)			
	मूल 70,00.00}	70,00.00	31,74.25	(-)38,25.75
6.	102 सामुदायिक विकास 08 मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ख) ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 6,03.77} अनुपूरक 0.01}	6,03.78	2,66.37	(-)3,37.41
7.	41 जे०एस०आर०आर०डी०ए० के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 7,60,48.00}	7,60,48.00	2,09,96.49	(-)5,50,51.51
8.	3054 सड़क एवं सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें 105 रखरखाव तथा मरम्मत 01 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गैर-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मति (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	30,37.37	(-)9,62.63

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 16 ग्रामीण कार्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,07.60}	2,07.61	1,41.74	(-)65.87
	अनुपूरक 0.01}			

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(iv) ₹ 10,21,34.75 लाख की वृहत् अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 54.02 लाख) तथा जनवरी 2015 (₹ 2,73,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,73,54.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 10,21,34.75 लाख का वृहत् अंतिम बचत के बावजूद भी, बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना), 10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना) तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,70.78 लाख, ₹ 1,08.84 लाख तथा ₹ 1,16.09 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 68,00.00 लाख, ₹ 35,00.00 लाख तथा ₹ 1,68,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 103 ग्राम विकास 04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,89,00.00}	2,89,00.00	70,40.61	(-)2,18,59.39
	अनुपूरक 1,00,00.00}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	07 मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	मूल 24,00.00}	23,95.32	10,01.80	(-)13,93.52
	अनुपूरक 0.02}			
	पुनर्वि० (-)4.70}			
3.	36 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	अनुपूरक 2,50.00}	2,50.00	1,93.09	(-)56.91
4.	37 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (क०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 8,00,00.00}	8,00,00.00	39,52.00	(-)7,60,48.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	36 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	अनुपूरक 1,00.00}	1,00.00	53.14	(-)46.86
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) (योजना)			
	मूल 51,00.00}	51,58.70	26,11.35	(-)25,47.35
	अनुपूरक 54.00}			
	पुनर्वि० 4.70}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	19 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुल (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	31.91	(-)9,68.09
8.	20 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	20.72	(-)79.28

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
	103 ग्राम विकास			
1.	14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
2.	18 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यु० का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	0.00	(-)75.00

अनुदान संख्या - 55 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	20 जे०एस०आर०आर०डी०ए० का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
5.	35 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यु० का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	0.00	(-)75.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(viii) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 18,71.49 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो कि ₹ 3,66,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या - 56 - पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2015	निर्वाचन		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		
6515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज		

राजस्व :

मूल	17,45,89,01}	22,44,16,53	14,58,07,44	(-)7,86,09,09
अनुपूरक	4,98,27,52}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,91,88

पूँजी :

मूल	5,00,00}	4,00,00	3,50,76	(-)49,24
अनुपूरक	(-)1,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 7,86,09.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 (₹ 4,16,44.45 लाख), जनवरी 2015 (₹ 2,00.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 79,83.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,98,27.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,91.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,86,09.09 लाख) से ₹ 7,84,17.21 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता,

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

01-13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना), 197-प्रखंड पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत को सहायता, 01-13वें वित्त आयोग की आलोक में प्रखंड पंचायतों को सामान्य क्षेत्र के लिये बेसिक अनुदान (गैर-योजना) और 198-ग्राम पंचायत को सहायता, 01-13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को सामान्य क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,62.54 लाख, ₹ 3,00.01 लाख एवं ₹ 8,99.53 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 56,84.80 लाख, ₹ 56,84.80 लाख एवं ₹ 1,70,54.40 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2015 निर्वाचन			
	109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार			
	01 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (गैर-योजना)			
	मूल 3,44.25}	2,77.47	2,12.96	(-)64.51
	अनुपूरक 5.42}			
	पुनर्वि० (-)72.20}			
₹ 1,36.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
2.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	03 जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 90,45.50}	1,39,38.75	1,21,35.62	(-)18,03.13
	अनुपूरक 48,93.25}			
3.	05 पंचायत चुनाव (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	3,00.00	2,34.51	(-)65.49
	अनुपूरक 2,00.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	06 जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 85.20}	85.20	51.00	(-)34.20
5.	15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,45,00.00}	2,45,00.00	1,63,24.00	(-)81,76.00
6.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 1,70,00.00}	1,76,00.00	1,08,00.00	(-)68,00.00
	अनुपूरक 6,00.00}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
7.	003 प्रशिक्षण 01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (गैर-योजना)			
	मूल 3,98.02}	3,60.18	3,17.12	(-)43.06
	अनुपूरक 30.16}			
	पुनर्वि० (-)68.00}			
₹ 68.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 43.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।				
8.	101 पंचायती राज 04 पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	15,22.54	(-)4,77.46

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	196 जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 02 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)	17,50.00	5,31.98	(-)12,18.02
	मूल 7,00.00} अनुपूरक 10,50.00}			
10.	03 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)	75,68.20	30,28.19	(-)45,40.01
	मूल 36,55.00} अनुपूरक 39,13.20}			
11.	04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)	17,50.20	7,00.00	(-)10,50.20
	मूल 7,00.00} अनुपूरक 10,50.20}			
12.	197 प्रखण्ड पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत को सहायता 02 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)	17,50.00	5,31.98	(-)12,18.02
	मूल 7,00.00} अनुपूरक 10,50.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	03 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 36,55.00}	75,68.20	30,28.19	(-)45,40.01
	अनुपूरक 39,13.20}			
14.	04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 7,00.00}	17,50.20	7,00.00	(-)10,50.20
	अनुपूरक 10,50.20}			
15.	198 02 ग्राम पंचायत को सहायता 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 21,00.00}	52,50.00	15,95.94	(-)36,54.06
	अनुपूरक 31,50.00}			
16.	03 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,09,65.00}	2,27,04.60	90,84.27	(-)1,36,20.33
	अनुपूरक 1,17,39.60}			
17.	04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 21,00.00}	52,50.60	21,00.00	(-)31,50.60
	अनुपूरक 31,50.60}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 52,00.00}	52,00.00	35,83.00	(-)16,17.00
19.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 85,00.00} अनुपूरक 19.04}	85,19.04	68,19.04	(-)17,00.00
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,53,00.00}	1,53,00.00	82,68.00	(-)70,32.00
21.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 2,55,00.00} अनुपूरक 8,00.00}	2,63,00.00	1,78,00.00	(-)85,00.00

उपर्युक्त चौदह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम० सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
22.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 17 पंचायती राज एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) (गैर-योजना)			
	मूल 1,51.42}	1,19.37	87.27	(-)32.10
	अनुपूरक 12.80}			
	पुनर्वि० (-)44.85}			

₹ 76.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम० सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 19 जिला परिषदों को बस पड़ाव/ डाक बंगला/कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
2.	101 पंचायती राज 37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 10,04.54}	10,04.54	0.00	(-)10,04.54
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 29,26.00}	29,26.00	0.00	(-)29,26.00

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,94.42}	1,94.42	0.00	(-)1,94.42
5.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 5,67.00}	5,67.00	0.00	(-)5,67.00
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 19 जिला परिषदों को बस पड़ाव डाक बंगला/कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
7.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण सहित) (योजना)			
	मूल 32.00}	32.00	0.00	(-)32.00
8.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 4,21.26}	4,21.26	0.00	(-)4,21.26
9.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 12,27.00}	12,27.00	0.00	(-)12,27.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमांत

पूँजी :

(v) शीर्ष 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज, 196-जिला परिषद/जिला स्तर पंचायतों को कर्ज, 01-जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को कर्ज (योजना) के अन्तर्गत 'घटायें वापसियों' से संबंधित ₹ (-) 1,00.00 लाख, जिसे वर्ष 2014-15 के लिये द्वितीय अनुपूरक बजट के द्वारा उपलब्ध कराया गया, का एक गलत बजटीकरण का मामला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.24 लाख की अंतिम बचत को ₹ 1,00.00 लाख के द्वारा कम बताया गया।

(vi) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज			
196 जिला परिषद/जिला स्तर पंचायतों को कर्ज			
01 जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को कर्ज (गैर-योजना)			
मूल 5,00.00}	4,00.00	3,50.76	(-)49.24
अनुपूरक (-)1,00.00}			

सकल बजट बढ़ाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिये अपेक्षित सकल राशि के लिये होती है। फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। अतः द्वितीय अनुपूरक बजट, 2014-15 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ (-)1,00.00 लाख के प्रावधान को शीर्ष 196-जिला परिषद्/जिला स्तर पंचायतों को कर्ज के स्थान पर लघु शीर्ष '901-घटायें वापसियाँ' के अन्तर्गत ₹ 1,00.00 लाख की राशि को उपलब्ध कराया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 57 - आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2216	आवास			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
6216	आवास के लिए उधार			
राजस्व :				
मूल	3,70,49}	4,16,56	2,72,07	(-)1,44,49
अनुपूरक	46,07}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	7,00,00}	7,00,00	6,00,00	(-)1,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ :				

राजस्व:

(i) ₹ 1,44.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 46.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 57 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 04 आवास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 70.49}	1,16.56	72.07	(-)44.49
	अनुपूरक 46.07}			

₹ 44.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2216 आवास 03 ग्रामीण आवास 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 सिद्धू-कान्हू आवास योजना हेतु सहायता अनुदान (योजना)			
मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 57 - क्रमांत

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6216 आवास			
02 शहरी आवास			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
06 राँची दुमका में अधिग्रहित भूमि के विकास एवं एच० आई०जी०/एम०आई०जी०/एल०आई०जी०/ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैटों का निर्माण (योजना)			
मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00
			(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 58 - माध्यमिक शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	11,71,76,53}	12,42,28,65	7,18,70,01	(-)5,23,58,64
अनुपूरक	70,52,12}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	4,10,00}	4,10,00	1,38,76	(-)2,71,24
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 5,23,58.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनरवरी 2015 (₹ 64,00.12 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6,52.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 70,52.12 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 101 निरीक्षण 01 निरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.16}	2,25.17	1,83.66	(-)41.51
	अनुपूरक 0.01}			
2.	02 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 13,30.97}	13,30.73	10,99.22	(-)2,31.51
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)0.25}			
3.	03 क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 1,96.49}	1,96.25	1,47.81	(-)48.44
	अनुपूरक 0.01}			
	पुनर्वि० (-)0.25}			
4.	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01 माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 4,76,35.32}	4,76,35.34	2,83,03.40	(-)1,93,31.94
	अनुपूरक 0.02}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	02 राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 65.00}	65.00	12.04	(-)52.96
6.	08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह- मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	53.98	(-)66.02
7.	12 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना)			
	मूल 42,00.00}	42,00.00	28,30.63	(-)13,69.37
8.	24 सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,55.00	2,13.36	(-)41.64
9.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 15,64.00}	15,64.00	12,14.00	(-)3,50.00

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
10.	789 24	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल	80.00}	80.00	16.29	(-)63.71
11.	35	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल	6,12.00}	6,12.00	5,12.00	(-)1,00.00
12.	51	नेतरहाट विद्यालय समिति को अनुदान (योजना)			
	मूल	3,00.00}	3,00.00	1,00.00	(-)2,00.00
13.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (योजना)			
	मूल	12,00.00}	12,00.00	4,00.00	(-)8,00.00
14.	24	सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल	1,65.00}	1,65.00	78.09	(-)86.91

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (केन्द्रांश-75:राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 36,72.00}	36,72.00	19,77.00	(-)16,95.00
16.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 12,24.00}	12,24.00	8,74.00	(-)3,50.00
17.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103 राजकीय कॉलेज तथा संस्थान 01 इंटरमीडियट शिक्षा (+2 व्यावसायिक शिक्षा सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 19,96.62}	19,96.64	17,35.29	(-)2,61.35
	अनुपूरक 0.02}			
18.	04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,92.28}	2,92.29	2,60.35	(-)31.94
	अनुपूरक 0.01}			
19.	05 भाषा विकास 103 संस्कृत शिक्षा 04 राजकीय संस्कृत विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,51.30}	1,51.31	78.24	(-)73.07
	अनुपूरक 0.01}			

उपर्युक्त उन्नीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (के०प्रा०यो०)	46,92.00	0.00	(-)46,92.00
2.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (के०प्रा०यो०)	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
3.	45 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केन्द्रांश-90:राज्यांश-10) (योजना)	77,40.94	0.00	(-)77,40.94
4.	58 बालिकाओं के बीच निःशुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं सोलर लैम्प का वितरण (योजना)	17,28.63	0.00	(-)17,28.63
5.	59 जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)	1,80.00	0.00	(-)1,80.00

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
6.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल	18,36.00}	18,36.00	0.00	(-)18,36.00
7.	08	विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह- मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल	40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
8.	36	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	3,40.00}	3,40.00	0.00	(-)3,40.00
9.	45	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केन्द्रांश-90 : राज्यांश-10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	20,64.00}	20,64.00	0.00	(-)20,64.00
10.	58	वर्ग 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के बीच निःशुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं सोलर लैम्प का वितरण (योजना)			
	मूल	7,51.58}	7,51.58	0.00	(-)7,51.58

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	59 जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)			
	मूल 45.00}	45.00	0.00	(-)45.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,60.00}	6,60.00	0.00	(-)6,60.00
13.	45 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केन्द्रांश-90 : राज्यांश-10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 43,58.00}	43,58.00	0.00	(-)43,58.00
14.	58 वर्ग 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के बीच निःशुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं सोलर लैम्प का वितरण (योजना)			
	मूल 12,77.69}	12,77.69	0.00	(-)12,77.69
15.	59 जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	0.00	(-)75.00

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,64.00	57.47	(-)1,06.53
	01 सामान्य शिक्षा			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
1.	46 इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)	1,64.00	57.47	(-)1,06.53
	मूल 1,64.00}			
2.	47 राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)	1,02.00	71.96	(-)30.04
	मूल 1,02.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	32.00	9.33	(-)22.67
	47 राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)			
	मूल 32.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,06.53 लाख, ₹ 30.04 लाख एवं ₹ 22.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	46 इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 36.00}	36.00	0.00	(-)36.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	47 राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)			
	मूल 66.00}	66.00	0.00	(-)66.00
3.	48 शैक्षिक संस्थानों के आधारभूत संरचना विकास हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 10.00}	10.00	0.00	(-)10.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 36.00 लाख, ₹ 66.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 59 - प्राथमिक एवं जन शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	61,14,47,83}	62,34,53,83	41,04,98,05	(-)21,29,55,78
अनुपूरक	1,20,06,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	9,00,00}	9,00,00	3,48,87	(-)5,51,13
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 21,29,55.78 लाख की वृहद् अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 10,06.00 लाख), जनवरी 2015 (₹ 20,00.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 90,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,20,06.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 21,29,55.78 लाख की वृहद् अंतिम बचत के बावजूद भी बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान, 25-सर्व शिक्षा अभियान को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०) के अन्तर्गत ₹ 48,16.16 लाख की बचत, जो कि ₹ 5,10,82.80 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,86.95} पुनर्वि० 0.90}	1,87.85	1,21.89	(-)65.96
2.	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 28,56,17.49}	28,56,17.49	17,29,29.32	(-)11,26,88.17
3.	03 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,52,13.08}	1,52,13.08	93,04.44	(-)59,08.64
4.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,90.00}	2,90.00	1,40.65	(-)1,49.35
5.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 19,00.00}	19,00.00	10,71.48	(-)8,28.52

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	45 बच्चों के लिये पुरक पोषण योजना (योजना)			
	मूल 76,80.00}	76,80.00	16,00.00	(-)60,80.00
7.	46 उर्दू शिक्षकों का वेतन (योजना)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	57.42	(-)11,42.58
8.	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 02 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 2,30,04.33}	2,30,04.33	1,52,45.20	(-)77,59.13
9.	104 निरीक्षण 01 निरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 48,69.74} पुनर्वि० (-)0.90}	48,68.84	37,53.58	(-)11,15.26
10.	105 अनौपचारिक शिक्षा 04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,06.00}	3,06.00	1,36.95	(-)1,69.05
11.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 12,09.62}	12,09.62	8,40.92	(-)3,68.70

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,60.00}	3,60.00	13.35	(-)3,46.65
13.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	7.00	(-)1,13.00
14.	111 सर्व शिक्षा अभियान 49 महिला सामख्या को सहायक अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 5,54.00}	5,54.00	2,58.00	(-)2,96.00
15.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60,30.40}	60,30.40	35,31.67	(-)24,98.73
16.	04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,40.21}	1,40.21	58.55	(-)81.66
17.	22 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	56.40	(-)43.60

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,78,85.19}	1,78,85.19	1,01,05.77	(-)77,79.42
19.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,30.00}	12,30.00	5,94.67	(-)6,35.33
20.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,53.00}	1,53.00	2.20	(-)1,50.80
21.	42 डायट (योजना)			
	मूल 51.00}	51.00	0.30	(-)50.70
22.	45 बच्चों के लिये पूरक पोषण योजना (योजना)			
	मूल 32,64.00}	32,64.00	2,24.00	(-)30,40.00
23.	49 महिला समाख्या को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,50.00}	1,50.00	96.00	(-)54.00
24.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,57,55.41}	1,57,55.41	55,46.33	(-)1,02,09.08

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,82.00}	3,82.00	86.35	(-)2,95.65
26.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,50.60}	3,50.60	86.00	(-)2,64.60
27.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,52,39.01}	4,52,39.01	1,94,03.27	(-)2,58,35.74
28.	27 मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,00.00}	25,00.00	7,90.95	(-)17,09.05
29.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,87.00}	3,87.00	41.46	(-)3,45.54
30.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	16.15	(-)1,12.85
31.	45 बच्चों के लिये पूरक पोषण योजना (योजना)			
	मूल 82,56.00}	82,56.00	21,76.00	(-)60,80.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
32.	46 उर्दू शिक्षकों का वेतन (योजना)			
	मूल 12,90.00}	12,90.00	97.90	(-)11,92.10

उपर्युक्त बत्तीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,40.00}	14,40.00	0.00	(-)14,40.00
2.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,70.00}	1,70.00	0.00	(-)1,70.00
3.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
4.	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 34 गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	0.00	(-)1,20.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
5.	111 सर्व शिक्षा अभियान 41 मुख्यमंत्री एकीकृत बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)	8,00.00}	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्टार-सह-किचन शोड का निर्माण (के०प्रा०यो०)	6,00.00}	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
7.	07 बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)	1,10.00}	1,10.00	0.00	(-)1,10.00
8.	34 गैर-सरकारी शिक्षण-संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)	51.00}	51.00	0.00	(-)51.00
9.	41 मुख्यमंत्री एकीकृत बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)	3,40.00}	3,40.00	0.00	(-)3,40.00
10.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोशाक वितरण (योजना)	3,40.00}	3,40.00	0.00	(-)3,40.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (योजना)			
	मूल 68.00}	68.00	0.00	(-)68.00
12.	46 उर्दू शिक्षकों का वेतन (योजना)			
	मूल 5,10.00}	5,10.00	0.00	(-)5,10.00
13.	48 शैक्षणिक विकास हेतु सहायता अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,04.00}	2,04.00	0.00	(-)2,04.00
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15,60.00}	15,60.00	0.00	(-)15,60.00
15.	07 बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,20.00}	2,20.00	0.00	(-)2,20.00
16.	34 गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	0.00	(-)1,29.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	41 मुख्यमंत्री एकीकृत बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)			
	मूल 8,60.00}	8,60.00	0.00	(-)8,60.00
18.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोशाक वितरण (योजना)			
	मूल 8,60.00}	8,60.00	0.00	(-)8,60.00
19.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (योजना)			
	मूल 1,72.00}	1,72.00	0.00	(-)1,72.00
20.	48 शैक्षणिक विकास हेतु सहायता अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,16.00}	5,16.00	0.00	(-)5,16.00
21.	800 अन्य व्यय 44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,60.00}	1,60.00	0.00	(-)1,60.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
22.	48 शैक्षणिक विकास हेतु सहायता अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,80.00}	4,80.00	0.00	(-)4,80.00
	उपर्युक्त बाईस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

पूँजी :

- (v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
 (vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक को) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारंभिक शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,60.00}	3,60.00	2,03.99	(-)1,56.01
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,60.00}	1,60.00	50.00	(-)1,10.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,80.00}	3,80.00	94.87	(-)2,85.13

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,56.01 लाख, ₹ 1,10.00 लाख एवं ₹ 2,85.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 60 - समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2236	पोषण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	13,19,38,59}	13,20,03,09	8,64,56,85	(-)4,55,46,24
अनुपूरक	64,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	1,18,00,00}	2,26,00,00	1,60,02,05	(-)65,97,95
अनुपूरक	1,08,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 4,55,46.24 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2014 (₹ 2.00 लाख) एवं जनवरी 2015 (₹ 62.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 64.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,55,46.24 लाख की वृहद अंतिम बचत के बावजूद, बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2236-पोषण, 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) एवं 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,70.42 लाख एवं ₹ 1,62.29 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 96,85.00 लाख एवं ₹ 26,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	03 मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला (गैर-योजना)			
	मूल 87.60}	87.60	50.38	(-)37.22
2.	102 बाल कल्याण			
	47 मेडिसीन किट्स (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,99.00}	1,99.00	1,29.92	(-)69.08
3.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	1,80.00	4.60	(-)1,75.40
4.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,13,84.00}	2,13,84.00	1,13,68.67	(-)1,00,15.33

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (योजना)			
	मूल 23,76.00}	23,76.00	7,71.44	(-)16,04.56
6.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,90.00}	1,90.00	1,52.42	(-)37.58
7.	58 किशोरी बालिकाओं के लिए सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)-नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,78.00}	1,78.00	65.98	(-)1,12.02
8.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,68.00}	16,68.00	1,09.85	(-)15,58.15
9.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (योजना)			
	मूल 1,86.00}	1,86.00	27.07	(-)1,58.93
10.	103 महिला कल्याण 28 आंगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)			
	मूल 24,00.00}	24,00.00	21,00.05	(-)2,99.95

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
11.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)	80.00}	80.00	45.95	(-)34.05
12.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (75 : 25) (योजना)	2,88.00}	2,88.00	1,32.24	(-)1,55.76
13.	106 सुधारक सेवाएं 39 प्रतिप्रेक्षण गृह (गैर-योजना)	2,14.21}	2,14.21	1,68.12	(-)46.09
14.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 18 स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)	7,70.00}	7,70.00	6,58.19	(-)1,11.81
15.	57 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०प्रा०यो०)	1,00.00}	1,00.00	17.25	(-)82.75
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)	33,60.00}	33,60.00	28,59.90	(-)5,00.10

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	26 हेल्पलाईन योजना (योजना)			
	मूल 46.00}	46.00	14.00	(-)32.00
18.	28 आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)			
	मूल 26,00.00}	26,00.00	22,64.25	(-)3,35.75
19.	40 नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर-सरकारी संस्था को सहायता (योजना)			
	मूल 46.00}	46.00	6.02	(-)39.98
20.	47 मेडिसीन किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,15.00}	2,15.00	1,13.60	(-)1,01.40
21.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,96.00}	1,96.00	15.57	(-)1,80.43
22.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,31,66.00}	2,31,66.00	1,31,58.87	(-)1,00,07.13

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (योजना)			
	मूल 25,74.00}	25,74.00	8,19.99	(-)17,54.01
24.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 77.00}	77.00	0.81	(-)76.19
25.	57 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	3,14.02	(-)4,85.98
26.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,09.00}	2,09.00	1,70.11	(-)38.89
27.	62 राज्य परियोजना सहायक ईकाई (के०यो०यो०)			
	मूल 48.00}	48.00	3.00	(-)45.00
28.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	40.47	(-)49.53

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
29.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (75 : 25) (योजना)			
	मूल 3,12.00}	3,12.00	1,06.20	(-)2,05.80
30.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	मूल 18,06.00}	18,06.00	1,19.39	(-)16,86.61
31.	88 विश्व बैंक संपोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	3.52	(-)1,96.48
	2236 पोषण			
	02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
	101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
32.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 96,85.00}	96,85.00	76,71.84	(-)20,13.16
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
33.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 26,00.00}	26,00.00	19,95.93	(-)6,04.07

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
34.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)	1,13,40.00	1,00,79.72	(-)12,60.28
	मूल 1,13,40.00}			
35.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 09 समाज कल्याण (गैर-योजना)	2,53.61	1,90.76	(-)62.85
	मूल 2,53.61}			

उपर्युक्त पैतीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)	65.00	0.00	(-)65.00
	मूल 65.00}			
2.	80 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में वाटर प्यूरीफायर (योजना)	3,07.00	0.00	(-)3,07.00
	मूल 3,07.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	103 महिला कल्याण 24 कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
4.	26 हेल्पलाइन योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 44.00}	44.00	0.00	(-)44.00
5.	64 स्वधार गृह योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
6.	71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 41.00}	41.00	0.00	(-)41.00
7.	79 आँगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90:10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,19.00}	1,19.00	0.00	(-)1,19.00
8.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,64.00}	8,64.00	0.00	(-)8,64.00
9.	90 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में साईकिल (योजना)			
	मूल 4,74.00}	4,74.00	0.00	(-)4,74.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में वाटर प्यूरीफायर (योजना)	83.00	0.00	(-)83.00
	मूल 83.00}	83.00	0.00	(-)83.00
11.	90 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में साईकिल (योजना)	1,27.00	0.00	(-)1,27.00
	मूल 1,27.00}	1,27.00	0.00	(-)1,27.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 24 कार्यकारी महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण (योजना)	1,10.00	0.00	(-)1,10.00
	मूल 1,10.00}	1,10.00	0.00	(-)1,10.00
13.	52 आफ्टर केयर होम का संचालन (योजना)	50.00	0.00	(-)50.00
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
14.	65 स्वधर गृह योजना (के०प्रा०यो०)	30.00	0.00	(-)30.00
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00
15.	71 जीवन आशा (योजना)	48.00	0.00	(-)48.00
	मूल 48.00}	48.00	0.00	(-)48.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	79 आँगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	0.00	(-)1,29.00
17.	82 एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुर्नवास की योजना (योजना)			
	मूल 34.00}	34.00	0.00	(-)34.00
18.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,36.00}	9,36.00	0.00	(-)9,36.00
19.	89 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में वाटर प्यूरीफायर (योजना)			
	मूल 3,60.00}	3,60.00	0.00	(-)3,60.00
20.	90 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में साईकिल (योजना)			
	मूल 5,54.00}	5,54.00	0.00	(-)5,54.00
21.	91 पूर्ण शक्ति केन्द्र की स्थापना (पी०एस०के०) (महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत) (के०यो०यो०)			
	मूल 40.11}	40.11	0.00	(-)40.11

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2236 पोषण			
	02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
	101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
22.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,98.00}	10,98.00	0.00	(-)10,98.00
23.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) नई योजना (योजना)			
	मूल 10,98.00}	10,98.00	0.00	(-)10,98.00
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
24.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,95.00}	2,95.00	0.00	(-)2,95.00
25.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) नई योजना (योजना)			
	मूल 2,95.00}	2,95.00	0.00	(-)2,95.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
26.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) नई योजना (के०प्रा०यो०)			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	मूल	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		12,86.00}	12,86.00	0.00	(-)12,86.00
27.	05	किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना-सबला-नई योजना (योजना)			
		मूल 12,86.00}	12,86.00	0.00	(-)12,86.00

उपर्युक्त सत्ताईस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी:

- (v) ₹ 65,97.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,08,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (vii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	मूल	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	02	समाज कल्याण			
	103	महिला कल्याण			
	39	13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण (योजना)			
		मूल 54,00.00}	1,08,00.00	76,24.87	(-)31,75.13
		अनुपूरक 54,00.00}			
2.	106	सुधारक सेवाएं			
	69	ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	मूल 5,00.00}	5,00.00	1,54.10	(-)3,45.90
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण (योजना)	1,08,00.00	80,14.46	(-)27,85.54
	मूल 54,00.00}			
	अनुपूरक 54,00.00}			
4.	69 ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)	5,00.00	2,08.61	(-)2,91.39
	मूल 5,00.00}	5,00.00	2,08.61	(-)2,91.39

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 31.75.13 लाख, ₹ 3,45.90 लाख, ₹ 27,85.54 लाख एवं ₹ 2,91.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक व्यय (+)/कमी (-)	
1	2	3	4	
(हजार रुपयों में)				
12 - वित्त विभाग	पूंजी दत्तमत	13,08,75	00	(-)13,08,75
39 - आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	3,15,36,00	32,62,06	(-)2,82,73,94
49 - जल संसाधन विभाग	पूंजी दत्तमत	00	3,24,59,77	+3,24,59,77
जोड़ :	राजस्व दत्तमत	3,15,36,00	32,62,06	(-)2,82,73,94
	पूंजी दत्तमत	13,08,75	3,24,59,77	+3,11,51,02
कुल जोड़ :	राजस्व	3,15,36,00	32,62,06	(-)2,82,73,94
	पूंजी	13,08,75	3,24,59,77	+3,11,51,02

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in